खण्ड-255, अंक-5
शनिवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(13 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४८७–४९१
प्रश्नोत्तर	४९१–४९५
श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री उग्रसेन के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना ..	४९५–४९६
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वर्ष १९६४–६५ के अनुपूरक वित्तीय विवरण पत्र (मेज पर रखा गया)	४९६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रतिकर का भुगतान) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयी)	४९६
श्री उग्रसेन के निलम्बन को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४९६–४९७
शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	४९७–४९८
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४९८–४९९
व्यवस्था का प्रश्न	४९९
बिहार राज्य के किसानों द्वारा बलिया जिले के किसानों की फसल लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४९९–५०३
श्री रघुवीर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५०४–५०९
कार्यवृत्त में अशुद्धि के सम्बन्ध में सूचना	५०९
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा कतिपय स्थायी समतियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	५०९–५१०
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५११–५१२
गृह-मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५१२
सदस्यों द्वारा लिखित सुझावों को कार्यवाही का अंग बनाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी	५१२
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान सख्या ४२--राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत)	५१२–५१३
अनुदान संख्या ३९--परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (जारी)	५१३–५१५
लेजिस्लेटिव ग्रुप के तत्वाधान में होने वाले भाषणों के संबंध में सूचना ..	५१५
१९६५–६६ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ३९--परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	५१५–५६९
अपराध निरोधक समिति के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	५६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्र ाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री

सहदेवसिंह, श्री
सियदुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्राल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १३ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का मांग-पत्र

**१--श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दो यूनियनों की २२ फरवरी, १९६५ की सम्मिलित सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांग न पूरी होने पर ५ मार्च को प्रतीक हड़ताल व २३ मार्च से मांग न पूरी होने तक पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय लिया है, मिल गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विषय में क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

जी हां । प्रतिलिपि मिली है । कार्यवाही का सम्बन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मंत्री जी बतायेंगे कि कर्मचारियों ने कौन-कौन सी मांगें उनके सामने रखी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जो प्रतिलिप आई उसके सम्बन्ध में निवेदन करता हूं :

"निम्नलिखित मांग पत्र उत्तर प्रदेशीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की प्रतिनिधि सभा की २४ फरवरी, १९६४ की प्रातःकालीन बैठक में, जो कि यूनियन भवन, लख नऊ विश्व-विद्यालय में हुई, सर्वसम्मति से पारित हुआ :--

१—वेतन क्रमों का निर्धारण बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये तुरन्त किया जाय । पर निम्नतम वेतन १२० रु० से कम न हो ।

२—अपर अध्यापक कर्मचारी वर्ग के आश्रितों के लिये विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

३—सरकारी कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड और पेन्शन सम्बन्धी मिलने वाली सुविधायें विश्वविद्यालय अपर अध्यापक कर्मचारी वर्ग को भी प्रदान की जाय ।

४—अपर अध्यापक कर्मचारियों को पूरे वेतन के साथ उच्च शिक्षा हेतु अवकाश प्रदान किया जाय और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थी की भांति बैठने की समस्त सुविधायें प्रदान की जायं ।

५—निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय अथवा इसके अभाव में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय का भुगतान किया जाय ।

६—छुट्टी के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को किसी दूसरे दिन अवकाश प्रदान किया जाय ।

७—आवासगृह की व्यवस्था हो अथवा इसके अभाव में वेतन का १० प्रतिशत मकान भत्ते के रूप में दिया जाय पर यह धन १५ रु० प्रति माह से कम न हो ।

८—अपर अध्यापक कर्मचारियों के मनोरंजन के लिये विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कर्मचारी संघों को उचित भवन आदि देने की व्यवस्था करे ।

९—सेवा नियमावली तुरन्त बनायी जाय ।

१०—अपर अध्यापक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय कार्यकारिणी एवं कोर्ट में रक्खे जायं ।

११—प्रत्येक विश्वविद्यालय में 'पंचनिर्णय समिति' (आर्बिट्रेशन बोर्ड) का गठन किया जाय जो अधिकारियों और कर्मचारियों में झगड़ा और मतभेदों को दूर करे । समिति में अधिकारियों और कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व समान हो ।

१२—अर्जित अवकाश के अतिरिक्त एक माह का विश्राम अवकाश (वेकेशन लीव) पूरे वेतन के साथ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कितनी मदें हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

थोड़ा और रह गया है इस पृष्ठ पर ।

श्री अध्यक्ष—

वे भूल जायेंगे । इतना ही रहने दिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों का वेतनक्रम चतुर्थ श्रेणी का अब भी २० और २२ रु० से प्रारम्भ होता है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

किस विश्वविद्यालय कर्मचारी को क्या वेतन मिल रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों के वेतनक्रम की स्वीकृति सरकार से होती है और जिन विश्वविद्यालयों ने सरकार को स्वीकृति के लिये लिखा है अभी तक सरकार ने स्वीकृति नहीं दी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अभी कोई ऐसी चीज नहीं आई ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

स्टैट्यूट्स के मुताबिक सर्विस रूल्स बनने चाहिये जो अभी नहीं बने हैं तो सरकार वहां के कर्मचारियों को बुलाकर उनसे बातचीत करके समस्या का हल उचित रूप से करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन कर्मचारियों का विश्वविद्यालय से सम्बन्ध है वे मामले तो विश्वविद्यालय ही देखेगा । माननीय सदस्य जानते हैं कि विश्वविद्यालयों की भी कुछ आटानामी होती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन-क्रम निरीक्षण तथा फिक्स करने के लिये पत्र भेजा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मूल प्रश्न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी विश्वविद्यालय अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि वे सर्विस रूल्स बनावें ताकि जो रुपया यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन कर्मचारियों के लिये देता है वह उन्हीं के लिये इस्तेमाल हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसी बातों का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से और कुलपति महोदय से है । एक तरीके से शासन उन बातों में मजबूर नहीं कर सकता है । शासन जो काम कर सकता है वह अधिनियम के अन्तर्गत ही कर सकता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

विश्वविद्यालय के कर्मचारी का वेतन २० रु० से शुरू होता है तो क्या कर्मचारियों ने संस्तुति दी है कि वह बढ़ाया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उस पर विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करेगी ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस मुख्य द्वार से आप प्रवेश करते हैं अभी उसे खोल कर कोई प्रवेश करना चाहता था । क्या मुख्य द्वार के बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई न घुस सके ?

श्री अध्यक्ष—

गलती से कोई आ गया होगा ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री को प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापकों का ऐसा कोई पत्र आप्त हुआ है जसमें उन्होंने कर्मचारियों को राहत देने के लिये मांग की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस विषय में विश्वविद्यालय से कोई मांग पत्र नहीं आया है लेकिन अगर कोई पत्र इत्यादि आये हों तो इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

शिक्षा मंत्री को जो यूनियन्स के प्रस्ताव की प्रतिलिपि मिली है तो इस सम्बन्ध में क्या राज्य के शिक्षा विभाग ने अपना स्पष्टीकरण उन यूनियनों के अधिकारियों को भेज दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिस फेडरेशन की प्रतिलिपि मिली है वह मान्यता प्राप्त नहीं है । प्रयाग विश्वविद्यालय में अपनी उनकी यूनियन हैं कर्मचारियों की । वे यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं । उनकी तरफ से क्या चीज पहुंची है मैं नहीं जानता । जहां तक फेडरेशन के प्रस्ताव की प्रतिलिप का ताल्लुक है जब तक विश्वविद्यालय हमको कोई चीज उस सम्बन्ध में नहीं लिखता है तब तक हम उस पर क्या विचार कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह बात सही होते हुये भी प्रत्यक्ष आपका इन मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जब सरकार अनुदान देती है विश्वविद्यालय को और उन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के साथ-साथ आपको भी सूचित किया है तो आपने अपनी तरफ से वाइस चांसलर को और अधिकारियों को यह लिखा है कि आवश्यकता समझें तो आपसे वे परामर्श करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो निवेदन कर चुका हूं विश्वविद्यालय इन सब बातों पर विचार करता ही रहता है । मैंने यह भी निवेदन किया कि इनकी मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं और उन यूनियनों के द्वारा ये कार्य होते रहते हैं । लेकिन इस तरीके से जो हमारे पास प्रतियां आती हैं उन सब चीजों को कहां तक देखा जा सकता है ।

महापालिकाओं का आम चुनाव

**२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह नगरमहापालिकाओं के आम निर्वाचन के लिये जो तिथि घोषित की गई है उसमें परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ? यदि, हां, तो वास्तविकता क्या है तथा चुनाव कब तक कराये जा रहे हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

नगरमहापालिकाओं के आम निर्वाचन के लिये घोषित तिथि में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है । चुनाव समयानुसार अप्रैल–जून, १९६४ तक हो जायेंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे कि नगर महापालिका के जो चुनाव जून, १९६३ तक हो जायेंगे तो उसके लिये नामिनेशन्स की और इलेक्शन की डेट्स कब कब हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२५ अप्रैल को कारपोरेटर्स का चुनाव होगा । उसके बाद मई में विशिष्ट सभासदों का चुनाव होगा और जून में मेयर्स का चुनाव होगा ।

श्री बयाराम शाक्य—

नगर महापालिकाओं के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन जो हुये हैं उनकी सार्वजनिक घोषणा कब हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

परिसीमन सम्बन्धी लेखा और आपत्तियों के लिये गजट में छापा गया था और अन्तिम आज्ञा १५ मार्च तक हो जायगी ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी को पता है कि अभी तक डिलिमिटेशन आफ कांस्टीट्यून्सीज नहीं हो पाया है, उसका झगड़ा है इसलिये क्या वे इन डेट्स में कुछ चेंज करना मुनासिब समझते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उम्मीद यह की जाती है कि जो समय इस के लिये निर्धारित किया गया है उसके अंदर यह खत्म हो जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

डिलिमिटेशन के संबंध में कौन सी अंतिम डेट निर्धारित की गयी हैं, जिसके अंदर सारा काम पूरा हो जाना चाहिये और क्या यह सही है कि इस तरह के एतराज आये हैं कि डिलिमिटेशन के काम में कुछ वर्ग विशेष के एक-एक वार्ड में रहने की बात है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने जैसा पहले कहा, १५ से २२ मार्च तक यह परिसीमन का कार्य समाप्त हो जायगा और जो आपत्तियां आयी हैं उन पर विचार हो जायगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी को लखनऊ नगरमहापालिका के वार्डों के परिसीमन के संबंध में कुछ आब्जेक्शन मिले हैं कि वे सांप्रदायिक आधार पर किये गये हैं और क्या वह विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एतराज तो बहुत से कारणों से हो सकते हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री उग्रसेन के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि आज हम लोग कुछ दिनों के लिये उठेंगे । माननीय उग्रसेन जी तथा चन्द्रबली जी का निलंबन इस बीच हो चुका है । मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि हम लोग एक सद्भावना के वातावरण में उठें और यहां फिर प्रेम से मिलें । इसलिये कुछ और तो नहीं कहता, इतना विनम्र निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करूंगा नेता सदन से कि आप अपनी तरफ से एक प्रस्ताव इसके लिये लायें ताकि जो कुछ हो चुका है वह समाप्त हो और हम एक स्नेह और शान्ति के वातावरण में यहां मिलें और होली के अवसर पर प्रेम से मिलें । मैं समझता हूं कि यह इनके लिये एक महान् कार्य होगा । अब किन शब्दों में कहूं यह मैं समझ नहीं पाता, किन्तु आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

सद्भावना का जो प्रश्न उठाया गया है, उसका तरीका तो यह है कि वह माफी मांगते । लेकिन बगैर उसके भी अगर सद्भावना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर सदन यह चाहता है कि वह माफ कर दे, तो ठीक है ।

मालमंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जैसा हमारे त्रिपाठी जी ने कहा, और बहुत से दोस्त भी हैं जिनसे मुझसे बात हुई है इस संबंध में, और जहां तक उग्रसेन जी का ताल्लुक है, उसके लिये मुझे इम्बैरसमेंट तो जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन वह आवेश में आ कर ऐसा कर गुजरे । पहले से उनका उसके लिये कोई इरादा नहीं था । लिहाजा, उसके लिये तो हम माफ करने के लिये तैयार हैं और जो कुछ हुआ उसके लिये मुझे खेद है, लेकिन जहां तक चन्द्रबली सिंह जी का ताल्लुक है, मैंने उस दिन भी आफर किया था कि वे माफी मांग लें जब मेरे मित्रों ने आग्रह किया कि ऐसा न किया जाय तो मैंने कहा था कि वे माफी मांग लें तो हम तैयार हैं । उन्होंने उस दिन भी माफी मांगने से इंकार कर दिया था । तो जहां तक उनका संबंध है, जब तक वे माफी न मांगें, हम उनके लिये पुनर्विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं । होली खेल कर आयें, फिर बाद में देखा जायगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष १९६४–६५ के अनुपूरक वित्तीय विवरण-पत्र†

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष, १९६४–६५ के अनुपूरक वित्तीय विवरण-पत्र को इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (५) के साथ पठित उक्त धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रतिकर का भुगतान) नियमावली,* १९६५

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०८७२–बी/३३–८-आर–६२ दिनांक १६ जनवरी, १९६५, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रतिकर का भुगतान) नियमावली, १९६५ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उग्रसेन के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उपनेता, सदन, आपने एक बात कही कि माननीय उग्रसेन को माफ कर दिया जाय तो क्या आप कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमान्, चूंकि लोगों का आग्रह है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उग्रसेन को जो सदन की सेवा से निलम्बित किया गया है, वह मंसूख किया जाय ।

---

†छापा नहीं गया ।
*छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री उग्रसेन जी का निलंबन समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं पुनः उप-नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे पुनः इस मसले पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष--

वह विषय तो समाप्त हो गया है ।

शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले २ दिनों से जो अखबारों में खबरें छपी थीं उनसे यह मालूम हुआ था कि अध्यापकों की जो समस्या है शायद वह हल हो जाय, लेकिन आज बदकिस्मती से यह खबर आयी है कि मसला हल नहीं हुआ है और उनकी हड़ताल अब तक जारी है । मैं समझता हूं कि सब लोग इसको मानते हैं कि उनकी मांगें जो हैं वे जायज हैं । प्राइम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री श्री छागला और हमारे मंत्री जी ने भी ऐसा ही कहा है, पर हमारी सरकार कहती है कि साधन नहीं हैं । अब केवल साधन निकालने का सवाल है । साधन निकालने पड़ेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा संकट है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को एक ऐसी कमेटी या कान्फ्रेंस बुलानी चाहिये जिसमें विरोध पक्ष के और सरकार, दोनों तरफ के लोग हों और वे मिलकर गौर करें कि साधन कहां से निकलवाये जायें । अगर इस मामले में हमारी सरकार इनिशियेटिव लेती है तो हम पूरी तरह से कोआपरेट करके पूरी मदद देने के लिये तैयार हैं । मेरा सुझाव इसलिये यह है कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिये और सब को मिलकर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं बहुत ही मुनासिब बात इस मायने में कही कि उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। अध्यापकों के संबंध में जब डिबेट चल रही थी तो शायद डाक्टर साहब सदन में तशरीफ नहीं रखते थे । इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जिसकी हमदर्दी अध्यापकों से न हो, लेकिन मांगें जायज हों या न हों ५० रुपये जायज हों या ४० रु० जायज हों, यह प्रश्न नहीं है । चूंकि माननीय डाक्टर साहब दिलचस्पी रखते हैं और हमारे देश के एक नेता हैं तो वे अध्यापकों से भी इस बात को कहें कि जब १८५ लैजिस्लेटर्स ने इन अध्यापकों से अपील की है कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है और वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितनी हम सहायता करा सकेंगे करायेंगे और प्रधान मंत्री ने अपील की है, माननीय छागला साहब ने कहा है कि हमारी हमदर्दी उनके साथ है इस पर भी अगर वे बायकाट करते हैं तो स्वभावतः हम लोगों की हमदर्दी हट जायगी। तो मान्यवर, मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि जहां हमदर्दी है वहां वह एक कदम यह भी उठायें कि अध्यापकों से कहें कि मेहरबानी करके ५ लाख विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ न करें । यह उचित नहीं है । कमेटी ने खुद आश्वासन दिया था और अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शायद हड़ताल वापस हो जायगी, लेकिन इसके बाद कुछ पोलिटिकल बातें पैदा हुई, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूं । इसलिये मैं कह रहा हूं कि मैंने भी इसमें काफी दिलचस्पी ली और हमें भी उतना ही अफसोस है जितना किसी और को हो सकता है, लेकिन मास्टर गलत रास्ते पर चले गये । ट्रेड यूनियनिज्म अच्छा हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नवलकिशोर]

सकता है मजदूरों के लिये और वे उसके जरिये अपनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन अगर मास्टर लोग ऐसा करेंगे तो वह मुनासिब बात नहीं है । लिहाजा में ज्यादा न कहते हुये, चूंकि डाक्टर साहब ने अपील की है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अध्यापकों के नेताओं से वे इस बात को मनवायें और समझायें कि समाज के तमाम तत्वों की हमदर्दी उनके साथ है । लेकिन अगर वे अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे तो मुझे शक है कि हमदर्दी कहीं बदल न जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी ने यह नहीं बतलाया कि रिसोर्सेज के लिये क्या होगा ? हम लोग बैठ कर रिसोर्सेज बतला देंगे कि हमारे पास धन है तो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वे कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं हैं । अगर हम सरकार को रिसोर्सेज बतला दें तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये, एक विचार यहां रखा गया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी को अधिकार है कि वे खड़े होकर बोलें या न बोलें । मैं समझता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी ने वस्तुस्थिति सदन के सामने रख दी है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें आई हैं वह मैंने स्वीकार नहीं की हैं । उनके ऊपर मैंने आदेश लिख दिया है, आप कृपया मेरा आदेश देख लें ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले यह खत्म हो जाने दीजिये तब आप बोलें ।

माननीय सत्यनारायण जी ने एक सूचना भेजी है, वह मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं । माननीय काशीनाथ जी अपना विषय प्रश्नों द्वारा उठा सकते हैं, इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया है । माननीय सूरजलाल जी वाला मामला आश्वासन समिति के समक्ष है । जो विषय उसके सामने होता है वह नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय दो-तीन हजार किसान हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

वह आश्वासन समिति के समक्ष है ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

श्रीमन्, इस समय फसल कट रही है, उसे आप रुकवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में आप कैसी बात कहते हैं ? कोई चीज रुकवाना मेरे अखतियार की बात नहीं है । आपने नियम ५२ में सूचना दे दी है उसका उत्तर आपको मिल जायगा, कोई चीज रुकेगी नहीं ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

श्रीमन्, बलरामपुर तहसील में कुर्की हो रही है .....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था हो चुकी है । अब यह समाप्त हो गया । यह नहीं आयगा ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कल सिंचाई मंत्री जी भाषण कर रहेथे, आप उपस्थित नहीं थे, उन्होंने सदन में एक फाइल पटकी और कहा कि जो माननीय सदस्य चाहें देख लें और सन्तोष कर लें । मैंने सोचा कि यह सदन की मेज पर आ जायगी और यह हाउस की सम्पत्ति हो गई । लेकिन बाद में पता चला कि वह फाइल वापस ले गये । मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि एक मंत्री एक चीज सदन के सामने रख देता है तो वह हाउस की सम्पत्ति है या नहीं और उसे वापस ले जाने का अधिकार है या नहीं ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह उनकी मंशा के ऊपर निर्भर है । उनकी इसमें क्या मंशा थी मुझे मालूम नहीं है । यदि उनकी मंशा यह थी कि आपको दिखला दें और फिर वापस ले लें तो ठीक है .....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इसमें मंशा की क्या बात है ? वह तो हाउस की प्रापर्टी हो ही गयी ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यदि उनकी मंशा यह थी कि वह उसे अपने पास रक्खेंगे और आपको निमन्त्रित किया है कि आप उसे देख लें तो आप चले जायें और उसे देख लें ।

बिहार राज्य के किसानों द्वारा बलिया जिले के किसानों की फसल लूटने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री, मद नं० ८ ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो श्रीमन्, छपा हुआ आना चाहिये था जो नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह जरूरी नहीं है ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

बलिया (उत्तर प्रदेश) तथा शाहाबाद व सारन (बिहार) के बीच सीमा निर्धारण गंगा तथा घाघरा नदियों की धूरधारा द्वारा होता है । नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष वर्षाकाल के समाप्त होने पर दोनों शासनों के अधिकारियों द्वारा नदियों की धूरधाराओं की जांच की जाती है तथा इस प्रकार जो नक्शे बनाये जाते हैं वह दोनों राज्यों के दीवानी, आपराधिक तथा राजस्व अधिक्षेत्रों का निर्णय करते हैं । प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार धूरधारा सीमा के स्थान पर एक स्थायी सीमा होगी । स्थायी सीमा बन्धन भूमि पर स्तम्भों द्वारा होगा । सर्वे आफ इंडिया के अधिकारियों के निरीक्षण में सीमांकन का कार्य

[श्री बंशीधर पांडेय

प्रारम्भ हो गया है, परन्तु धूरधारा सीमा तब तक बनी रहेगी जब तक उसको लोक सभा के अधि- नियम से स्थायी सीमा द्वारा बदल न दिया जायेगा । अभी हाल में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश देकर इस संबंध में दायर की गयी एक प्रादेशिक याचिका का फैसला होने तक उक्त निर्णय को कार्यान्वित किये जाने पर रोक लगा दी है ।

वर्तमान विवाद गांव रिकनी छपरा तथा हल्दी में फसल काटने के संबंध में है । इन दोनों गांवों का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में, कुछ बिहार में तथा कुछ नदी के पेटे में है । दोनों गांवों के राजस्व अभिलेख उत्तर प्रदेश में हैं । अभिलेखों के अनुसार विवादग्रस्त फसल हल्दी गांव के निवासियों द्वारा बोयी गयी थी । पहली घटना १ मार्च को घटी जब उत्तर प्रदेश के कतिपय व्यक्ति उत्तर प्रदेश की ओर से गंगा के दूसरी ओर फसल काटने गये । नैनजोर गांव के कुछ निवासी घटनास्थल पर आये तथा उन्होंने बलिया वालों से हट जाने को कहा । हल्दी गांव के निवासी बच्चन मल्लाह को उन लोगों ने पकड़ लिया तथा उसे मारा व उसकी नाव को नदी में बिहार की ओर डुबो दिया । घटना स्थल बिहार के पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुर के अधिक्षेत्र में था, परन्तु इसकी रिपोर्ट बच्चन मल्लाह ने पुलिस थाना हल्दी में की जिसे अब ब्रह्मपुर के स्टेशन अफसर के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

दूसरी घटना मार्च ६ को हुई जबकि उत्तर प्रदेश की ओर के २०, २५ व्यक्ति जिन्होंने नदी के दूसरी ओर फसल बोई थी अपनी फसल काटने गये । जब उन्होंने फसल का कुछ भाग काट लिया था तथा उसे नाव पर लाद लिया था तो नैनजोर गांव के कुछ निवासियों ने वहां पहुंचकर काटी हुई फसल को जो खेत में पड़ी थी तथा नांव में लाद ली गयी थी छीन लूट लिया तथा नाव को डुबो दिया । इस अवसर पर कोई मारपीट नहीं हुई तथा बलिया की ओर पुलिस स्टेशन पर इसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी ।

तीसरी घटना मार्च ७ को घटी, जब उत्तर प्रदेश के लगभग दो तीन सौ व्यक्ति नदी पार बिहार की तरफ अपनी फसल काटने गये । बिहार के नैनजोर गांव के निवासी काफी संख्या में बन्दूक लेकर आये तथा कुछ गोलियां चलीं । पर इसके परिणाम स्वरूप किसी को चोट आने की रिपोर्ट नहीं मिली तथा बलिया की ओर पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गई ।

जिलाधीश, बलिया ने शान्ति व सुव्यवस्था कायम रखने के लिये अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही कर दी है । उसने जिलाधीश, आरा, को भी इन घटनाओं के संबंध में सूचित कर दिया है तथा उनसे उक्त क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है । क्योंकि उक्त क्षेत्र का आपराधिक अधिक्षेत्र बिहार में है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो फैसला हुआ है त्रिवेदी कमीशन का, उस कमीशन के फैसले के अनुसार यह हल्दी और नैनजोर, जो दोनों गांव आमने सामने हैं, इसमें किस हद तक हल्दी के गांव वालों का होता है ? जिस गांव की बात कही जाती है क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र की जमीन है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हल्दी और रिकनी छपरा दोनों अब हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जायेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जब हल्दी, रिकनीछपरा और नैनजोर तीनों हमारे यहां हैं और तीनों का रेवेन्यू रोल हमारे यहां है और हमारे किसानों को बराबर कब्जा दाखिला है, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ७ तारीख को जो हलदी और रिकनी छपरा के लोग

अपनी फसल काट कर और नाव पर लाद कर ला रहे थे उसको बीच नदी की धारा से इस पार जो हमारी सीमा में हैं इस प्रदेश की ओर से कोई प्रोटेक्शन न होने की वजह से बिहार के लोगों ने लूटा और इधर के लोगों को मारा। क्या यह सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारे पास जो इत्तिला है इसमें यही है कि वह बिहार की सीमा में ही हुआ डुबा दी गयी थी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि इन ३ घटनाओं में उत्तर प्रदेश के किसान जो उस पार के क्षेत्रों पर काबिज हैं और जो खेत बोये हुये हैं वे अपनी फसल वहां से नहीं ले आ पा रहे हैं, उधर के लोग उनको मारते-पीटते हैं। तो यह सरकार क्या उपाय कर रही है कि यहां के निरीह किसानों के हकों की रक्षा हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह इलाका जहां ये वाकयात हुये हैं बिहार के क्रिमिनल ज्युरिस्डिक्शन में है, हमारे अख्तियार में नहीं है। वहां के काउन्टरपार्ट को हमारे कलेक्टर ने लिखा है कि व्यवस्था की जाय।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इन शिकायतों को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा जाय जिससे वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बिहार सरकार को बाध्य करें कि उनके क्षेत्र में यहां के किसानों के हितों की रक्षा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी १५ मार्च को सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली में एक कान्फ्रेंस बुलायी है उसमें हमारे ज्वाइन्ट सेक्रेटरी वगैरह सब जा रहे हैं। देखें वे क्या करते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या आप मन्त्री स्तर पर सवालों को केन्द्रीय सरकार के सामने रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उनका आग्रह है कि मन्त्री स्तर पर केन्द्रीय सरकार के सामने इसको रक्खा जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सम्भवतः इसका जिक्र जरूर होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिस तरह से पारसाल उत्तर प्रदेश सरकार ने पी० ए० सी० की एक बटालियन भेजी थी और उनकी वजह से ऐसा होता था कि किसान जो फसल लेकर आते हैं, उन पर हमले नहीं होते थे और उनकी नावें नहीं डुबायी जाती थीं, तो इस साल भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिलाधीश ने मुझको यह सूचना दी है कि जहां हमारा ज्युरिस्डिक्शन है वहां पुलिस सतर्क है और सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या पहली घटना होने के बाद ही पुलिस सतर्क हो गयी थी? यदि हां, तो बाद में घटनायें क्यों हुयीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—]

घटनायें उस पार हुयीं, इस पार नहीं। हमारी तरफ तो सतर्क हैं ही।

श्री चन्द्रजीत यादव—]

यह जो दो राज्यों की सीमाओं पर घटनायें होती हैं उससे आपसी सम्बन्ध तो खराब होते हैं राज्य स्तर पर भी सम्बन्ध बिगड़ने का खतरा रहता है। आप अपनी तरफ से तो सतर्क हैं, लेकिन क्या आप बिहार राज्य के मन्त्री महोदय को लिखेंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की कृपा करें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर के लेविल पर यह सब कुछ हो रहा है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी जिलाधीश बलिया को यह आदेश देंगे कि जिस प्रकार हासनगर, रिकनी छपरा जो घुरघारा के उस पर बिहार की तरफ है और उस में हमारे किसानों के हित हैं उन को ले आने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से बात करेंगे और इसी प्रकार से घाघरा की तरफ एक गोपालनगर और बशिष्ठनगर के छपरा सारन के लोग लूटते हैं और इधर के लोगों को मारते पीटते हैं और गंगा की तरफ दोपटी दियारा में भी इसी तरह से करते हैं, उधर के लोग आकर मारते पीटते हैं और फसल काट लेते हैं, उनकी रक्षा करेंगे? और इस तरह का प्रबन्ध करेंगे जिससे लोगों को अपनी फसल उस तरफ से लाने में सुविधा हो और उनके हितों की रक्षा हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो रिकनी छपरा और हलदी का मामला था, उसके बारे में मैंने बताया औरों के बारे में मुझे लिखा जायगा तो हम जांच कर के बतलायेंगे कि क्या मामला है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—]

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि सरकारी स्तर पर कोई लड़ाई न होते हुये बलिया के लोग अपने को इतने कमजोर कैसे महसूस करने लगे हैं कि वह सरकार की सहायता चाहते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—]

मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।]

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

वह घटना जो हुई है वह बिहार की तरफ हुई है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साइड में वह घटना हुई है। तो किस सूचना के आधार पर वह ऐसा कह रहे हैं कि वह बिहार की ओर हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर ने जो मेरे पास सूचना भेजी है उस के आधार पर मैं कहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, उस दिन मैं वहां पर मौजूद था। शनिवार और इतवार को असेम्बली बन्द थी। जब किसान अपनी फसल काट कर ला रहे थे तो उत्तर प्रदेश के इलाके में ही धारा में वह नाव डुबा दी गयी और जब हमारे किसान इत्तला लिखाने के लिए गये तो उन की इत्तला नहीं लिखी गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि गोली चलने वाली बात को आप के अधिकारियों ने बिहार सरकार को लिखा या नहीं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नाव को डुबोया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कुछ हम को कलेक्टर ने तहकीकात करने के बाद लिखा और अपनी रिपोर्ट दी उस के आधार पर मैं कहता हूं कि बिहार साइड में नाव डूबी है।

श्री अध्यक्ष—

बलिया के आदमी उस नाव को लेकर इधर ही आ गये थे तब भी उस को गोली मारी गयी। यह मान भी लिया जाय कि बिहार की तरफ वह घटना हुई तब भी बलिया के निवासियों का नुकसान हुआ क्योंकि उन को गोली मारी गयी। तो इस सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। वही कुछ कर सकती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

काशीनाथ जी ने कहा कि बिहार की तरफ से गोली चली और उस के परिणामस्वरूप हमारी नाव डूबी और हमारा अनाज नष्ट हुआ। उस के बाद जब हमारे आदमी थाने पर इत्तला करने के लिए गये तो उन की फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी और इसकी जांच माननीय गृह मन्त्री करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पहली मर्तबा रिपोर्ट करने के लिए गये तो लिखी गयी। दोबारा कोई गया ही नहीं तो कौन लिखे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र पुलिस देहात में साथ रहे तब वे अपनी फसल काटने के लिए उस पार जाया करें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दूसरे के ज्युरिस्डिक्शन में सशस्त्र पुलिस नहीं जा सकती।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

गोली चलने की रिपोर्ट करने थाने पर कोई गया या नहीं, यदि हां, तो क्या रिपोर्ट लिखी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कब गोली चली हमारे यहां इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई।

श्री रघुवीर की गिरफ्तारी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

यू० पी० बोर्ड की परीक्षाओं तथा शिक्षकों द्वारा इसके बहिष्कार के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई परिस्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए कानपुर जिले के कुछ भागों में जिस में थाना मंगलपुर का क्षेत्र भी आता है, अतिरिक्त जिलाधीश (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा धारा १४४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ३-३-६५ से ३०-४-६५ तक आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के फलस्वरूप सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूस इत्यादि को वर्जित कर दिया गया था जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी से उस की आज्ञा न प्राप्त हो जाय। इस के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग भी वर्जित कर दिया गया था।

मंगलपुर कम्युनिस्ट पार्टी (राइटिस्ट) द्वारा ९-३-६५ को मंगलपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सार्वजनिक सभा के लिए अतिरिक्त जिलाधीश (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा आज्ञा प्रदान कर दी गयी थी। लाउड स्पीकरों के प्रयोग इत्यादि के लिए न तो कोई आज्ञा ही मांगी गयी थी और न ही प्रदान की गयी थी। सार्वजनिक सभा लगभग २ बजे श्री रामशंकर अवस्थी के सभापतित्व में आरम्भ हुई। इसका आरम्भ श्री गुलाम हुसेन खां ने लाउड स्पीकर पर बोलते हुये किया। थानाध्यक्ष मंगलपुर ने जो वहां उपस्थित थे यह बताया कि लाउड स्पीकर इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, परन्तु इस पर भी श्री गुलाम हुसेन खां ने अपना भाषण जारी रखा। इस पर स्थिति कुछ बिगड़ती हुई मालूम हुई और थानाध्यक्ष ने श्री गुलाम हुसेन खां को धारा १५१ भारतीय दंड संहिता तथा धारा १८८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और लाउड स्पीकर इत्यादि को अपने कब्जे में ले लिया। इस पर सभी कार्य-कर्ताओं में उत्तेजना फल गयी, परन्तु सभा जारी रही। अन्त में जब श्री रघुबीर राम, सदस्य विधान सभा भाषण देने खड़े हुये तो उन्होंने थानाध्यक्ष के विरुद्ध बहुत-सी अनुचित बातें कहीं। थानाध्यक्ष ने भाषणकर्ता से निवेदन किया कि वे व्यक्तिगत बातें उस के विरुद्ध न करें, परन्तु भाषणकर्ता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और थानाध्यक्ष को इंगित कर अनुचित बातें कहते रहे। स्थिति बहुत उत्तेजनापूर्ण हो गयी और इसको बिगड़ने से रोकने के लिए थानाध्यक्ष ने श्री रघुबीर राम को धारा १५१ भारतीय दण्ड संहिता और धारा ३५३ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया।

प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष ने कोई दुर्व्यवहार माननीय सदस्य विधान सभा के प्रति नहीं किया।

श्री गुलाम हुसेन खां के विरुद्ध धारा १०७/११७ भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा १८८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत और श्री रघुबीर राम के विरुद्ध धारा १०७/११७ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी गयी है। श्री रघुबीर राम के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा ३५३ के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया गया है और इसकी जांच रही ही है। दोनों व्यक्ति १०-३-६५ को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

मैं आप के माध्यम से इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी-अभी जो माननीय गृह-मन्त्री द्वारा यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गयी है, जब मैं यहां पहुंचा तो एस० पी० और डी० एम० दोनों अधिकारियों के आदेश हो चुके थे कि यहां पर मीटिंग की जाय, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं है। जब मीटिंग हो रही थी तो गुलाम हुसैन महज लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहे थे "इनकलाब जिन्दाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी-जिन्दाबाद, किसान सभा--जिन्बाबाद"। इतना ही कह पाये थे कि थाना इन्चार्ज, दो सब-इन्स्पेक्टर और १८ कांस्टेबिल और १५-१६ चौकीदार यक-ब-यक आ पहुंचे और पहुंच कर थाना एस० ओ० ने कहा कि "पकड़ लो इन सब को,"

यह किस के हुक्म से मीटिंग कर रहे हैं ?" और घेर लिया स्टेज को। इस के बाद मान्यवर, मैं ने हाथ जोड़े उस सब-इन्स्पेक्टर से निवेदन किया कि मैं पूर्वी अचल का रहने वाला हूं, मैं मेहमान बन कर तुम्हारे यहां आया हूं। यह डी० एम० और एस० पी० आदेश दे चुके हैं, अपने अधिकारियों की बात का पालन करो। उन्होंने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों को कुछ नहीं जानता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा संक्षेप में कहिये।

श्री रघुवीर—

उन्होंने कहा कि मैं खुद अधिकारी हूं और उस के बाद गुलाम हुसैन के नारा लगाने के बाद कहा कि मैं इन को गिरफ्तार करूंगा। मैं ने कहा कि कर लीजिये। तो वह दफा १४४ में लाउड स्पीकर को लेकर चले गये और गुलाम हुसैन खां को ले गये। पब्लिक मीटिंग चलती रही। ४ आदमी हम से पहिले बोल चुके थे। इस के बाद मैं तकरीर कर रहा था। मान्यवर, मैं ने इतना ही कहा कि "आजकल के ऐसे कर्मचारी हैं जो कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने डी० एम० और एस० पी० के आदेश का उल्लघन किया। मैं ने हाथ जोड़ कर उन से निवेदन किया, तब भी उस आदमी को गिरफ्तार कर ले गये। ऐसे ही लोग सरकार को बदनाम करते हैं और इसी वजह से राहजनी और चोरी-डकैती बढ़ती जा रही है। उस में अगर पुलिस सतर्कता बरते, कुत्ते की तरह अपनी ड्यूटी दे तब यह चीज रुक सकती है।"

श्री अध्यक्ष—

आप बहस न करें, प्रश्न कीजिये।

श्री रघुवीर—

मैं एक सेकेंड लूंगा। इस के बाद वह फौरन स्टेज पर पहुंच गये और कहा कि "तुम कुत्ते हो"। एक दफा नहीं, १० दफा इस बात को कहा।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा बयान करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री रघुवीर—

तो माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उन को इस की जानकारी है कि जिस वक्त मैं बोल रहा था, तो एस० ओ० ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे कहा कि तुम कुत्ते हो, तब भी मैंने उन से कहा कि मुझे तकरीर कर लेने दो ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने पढ़ दी, उस में यह बात नहीं लिखी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य ने जो यहां पर बयान किया उस को देखते हुये तथा इस बात कोभी ध्यान में रखते हुये कि इस सदन के माननीय सदस्य की मर्यादा कायम रहे, क्या माननीय मन्त्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच कर के फिर से कोई बयान इस सदन में देने की कृपा करेंगे, क्योंकि उन को मीटिंग करने की इजाजत मिली हुई थी और लाउड स्पीकर जब हटा लिया गया, बिना लाउड स्पीकर के जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, और कोई ब्रीच आफ पीस नहीं थी, तब उन को गिरफ्तार क्यों किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं इन्वेस्टिगेशन स्वयं नहीं करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय रघुवीर राम के खिलाफ दूसरी पार्टी कौन थी वहां पर ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो सूचना मेरे पास है उस में यह है कि माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सी बुरी-बुरी बातें कहीं, जो मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता और उनको कह कर वे दरोगा की तरफ जाने लगे तो उन्होंने पकड़ लिया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या यह सही है कि माननीय सदस्य जिस स्थान पर मीटिंग कर रहे थे वह थाने की सीमा के अन्दर था, इसलिए मना किया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन झगड़ा तो लाउड स्पीकर पर हुआ। दरोगा ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं है, इसी पर उन लोगों की नाराजगी हुई।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो मीटिंग की जा रही थी वह वहां की पुलिस की धांधली के खिलाफ की जा रही थी ? यह चूंकि उन के खिलाफ की जा रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पुलिस को कुछ रोष आता। तो लाउड स्पीकर पर बोलने वाला जब गिरफ्तार होकर थाने में लाया गया, तब अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस को कौन-सी जरूरत थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दिया कि चूंकि लाउड स्पीकर पर बोलने की इजाजत आप को नहीं थी और आप बोलना चाहते थे, इसलिए लाउडस्पीकर ले लिया और उन को पकड़ कर के थानेदार ले गये थाने पर, इससे आप को नाराजगी हुई और मीटिंग में आपने उसका इजहार किया और ऐसी बातें हुयीं कि जिस से दारोगा को यह खयाल हुआ . . .

श्री चन्द्रजीत यादव—

तो क्या कोई मीटिंग में बोल नहीं सकता ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आप तो मुझ को यहां नहीं बोलने दे रहे हैं वहां दारोगा का क्या हाल किया होगा ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जब लाउडस्पीकर पुलिस छीन कर ले गयी, उस के बाद श्री रघुवीर राम कितनी देर तक भाषण करते रहे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है। रघुवीर राम जी बाद में भाषण करते रहे और भाषण में उन्होंने दारोगा को गालियां भी दीं और यह कहा कि इन की जबान पकड़कर खींच लो और दारोगा की तरफ बढ़ने लगे तो दारोगा ने पकड़ लिया।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दफा १५१ जो है वह सिर्फ कागनिजेबिल आफेंसेज के लिए है, उसमें दरोगा किन्हीं दो पार्टियों को गिरफ्तार कर सकता है जहां ऐप्रिहेंसन

हो कि ब्रीच आफ पीस होगा, तो कौन सा कागनिजेबिल आफेंस वहां बना और कौन-कौन सी दो पार्टीज थीं कि जिनके दर्मियान ब्रीच आफ पीस का खतरा था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो कानूनी सवाल है।

श्री कमलासिंह यादव---

नहीं तो, श्रीमन्, वह गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय कमलासिंह जी, अगर किसी कानून की अवहेलना हुई है तो अदालत में उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, यहां नहीं।

श्री कमलासिंह यादव---

तो दूसरी पार्टी तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष---

वह अदालत में हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मन्त्री जी को पता है कि इस सदन की परिपाटी यह रही है और माननीय खेर साहब और आप भी रूलिंग दे चुके हैं कि यदि सरकार के मन्त्री कलेक्टर या एस० पी० की रिपोर्ट को देखकर कहते हैं और एक सम्मानित सदस्य जिस पर बीती हो, या जिस ने स्वयं देखा हो, वह कह रहा हो तो यह रूलिंग हो चुकी है कि बरीयता दी जायगी उस सदस्य की बात को जिसने कि स्वयं देखा है। तो वह तो भुक्तभोगी हैं और यह निर्णय यहां अनेकों बार हो चुका है। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन की बात अपेक्षाकृत अधिकारियों के सही मानी जाती है। हमारे रघुवीर राम जी पर बीती हुई बात है और वह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप को अधिकार हो या न हो, लेकिन ऐसे भी आप को जांच करके या विशेषज्ञ से जानकारी करा कर, स्पष्ट मालूमात कर लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आपका मतलब है कि विशेष जानकारी कर लें। माननीय गृह मन्त्री जी आग्रह यह है कि विशेष जांच करा ली जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह---

जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, इस सदन के अन्दर जितनी बातें कही जाती हैं, आप ठीक कहते हैं, वह परम्परा है कि अगर कोई माननीय सदस्य कहता है, तो उसको ठीक मान लेते हैं। मैं भी ठीक मान लेता हूं। लेकिन इस सदन के बाहर, यह कोई परम्परा भी नहीं है कि इसको ठीक ही माना जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिसा सीतापुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि धारा १०७ के अन्तर्गत तभी कार्यवाही की जाती है, जब वहां पर उन से कोई सुरक्षा को लगातार खतरा बना हो और उसके अन्तर्गत माननीय सदस्य को बराबर वहां पेशी पर जाना पड़ेगा। माननीय सदस्य वहां से सम्बन्धित नहीं हैं तो माननीय मन्त्री जी धारा १०७ की कार्यवाही, उनके विरुद्ध वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आप ने एसाल्ट किया, तो शायद धारा ३३२ आई० पी० सी० वगैरह भी उसमें होती है, उसमें कार्यवाही हो रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप ने धारा १०७/११७ की बात कही। तो चूंकि सदस्य से वहां कोई खतरा नहीं है, इसलिए माननीय मन्त्री जी १०७/११७ की कार्यवाही, उनके खिलाफ वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इनका कहना है कि १०७/११७ तो शांति भंग न हो, इसलिए होता है और चूंकि माननीय सदस्य वहां के रहने वाले नहीं हैं, तो १०७/११७ की जो कार्यवाही है उसको निरस्त किया जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, श्री रघुबीर राम पर १०७/११७ और ३५३ हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आप देखें कि माननीय मन्त्री जी ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य दिया है, उस पर विरोधी पक्ष सवाल कर रहा है। आप देखें कि ३ बयान उन्होंने दिये और तीनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। पहले यह कहा---जो बयान पढ़कर सुनाया, उसमें बताया कि उत्तेजनात्मक भाषण थानेदार के खिलाफ दिया, इसलिए थानेदार ने गिरफ्तार किया। दूसरे जवाब में कहा कि जबान निकाल लो और बढ़े, जब झगड़ा हुआ, तब उनको गिरफ्तार किया। और तीसरी बात कह रहे थे कि लाउड-स्पीकर की इजाजत को। तो किस बयान को आधार मानकर माननीय सदस्य सवाल करें ? हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप मुझ से व्यवस्था मांगेंगे, तो मैं यही बताऊंगा कि बिलकुल ठीक है। हर एक स्टेज पर यह होता गया, पहली चोज हुई, फिर दूसरी हुई।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मेरा उत्तर दिलवा दीजिए कि १०७/११७ को वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो कह रहे हैं कि नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

तो नहीं हो कहलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, फिर पूछ लीजिएगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, हमको यह बड़ी तकलीफ है कि सदन की परम्परा होते हुए और आपको रूलिंग दे हो चुकने पर भी माननीय हर गोविंदसिंह जी के मानने पर भी, अगर इस प्रकार का व्यवहार होता रहेगा और मंत्रिगण सही छानबीन की यदि कोशिश नहीं करेंगे तो हमको बहुत तकलीफ

होती है और इसलिए मैं पांच मिनट के लिए सदन छोड़ना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपने व्यवहार में अन्तर लायेंगे ।

(संयुक्त ससाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवान् सहाय—

श्रीमन्, इस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे हमें दुख पहुंचा है। उसके प्रोटेस्ट में मैं और मेरा दल इस सदन का त्याग करता है।

(निर्दलीय दल के सदस्य पांच मिनट के लिए सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री झारखण्डे राय—

अभी माननीय गृह मंत्री ने जो रवैया दिखलाया है उससे हमें तकलीफ हुई है और मैं उसका घोर विरोध करता हूं । हम समझते थे कि चूंकि सदन के एक माननीय सदस्य की बात थी हम इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं । मंत्री जी ने कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मंडल से कहा था कि जो बयान आवेगा उसके बाद वे सोचेंगे परन्तु यहां पर उल्टा रवैया है । माननीय सदस्य सूबेदारसिंह जिला फर्रूखाबाद के हैं, उनके यहां भी असंतोष बढ़ रहा है । क्या माननीय मंत्री इतना विश्वास नहीं दिला सकते थे कि एक उच्च अधिकारी को जांच करने के लिए भेजेंगे ? यदि इतनी उदारता भी नहीं दिखला सकते तो हमें इसका खेद है और हम इसका विरोध करते हैं । यह फासिस्ट पुलिस मंत्री का रवैया है और विरोध स्वरूप सदन का परित्याग करते हैं ।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं अधिक नहीं कहना चाहता । अगर श्रीमन्, ऐसी ही मर्यादा सदन में रही जो दिखलाई गई है, उससे हमें क्षोभ है । इसीलिए मैं दो मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, इस पूरे प्रदेश में जो प्रजातांत्रिक परंपराओं पर विश्सास करने वाले लोग हैं उनके दिल पर इस प्रकार के व्यवहार से हार्दिक दुख हुआ होगा । हमारे मंत्री पुलिस अफसरों के हाथ में खेल रहे हैं यह बड़े शर्म की बात है । मैं अपने दल की ओर से इसीलिए सदन का त्याग करता हूं ।

(रिपब्लिकन दल के सदस्य पांच मिनट के लिए सदन त्याग कर चले गये ।)

कार्यवृत्त में अशुद्धि के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना देनी है कि कल माननीय दीपनारायणसिंह जी ने इस सदन में भाषण दिया था किन्तु कुछ असावधानी के कारण उनका नाम कार्यवृत्त में नहीं छपा । उसके लिए खेद है । उसे दुरुस्त कर दिया जायगा ।

लोक-लेखा-समिति, प्राक्कलन समिति तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह देनी है कि, माननीय संसदीय मंत्री ध्यानपूर्वक सुन लें, लोक लेखा समिति के २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य और मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५

[श्री अध्यक्ष]

स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६–१६ सदस्यों के निर्वाचनों के हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया गया है ।

(१) नाम–निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय––२५ मार्च, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक ।

(२) नाम–निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा––२७ मार्च, १९६५ को १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में) ।

(३) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय––२ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक ।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो––दिनांक ७ अप्रैल, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)––

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि आज तो सदन स्थगित हो रहा है, फिर २२ मार्च को सदन बैठेगा । इस तरह से २५ तारीख तक इन सब कमेटियों के नामांकन के लिए केवल दो-तीन दिन ही मिलते हैं । क्योंकि हमें विरोधी पक्ष के सब लोगों से मिल कर भी इस संबंध में बात करनी होगी, इसलिए इसमें बड़ी कठिनाई होगी । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नामांकन के लिए अगर एक हफ्ते का समय और बढ़ा दें तो बेहतर होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)––

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि वे इस बात का आश्वासन दे दें कि यह चुनाव हो जायेंगे, तो ५–७ दिन समय बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ जायगा, जैसा वे कहते हैं आप एक हफ्ते के लिए समय बढ़ा दें । क्योंकि चुनाव न होने से कमेटियों को काम करने में बड़ी असुविधा होती है, इसलिए ये चुनाव अवश्य हो जाने चाहिए ।

श्री बनारसीदास––

कम से कम एक हफ्ते का समय बढ़ा दें नामांकन के लिए और जरूरत होगी तो चुनाव हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष––

तो अब इस तरह से हो जायगा––

(१) नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय––२९ मार्च, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक ।

(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा––१ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में) ।

(३) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय––५ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक ।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो––८ अप्रैल, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे को बीच होगा ।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"चूंकि सहायक सत्र न्यायाधीश, गोंडा द्वारा श्री बलदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा से संबंधित विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही तथा लेख्यों की मांग पर विचार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को ११ फरवरी, १९६५ को निर्दिष्ट किया गया था ;

श्री बृजभूषणशरण, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री टम्बेश्वरप्रसाद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध माननीय अध्यक्ष के प्रति आक्षेपात्मक शब्दों के प्रयोग करने के संबंध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को १८ फरवरी, १९६५ को निर्दिष्ट किया गया था ;

श्री सूबेदारसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गोपाल कृष्ण बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को २४ फरवरी, १९६५ को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिए विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था, किंतु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकी ;

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० अप्रैल, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय ।"

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशषाधिकार समिति में जिस शब्द का मेरे द्वारा प्रयोग होने के ऊपर माननीय बृजभूषण शरण जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है और उसमें उस शब्द को असंसदीय नहीं कहा गया है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संबंध में विशेषाधिकार का जो प्रश्न समिति के सामने है, उसकी रिपोर्ट के लिए समय बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है । इसलिए आप कृपा करके उसको वापस ले लें और यदि आवश्यक हो तो सदन में ही उस पर विचार कर लें । माननीय बृजभूषण शरण जी से इस संबंध में मैंने बातचीत की है और उस शब्द का प्रयोग माननीय मैनेजरसिंह ने किया था, जिसका मैं फिर जिक्र नहीं करना चाहता । मैं समझता हूं कि श्री बृजभूषण शरण जी से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिये था । आप उसे कृपया वापस ले लें । यह पूरा सदन उस पर विचार करे उस शब्द के बारे में । समिति की राय जानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात माननीय सदस्य विशेषाधिकार समिति के समक्ष रख सकते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उस शब्द के बारे में आ चुका है । श्री बृजभूषण शरण इसके सदस्य हैं । वे खड़े हो कर कह दें कि यह बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं वह मुझे स्वीकार नहीं है। अब आप बैठें। आप लिख कर भेजेंगे तो मैं उसे देखूंगा। इस समय नहीं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

फर्रुखाबाद के पुलिस कप्तान के संबंध में जो समिति ने समय बढ़ाने की लिए मांग की है मेरा निवदन है कि वह समय न बढ़ाया जाय। इसे या तो वापस करा दिया जाय या खत्म करा दिया जाय क्योंकि पुलिस विभाग पर इस तरह से नियंत्रण रखा जायगा तो उसका हौसला पस्त हो जायगा। उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के सभापति ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है उसे स्वीकार किया जाय कि विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० अप्रैल, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इसके संबंध में रूलिंग भी हो चुकी है कि सदन के सदस्य कोई बात कहते हैं तो सही मानी जायगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उसे सदन के अन्दर सही मानूंगा, लेकिन बाहर नहीं मानूंगा। तो इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। इसलिए मैं इसका नोटिस देता हूं।

सदस्यों द्वारा लिखित सुझावों को कार्यवाही का अंग बनाये जाने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल माननीय उपाध्यक्ष जब पीठासीन थे तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि जो माननीय सदस्य यहां न बोल पायें हों वे लिख कर दे सकते हैं और वह कार्यवाही का अंग बन जायगा। तो उस परंपरा को यदि आप भी ठीक समझते हैं तो हम लोग लिखकर भेज दिया करें यहां आने के बजाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

कल तक के लिए ही ऐसा किया था।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने वह प्रश्न आयेगा तो देखूंगा।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

श्री प्रध्यक्ष—

परिवहन मंत्री अनुदान संख्या ४२ पहले प्रस्तुत करेंगे। उस पर विवाद नहीं होगा। बाद में दोनों अनुदान एक साथ पेश करेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २५,४५,००० रुपये की मांग, सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२-राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २५,४५,००० रुपये की मांग, सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९-परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत २६,९०,७५,३०० रुपये की मांग, सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,५५,९०,९०० रुपये की मांग, सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की इक्तसादी तरक्की में परिवहन विभाग की अपनी एक अहमियत है। इसके जरिये जहां एक तरफ हमारे सूबे की जनता को आमदरफ्त की सहूलियत मिलती है वहां दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले चन्द सालों में रोडवेज सेवाओं का इस सूबे में काफी विस्तार हुआ है और इसके जरिए प्रदेश की जनता की सेवा हुई है। हालांकि इस विभाग को कारोबारी विभाग के तौर पर चलाया जाता है और इसके नफे से प्रदेश के बजट में बराबर मदद मिलती है, फिर भी हम इस बात को भी मद्दे नजर रखें कि बाजार के व्यापारी की तरह जनता की सहूलियतों को नजरन्दाज करके सिर्फ नफा कमाना ही हमारा मकसद नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। उसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

लिखित नहीं है। वह नोट्स देख रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

वे नोट्स नहीं हैं। लिखित भाषण से पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको नहीं मालूम, वे नोट्स ही हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—

आप देखेंगे कि जनता की सहूलियत के लिए कहीं-कहीं घाटा उठा कर भी सरकार को इन सेवाओं को चलाना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भले ही बाजार

[श्री मुजफ्फर हसन]

भाव के कारण इन सेवाओं का खर्चा बढ़ जाय लेकिन आम जनता पर उसका कम से कम बोझ पड़े। यही वजह है कि जिस निस्बत से सेवाओं को चलने में खर्च बढ़ा है उसी निस्बत से किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी। मैंने ये बातें शुरू में इसीलिए अर्ज कर दीं कि नफे तथा नुकसान पर विचार करते समय माननीय सदस्य इन बातों को ध्यान में रखें। जो मांगें मैंने पेश की हैं उनमें परिवहन विभाग की कुल वोटेड रकम २७,३९,०३,३०० रुपये है जिस में ४८,२८,००० रुपये का कैपिटल खर्चा है और २६,९०,७५,३०० रुपये का रेवेन्यू खर्चा है। रेवेन्यू खर्चे की रकम में से नेशनलाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट पर २३,४८,८४,००० रुपये की मंजूरी मांगी जा रही है और बाकी रोड फंड और परिवहन विभाग की दूसरी शाखाओं के लिए है। रोडवेज शाखा में ८,०१,०२,५०० रुपये की वसूली भी होनी है जिससे खर्चे में इतनी ही कमी हो जायगी।

विभाग के कामों की तफसील के बारे में जो किताब माननीय सदस्यों को बांटी गयी है उसमें उन्होंने देखा होगा कि रोडवेज की दिन व दिन तरक्की हुई और रोडवेज की बसों की तादाद बढ़ी है। सितम्बर, १९६४ तक इस सूबे की ७५९ सड़कों पर रोडवेज की ३,४७१ बसें और लगभग २५ हजार आदमियों को उनसे रोजगार मिला हुआ है। रोडवेज की बसों से सफर करने लगीं करने वालों की तादाद मार्च, ६० में ११,२५,८७,७९५ थी जो मार्च, ६४ तक बढ़ कर १७,८३,३७,६४८ हो गयी। जहां तक रोडवेज की मार्ली हालत का ताल्लुक है, वह काफी मजबूत है। ३१ मार्च, १९६४ तक कुल पूंजी की लागत १६,६०,१८,३२६ रुपये थी। उस वक्त तक रोडवेज ने १५,४०,२८,१२५ रुपये का खालिस मुनाफा दे दिया था। इस के अलावा ७,७८,४५,५४२ रुपये का डिप्रिशियेशन रिजर्व फंड था। ९,५५,७८,१४० रुपये की मिल्कियत रोडवेज के पास थी। अगर यह मिल्कियत आज के बाजार के भाव में जोड़ी जाय तो इसकी रकम और भी काफी बढ़ जायगी। सन १९६२-६३ के मुकाबले में १९६३-६४ में २५,२७,७३५ रुपये मुनाफा कम हुआ जिसकी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजिल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण हमें ४७,००,००० रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में हमें ३० लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ा और टायर और ट्यूब की कीमत बढ़ने की वजह से ३ लाख रुपया और सर्फ हुआ। इस तरह से ८० लाख रुपये का खर्चे में इजाफा हुआ। अगर यह रकम भी मुनाफे में जोड़ी जाय तो मुनाफा १९६२-६३ के मुकाबले में १९६३-६४ में बढ़ जाता है।

बसों का ठीक समय पर चलना, दुर्घटनायें, ब्रेकडाउन्स, पेट्रोल, बैटरी, टायर वगैरह के खर्च का औसत भी संतोषजनक रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काफी तरक्की हुई है। प्राइवेट गाड़ियों की तादाद बढ़ी है। साथ ही पड़ोसी स्टेट्स से मुआहिदे किये गये हैं जिन के मातहत कई इंटर स्टेट रूट्स पर इस प्रदेश की गाड़ियां चल रही हैं जिससे जनता को सहूलियत मिल रही है।

कुछ नयी मदों के लिए भी इस बजट में प्राविजन किया गया है। उनमें से एक रोडवेज के लिए इमारतें बनाना और जमीन लेने के लिए भी २४ लाख ७३ हजार रुपया रखा गया है। वर्कशाप को मशीनों वगैरह की खरीदारी के लिए ६ लाख ५५ हजार रुपये की रकम रखी गयी है। फर्नीचर के लिए २ लाख की रकम रखी गयी है। बस स्टेशनों के लिए १२ लाउड स्पीकर्स खरीदे जायेंगे जिन के लिए १४,४०० रुपया का प्राविजन है। पैसेंजर टैक्स सुपरेंटेंडेंट की वरदी के लिए १०,८०० रुपये की रकम रखी गयी है। इसके अलावा ५०० मील सड़कों पर रोडवेज की और बसें चलेंगी और ३०० नयी गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए खरीदी जाने की तजवीज है। माननीय सदस्य जानते हैं कि खुशकिस्मती से इस प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं कि जहां देश के कोने-कोने से यात्री आते हैं और विदेशों से भी यात्री आते हैं। उन्हें सहूलियत पहुंचाने के लिए आगरा, बनारस, हरिद्वार और नैनीताल में टूरिस्ट आफिस कायम किये गये हैं। रानीखेत, कोटद्वारा, श्रीनगर, देहरादून और अयोध्या में सब टूरिस्ट आफिस, सब ब्योरो और काठगोदाम और अल्मोड़ा और ऋषिकेश में रिसेप्शन सेंटर खोले गये हैं। मसूरी

में भी गर्मियों में रिसेप्शन सेंटर कायम किया जाता है। आगरा, बनारस और अयोध्या में टूरिस्ट बंगले भी बनाये गये हैं। दिल्ली और आगरा के बीच एयर कंडीशन्ड बसें चलायी जाती हैं और किसी-किसी जगह पर टूरिस्ट टैक्सीज रखी गयी हैं। पिछले दिनों इमरजेंसी के कारण इस काम में कुछ ढिलाई करनी पड़ी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाने की कोशिश फिर से हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहां आ सकें। रोडवेज में जो कुछ तरक्की हुई उसका ज्यादा तर क्रेडिट विभाग के उन तमाम कर्मचारियों को है जो दिन रात मेहनत करते हैं। सरकार की बराबर यह कोशिश रहती है कि कर्मचारियों को मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट और दूसरे लेबर-लाज के मातहत जो सहूलियतें मिलनी चाहिये वह दी जायं। यह भी कोशिश की गयी है कि विभाग में काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मुस्तकिल कर दिया जाय। पिछले ३ सालों में काफी लोग मुस्तकिल किये गये हैं और इस साल भी किये जायेंगे। कर्मचारियों के लिए काम के घन्टे मुकर्रर हैं और ज्यादा काम करने पर उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है। अच्छे काम के लिए इनाम भी मुकर्रर है। करप्शन की शिकायत न हो इस के लिए चेकिंग स्टाफ को मजबूत किया गया है। इन सब बातों के बावजूद मैं यह दावा नहीं करता कि विभाग को चलाने में कोई खामी नहीं रह गयी है। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो भी कमी सामने आती है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। सरकार यह इरादा रखती है कि यह सेवायें सूबे की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर और मुफीद साबित हों। इस मकसद की कामयाबी के लिए माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इन मांगों को मंजूर करेगा।

लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वावधान में होने वाले भाषणों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना भूल गया था कि २२ तारीख से हमारी अगली बैठक होगी इस दौरान में दो, तीन भाषण होने वाले हैं। हमारे लेजिस्लेचर ग्रुप में डाक्टर लोहिया आ रहे हैं। अभी तिथि उन्होंने निश्चित नहीं की है। लेकिन वह उसी सप्ताह में आयेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

बहुत सम्भव है कि वह २९ तारीख को आवें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या २४, २५ को नारायणदत्त तिवारी जी का भाषण है ?

श्री अध्यक्ष—

वही मैं बतला रहा हूं। २२ तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का है। विषय है "आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप जो भारतीय प्रवृत्तियों के अनुकूल सिद्ध हो।" उसके बाद है २४ तारीख को माननीय नारायणदत्त तिवारी, भतपूर्व एम० एल० ए० का। वह अमेरीका से आये हैं और २९ तारीख को, जैसा अभी कहा, डाक्टर लोहिया का है।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३९—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९ तथा अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

श्रीमन्, मैंने मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। मेरी बात अगर इधर के और उधर के माननीय सदस्यगण सुनेंगे तो अवश्य उससे सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रीमन् मंत्री जी ने इस विभाग में लाभ ही लाभ बताया है। बड़ा मुनाफा हुआ है। सही है।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए)

श्रीमन्, मुनाफा है और उसका सही उपयोग नहीं है। मैं समझता हूं कि विभाग की मशीन सही नहीं चल रही है। वह ऊपर से नीचे तक बिलकुल खराब मशीन है। मंत्री जी से ले कर जनरल मैनेजर और कमिश्नर तक सारी मशीन खराब हो चुकी है। अब वह खराब कैसे हुई वही मैं बतलाना चाहता हूं। श्रीमन्, एक मसानी कमेटी बनी थी और एक नियोगी कमेटी बनी थी। मसानी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गयी। उसने बतलाया कि इसके लिए एक केंद्रीय कारपोरेशन बनाया जाय और फिर उस के साथ-साथ एक प्रांतीय बोर्ड बनाया जाय। उसमें सरकार और मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो और उनकी सलाह से सारा काम-काज चले। श्रीमन्, मध्य प्रदेश की सरकार तैयार हुई, आन्ध्र की सरकार भी तैयार हुयी, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार हमारे जो सामने है और जिसके सामने हर वक्त रोजाना यहां एक हंगामा मचता है, उस सरकार ने एक सही बात को भी नहीं माना। अगर केन्द्रीय बोर्ड बनता है और उसके साथ-साथ प्रान्तीय बोर्ड बन जाता है और मजदूरों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाता है तो फिर केन्द्रीय कर्मचारियों और प्रान्तीय कर्मचारियों और इस विभाग के कर्मचारियों में इतनी बड़ी असमानता न होती। सवाल है सिद्धान्त का, लड़ाई है सिद्धान्त की, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कोई बम नहीं फेका जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो सुन्दर है।

श्री लखीसिंह—

कहां तो श्रीमन्, भुवनेश्वर का समाजवाद, कहां दुर्गापुर का समाजवाद और कहां हमारे माननीय मंत्री (रोडवेज) का समाजवाद। मुझे बड़ा अफसोस है, क्या बताऊं मैं आपको। कैसा यह समाजवाद है। यह तो समाजवाद टंगा रखा है। यह समाजवाद माननीय मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जनरल मैनेजर साहब द्वारा टंगा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि २५ हजार मजदूर इस विभाग में काम करते हैं, जहां पर २५ हजार मजदूर काम करते हों, तो इस उत्पादन को कौन बढ़ा रहा है, इस मुनाफे को कौन बढ़ा रहा है? श्रीमन्, मजदूर बढ़ा रहे हैं। इस मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा होना चाहिये। इसका नाम है समाजवाद। यदि नहीं जानते हो तो समाजवाद के स्कूल में आकर पढो। श्रीमन्, ये समाजवाद जानें क्या? यह मुजफ्फर साहब की फैक्ट्री चल रही है। माननीय मंत्री जी का एक कारखाना चल रहा है। कहते हैं इसका राष्ट्रीयकरण होगा। क्या राष्ट्रीयकरण होगा? ऐसे कारखाने बिरला चलाता है, टाटा चलाता है, विमल चलाता है और अनेकों व्यक्ति चलाते हैं। उनके भी मजदूर हैं। माननीय मंत्री जी से ज्यादा लाभ वे भी कमाते हैं। वे भी डबल-डबल मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन उनके मजदूरों को काफी बोनस दिया जाता है।

इन्होंने कहा कि हमारे यहां २५ हजार मजदूर काम करते हैं पर जहां तक मैं समझ पाया हूं मुश्किल से इन्होंने १२ या १३ प्रतिशत मजदूर स्थायी किये हैं बाकी अस्थायी पड़े हुए हैं, टेम्पोरेरी पड़े हुये हैं। माननीय मुजफ्फर साहब हमारे एक बुजुर्ग मंत्री हैं जिनसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने इसी सदन में आश्वासन दिया था १९६२-६३ के बजट के अनुदान के समय, मेरे पास सारी तहरीर है कि जिन कर्मचारियों को तीन साल से ज्यादा काम करते-करते हो जायेंगे, उनको हम स्थायी यानी मुस्तकिल कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं—माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से एक जी० ओ० नम्बर ४२०८—ए—११—५—६४

निकला है। लेकिन श्रीमन्, इस जी० ओ० को भी ठुकरा दिया गया है। इसके अलावा जाड़े निकल चुके हैं और कर्मचारियों को तथा ड्राइवरों को अभी तक वर्दी नहीं मिली है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है और अगर किसी को वर्दी मिली भी है तो कोट के ऊपर वाला कपड़ा दे दिया गया है और नीचे का स्तर नहीं दिया गया है। वाह रे मंत्री जी, आपका लाभ। इसको थोड़ी अकल रखने वाला भी सुन कर हंसेगा।

श्रीमन्, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्य प्रदेशों में गवर्नमेंट रोडवेज चलती हैं। मध्य प्रदेश में चलती हैं, पंजाब में चलती हैं, मदरास में चलती हैं और आंध्र प्रदेश में चलती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि सब जगह चलती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को परिवार सहित फ्री पास देती है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यानी मंत्री जी की रोडवेज कोई पास नहीं देती है। फिर हम कैसे समझें कि उत्तर प्रदेश की रोडवेज प्रगति की ओर जा रही है ?

श्रीमन्, मुझे एक किताब मिली है। उसमें मुझे कहीं प्रगति दिखाई नहीं देती है। रोडवेज के डाक्टर साहब माननीय उग्रसेन जी भी इस समय आ गये हैं। शुद्ध लाभ इस विभाग का मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं। १९५९-६० में इस विभाग का २ करोड़ ३ लाख १७ हजार ६३५ रु० है, यानी २४.८७ प्रतिशत है और १९६०-६१ में २ करोड़ १४ लाख ६९ हजार ८७७ रुपये यानी २३.७ प्रतिशत है। १९६१-६२ में २ करोड़ १३ लाख ६० हजार ४५९ रुपये हैं यानी २०.३ प्रतिशत है, १९६२-६३ में २ करोड़ ११ लाख ६६ हजार ४०३ रुपये है यानी १८.३ प्रतिशत है और श्रीमन्, १९६३-६४ में इस विभाग का शुद्ध लाभ १ करोड़ ८६ लाख ३८ हजार ६६६ रुपये है यानी १५.९५ प्रतिशत है। श्रीमन्, मेरे अन्दाजे में, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इस विभाग का शुद्ध लाभ भी बराबर घटता ही चला गया है।

अब यहां पर भ्रष्टाचार की बात बहुत होती है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। माननीय गयाप्रसाद जी ने हुरमुजी बेगम और न जाने क्या-क्या कहा। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और उसे कहने में कभी हिचकता भी नहीं हूं। श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां यह विभाग चल रहा है और जहां डबल भ्रष्टाचार है, डबल, हल्का-वल्का नहीं। इतना डबल भ्रष्टाचार है और उसकी वजह यह है कि प्राइवेट बस चला रखी हैं। कांग्रेसियों को परमिट दिये जाते हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़, मुझे जहां तक मालूम है, रोडवेज गाड़ी चल गयी, यह खुशी की बात है। वहां तो चल गयी, लेकिन नैनीताल रोडवेज चलाई अफसरों के ऐशो-आराम के लिये, जनता को उस से कोई फायदा नहीं। अफसर जायें नैनीताल की हवा खाने के लिये। अब वहां ज्यादा से ज्यादा ऐक्सीडेन्ट होते हैं और श्रीमन्, यह कमेटी बनायी गयी, जो हमारे अध्यक्ष हैं विधान सभा के, उन्होंने भी सलाह दी कि यहां यह प्राइवेट बस हटा कर रोडवेज की बस चलाई जायं, लेकिन हमारी सरकार ने वह भी नहीं माना। वह क्यों नहीं माना ? उसमें एक बड़ा भारी विशेष कारण है, जिसकी यहां सदन में भी चर्चा हुई है। वहां तिब्बत की सीमायें पर्वतीय क्षेत्र में मिलती हैं और वहां जो प्राइवेट बसें चलती हैं, उन बसों के द्वारा ही तस्कर व्यापार हमारे यहां होता है। इन प्राइवेट बसों के द्वारा हमारे भारतवर्ष से सामग्री तिब्बत से चीन पहुंचती है यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ? यह भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ? श्रीमन्, कांग्रेस के जो नरेश और भाट जो हैं, जो इनको वोट दिलाते हैं, जो इनको मंत्री बनाते हैं वह कर रहे हैं। श्रीमन्, यह भी नहीं, हर रीजन में एक कमेटी बना रखी है, परमिट देने वालों की, और उसमें अब तक तो कुछ कांग्रेसी एम०एल०ए० महोदय रहते थे। अब हमारे आगरा में तो कमिश्नर, आर० टी० ओ० और एक मंत्री महोदय के पिता को रख दिया है और वही परमिट दे रहे हैं। गुप्ता जी डिप्टी मिनिस्टर के पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता जी को रख कर उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब मैं ज्यादा भंडाफोड़ नहीं करना चाहता हूं। नहीं तो जैसे कल आवेश में आकर मंत्री जी ने मिसिल फेंकी थी, वैसे ही मंत्री जी मिसिल फेंक देंगे। इसलिये वह मैं नही कहना चाहता। मैं तो मंत्री जी को

[श्री लक्खीसिंह]

केवल बुजुर्ग के नाते बतलाना चाहता हूं आप इस पर कंट्रोल करो। यदि नहीं कर सकते हो तो त्यागपत्र दे कर हट जाओ और इस विभाग के लिये कोई दूसरा मंत्री आवे। इस विभाग के लिये तो कोई तगड़ा मंत्री होना चाहिये। आप मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से तो मिल लेते हो, जनरल मैनेजर से मिल लेते हो, परामर्श कर लेते हो। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें भी देखा है कि जो २५ हजार मजदूर हैं ? क्या आपने कभी उनके दुख दर्द की भी कहानी सुनी ?

श्रीमन्, हमारे पास बहुत से सुझाव आये हैं, जिन्हें मैं पिछले समय में दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वर्दी का आदेश उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा ११ मई, १९६४ को ही दे दिया गया था परन्तु कर्मचारियों को इस लाभ से समस्त जाड़े खत्म हो जाने तक वंचित रहना पड़ा और अभी तक विभाग राज्यपाल के उस आदेश की अवहेलना कर रहा है जो कि असमानता के रूप में है।

कार्य परिषदों का निर्माण—सरकार और कर्मचारियों के बीच पंच फैसले के निर्माण को मान लिया गया था, परन्तु अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। यह मंत्री जी का आश्वासन है जो उन्होंने दिया है।

वेतन आयोग की नियुक्ति—इस मांग पर पूर्ण आश्वासन दिया गया था २० दिसम्बर, १९६४ को, केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा भी मेरठ में यूनियन के सप्तम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये समर्थन किया गया था, परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

बोनस—शुद्ध लाभ वाले विभाग में सरकार से बोनस की सिफारिश की गयी थी। इसके लिये भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों ? इस तरह से कभी राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता, यह तो तानाशाहीकरण और सरकारीकरण है।

कर्मचारियों का स्थायीकरण—नौकरियों का स्थायीकरण—जब परिवहन मंत्री उन समस्त कर्मचारियों को स्थायी करने का आश्वासन दे चुके हैं जिनकी नौकरी की अवधि ३ साल की समाप्त हो चुकी हो, यह सूचना 'अमर उजाला' अखबार में ९ सितम्बर, १९६२ को और ६२-६३ के अनुदान के उत्तर में मंत्री जी द्वारा दी गयी थी, परन्तु आज तक विभाग में ३ साल तो क्या १०-१० साल के ऐसे कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया।

धुलाई भत्ता—कर्मचारियों को २ रुपया प्रतिमाह अप्रैल, सन् ६२ से मिलना चाहिये था वह अप्रैल, सन् १९६३ से दिया गया। यह क्यों ?

वर्दी की सिलाई का भत्ता—इसमें भी असमानता है। उसको समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था। ए० टी० आई० को २५ रुपये सिलाई भत्ता और ड्राइवर, कंडक्टरों को इससे कुछ कम ही दिया जा रहा है। क्या उनके कोट नहीं सिलेंगे ? सिलाई वाले मामले में भी असमानता अनुचित है।

ड्राइवर तथा कन्डक्टर के रात्रि भत्ते मे अन्तर—यह समान रूप से देना स्वीकार किया गया था, परन्तु अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा कंडक्टर को रनिंग स्टाफ होने के नाते यात्रा का भत्ता ड्यूटी करते समय मिलना चाहिये जब वह अपने हेडक्वार्टर से अलग रहता है।

कर्मचारियों की चिकित्सा—विभाग द्वारा होनी चाहिये। यह नहीं की जाती। उदाहरणार्थ जगदीश प्रसाद, मैकेनिक, मथुरा टी० बी०, मरीज हैं, शंकर लाल के ड्राइवर, अलीगढ़ मानसिक रोग से ग्रस्त हैं तथा राम खिलाड़ी, ड्राइवर, आगरा, भी एक बुरी तरह से रोग से ग्रस्त हैं। इन लोगों के उचित इलाज का प्रबन्ध सरकार नहीं करती है।

बिना कारण बताये नौकरी से पृथक करना—जब कि उच्च न्यायालय द्वारा श्री अजब लाल ड्राइवर, शिकोहाबाद के केस में यह न्याय मिल चुका है कि बिना कारण बताये नौकरी से अलग नहीं करना चाहिये, परन्तु अभी तक इस विषय पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी है। मैं थोड़ीसी बातें अपनी तरफ की बताना चाहता हूं। एक दिन एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि आगरा रीजन में बिना पुर्जे के ५२ प्रतिशत बसें खराब पड़ी हैं, मेरठ रीजन में ५० प्रतिशत खराब पड़ी हैं और कानपुर रीजन में भी खराब पड़ी हैं और गोरखपुर रीजन में भी खराब पड़ी हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन में कितनी बसें खराब पड़ी हैं, तो मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी मंत्री जी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना पड़ता है कि जब आगरा रीजन में खराब पड़ी हैं, बिना पुर्जे की पड़ी हैं और मेरठ रीजन में बिना पुर्जे की खराब पड़ी हैं, गोरखपुर रीजन में बिना पुर्जे की खराब पड़ी हैं, कानपुर रीजन में बिना पुर्जे की खराब पड़ी हैं और मैं तो यहां तक कहता हूं कि बिना पुर्जे के ही नहीं, बल्कि मथुरा रोडवेज में बिना बैटरी के गाड़ियां पड़ी हैं। उनमें बैटरी है ही नहीं। ड्राइवर रात में अन्धेरे में गाड़ी चलाता है, तो गाड़ियां टकरा जाती हैं और यहां मंत्री जी और जनरल मैनेजर मजा करते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप दौरे पर जाते हैं तो किसी रीजन में देखा है कि क्या हालत है? वे देखते नहीं और हिसाब-किताब देखने की उनको फुरसत नहीं है। मंत्री जी देखें भी कहां से, बेचारे बुजुर्ग हैं। मैं जब उनको टेलीफोन करता हूं कि तो जवाब मिलता है कि भजन कर रहे हैं। वे कांग्रेस में हैं उनको ज्यादा भजन करना भी चाहिये। कांग्रेस में ज्यादा पाप करते हैं तो वे भजन नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तो जब टेलीफोन करता हूं तो जवाब मिलता है कि इबादत कर रहे हैं। मंत्री जी भजन करें, हम भी भजन करते हैं, लेकिन उसका टाइम होता है। आप ईश्वर का भजन करें, खुदा का भजन करें, लेकिन उस मजदूर की तरफ भी देखें जिसको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है। उस तरफ कदम उठायें।

मैं आपसे कहां तक बताऊं। स्टेशन बनाये जाते हैं, वह कैसे बनते हैं। अव्वल तो बनाये ही नहीं जाते हैं और अगर बनाये गये तो उनका प्लान ही नहीं होता है। न टट्टी का इन्तजाम है और न कोई यात्रियों के ठहरने के लिये आवासगृह है। रेलवे में कोई आदमी जाय तो उसके सामान को जमा करने का इन्तजाम होता है। लेकिन आपके यहां कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि जहां पर यात्री अपने सामान को जमा कर सकें। श्रीमन्, बद्रीनाथ की यात्रा के लिये पहाड़ी क्षेत्र के दर्शन के लिये मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बम्बई तथा आन्ध्रप्रदेश से यात्री आते हैं, परन्तु वह इस बात में बदनाम करते हैं कि उनको सेवा सुविधा नहीं मिलती है और यह जो प्राइवेट लारी हैं वे तस्कर व्यापार में लगी रहती हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि एक भी प्राइवेट ट्रक या बस न चले। सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और तगड़ेपन से करना चाहिये। अगर हमारी सरकार समाजवादी है तो उसको समाजवाद की तरफ अपना कदम उठाना चाहिये। टैक्सी रहे, लेकिन प्राइवेट कारों को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। जो किराया बढ़ाया गया है वह किराया भी कम होना चाहिये जिस से आपके विभाग की तारीफ हो। श्रीमन्, यह नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इनके पास टैक्सी हैं, लेकिन मथुरा जैसे स्थान में एक जीप भेजी है रोडवेज की, मैंने भी इस जीप को लिया था, लेकिन कोई भी मेरी मंजिल वह पूरी नहीं कर पायी। रास्ते में ही पड़ी रही। यह मथुरा की बात आपको बतलाना चाहता हूं। मथुरा जैसे तीर्थ स्थान में कम से कम दो टैक्सी होनी चाहिये। क्योंकि वहां यात्री लोग आते हैं। आप लोग भी मथुरा में वृन्दावन, बरसाना और नन्दगांव को देखने के लिये जाते होंगे, इसलिये मेरी बातों का समर्थन करेंगे।

(पुनः लाल बत्ती जलने पर)

मैं अभी समाप्त करता हूं थोड़ी सी बात कह कर के। मैं मंत्री जी से अब आखिरी बात कहना चाहता हूं। सुझाव बाद में दे दूंगा। अभी सुझाव नहीं दिये हैं। मैं ऐसे सुझाव नहीं लाया हूं कि बिड़ला वाली पूंजी में से ज्यादा खर्च हो जाए,

[श्री लखीसिंह]

ऐसे सुझाव लाया हूं कि ज्यादा खर्च न हो और आपका काम अच्छा हो जाय, लेकिन आप किसी दूसरे लार्ड को न बिठला दें, आप स्वयं मौजूद रहियेगा। जिस से हमारी कटौती अच्छी शान्ति-पूर्वक चल सके। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह ढूंढ ढूंढ करके मसाले लावें और अच्छी तरह से इस विभाग को खटखटायें, क्योंकि इसी को एक समाजवादी विभाग बताते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट अनुदान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनाब वाला, किसी चीज के शुरू करने में जो दिक्कतें और मुसीबतें पेश आती हैं वह ज्यों-ज्यों तरक्की की तरफ उसके कदम बढ़ते जाते हैं, खराबी दूर होती जाती है। । एक वक्त यू० पी० में वह था जब कि तखइयुल दिमाग से आया कि यहां ट्रांसपोर्ट का मुहकमा कायम हो जाय और जो प्राइवेट बसें हैं उनके बजाय सरकारी बसें चलने लगें। उस वक्त पंत जी के जमाने में काफी सूबों में हलचल मची। समझदार लोगों की बड़ी मुश्किल से राय हमवार की गयी और यह बात सब की समझ में आयी कि इस स्टेट के मफाद और हित में है कि अगर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया जाय तो अवाम को सहूलियत पैदा होगी और सरकारी तरीके से उसे एक योजना के साथ चलाया जा सकेगा। बड़ी दिक्कतों के बाद, गुफ्तो-शुनीद के बाद यह मामला तय हुआ और यू० पी० में यह ट्रांसपोर्ट का मुहकमा कायम हुआ और कुछ लाइन्स पर प्राइवेट बसों की जगह रोडवेज की बसें चलनी शुरू हुईं। आपने देखा होगा कि जहां पर रोडवेज की बसें चलती हैं और जिस जगह प्राइवेट बसें चलती हैं तो जहां प्राइवेट बसें चलती हैं वहां कितनी शिकायतें होती हैं। ओवरलोडिंग की और किराया ज्यादा होने की शिकायतें होती हैं। वजह यह है कि एक प्राइवेट विजनेस है और एक सरकारी स्वार्थ है। सरकारी स्वार्थ वहीं तक रहेगा जहां तक जाब्ते और कायदे की बात है। पहले लोगों को खयाल था कि शायद ही यह मुहकमा कामयाब हो। उस वक्त मैकेनिकल हेंड्स की कमी थी, ड्राइवर्स और इस फन में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी थी। बस अड्डे बनाने में भी दिक्कतें सामने आयीं लेकिन ज्यों-ज्यों सरकार ने तवज्जह की और लोगों की हमदर्दी और तावुन उनके साथ लगा, आज देखते-देखते हमारे सामने बस के अड्डे भी कायम हैं, वहां पर पेशाब-पाखाने की जगहें बन गयी हैं, रात को रहने की सहूलियतें भी मौजूद हैं, रनिंग रूम्स ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिये हो गये हैं और मुसाफिरों के सामान रखने के लिये जगह हो गयी है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि ऐसी जगहें हैं जहां स्टेशन नहीं बने और लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अगर सारा काम यकलख्त तकमील हो जाय तो आप शिकायत काहे की करते? जब तक इंसान की जिन्दगी बाकी है काम की तकमील होती रहेगी शिकायतें आती रहेंगी और दूर होती रहेंगी और अच्छाइयां पैदा होती रहेंगी। एक इंसान को बना-बनाया घर अपने वालदेन की तरफ से मिलता है जिसमें उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का सामान होता है, मगर फिर भी रोज मर्रा की जरूरियात नयी-नयी उसके सामने आती ही रहती है। इसी तरीके से जो कि सरकारी मुहकमा है उसमें भी रोज नयी सांइन्टिफिक ईजादों के मुताबिक जरूरतें पेश आती हैं। तो कल की चीजें आउट-आफ-डेट हो सकती हैं। तरक्की का जमाना है, रोजमर्रा नयी-नयी चीजों की जरूरत पड़ती है।

यह कहा गया कि टाटा-बिड़ला का जमाना है। मैं लखीसिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वह तो उनकी जाती पूंजी है, उससे जो उन्हें नफा मिल जायगा वह उनकी पूंजी रहेगी और जो उससे बचेगा वह मजदूरों के पास जायेगा और मजदूरों को कम मिलेगा। लेकिन जो नफा सरकार के यहां जाता है वह विकास कार्य में खर्च होता है। गवर्नमेंट के और सींगों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देखिये । ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में कहां की आमदनी है, वहां तो बल्कि और मुहकमों की आमदनी से निकाल कर उसमें खर्च करना पड़ता है । ट्रांसपोर्ट और एक्साइज के मुहकमें हैं उन्हीं की आमदनी से निकाल कर इन विभागों पर खर्च किया जाता है क्योंकि वह पब्लिक के मफाद के लिये हैं, उनसे कोई आमदनी सरकार को नहीं होती । एक जगह तो आपको शिकायत है कि मजदूरी बढा दी जाय, तनख्वाह बढ़ा दी जाय और यह भी शिकायत है कि किराया न बढ़ाया जाय ? यह कैसे मुमकिन है । जब गिरानी का हवाला देते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिये मजदूरों को पैसा देने के लिये आखिर कहां से आवे ? कोई यहां टकशाल तो है नहीं, न कोई जादू का डंडा है कि पैसा बनाते रहो और तकसीम करते रहो । इस तरह से किसी स्टेट का काम चलने वाला नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि माननीय उप-मंत्री जी वहां गैलरी के लोगों से बात-चीत कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उपमंत्री जी, ऐसा करना ठीक नहीं है । (श्री अहमदबख्श से) आप जारी रखें ।

श्री अहमद बख्श--

तो आपको इस बात का खयाल रखना चाहिये कि जो बात आप कह रहे हैं अमली जिन्दगी में उसका कहां तक साथ देते हैं । कहने के लिये तो हर चीज बड़ी आसानी से कही जा सकती है । बड़े लोगों ने कहा है कि जबान के सामने बड़ा वसीय मैदान होता है, उससे ज्यादा वसीय मैदान कहीं नहीं होता है, जो चाहे कह दो । लेकिन अगर उसी जबान को सोच समझ कर और संतुलन के साथ, कुछ ऐतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाय तो उससे बहुत फायदा हो सकता है और अगर गलत बात कहने से परहेज किया जाय तो उससे अगर फायदा नहीं होगा तो भी हम नुक्सान से बच जाते हैं ।

उसी के साथ-साथ आगे चल कर आप देखेंगे कि हम वर्कशाप कायम कर रहे हैं । जो दिक्कतें आयीं, मसलन टेक्निकल हैंड्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी आज पिछले सालों के मुकाबले में तरक्की हुई है । रोडवेज के अड्डे और मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट में तरक्की हुई है । ड्राइवरों की मांगें पूरी हो ती जा रही हैं । कम से कम यह तो तसल्ली है कि हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है । यह इस बात की रोशन शहादत है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तनज्जुली की तरफ नहीं जा रहे हैं । तरक्की के बारे में नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, दृष्टिकोण में फर्क तो हमेशा चलता रहेगा । इसी का नाम प्रजातंत्र है, जम्हूरियत है । सबके नजरिये मुत्तफिक हो जायं, यह तो न कभी हुआ है न होगा । हमें इख्तलाफ से नहीं घबराना चाहिये । इख्तलाफ न उठें तो हमें सही रास्ता कैसे मालूम होगा ? मुखालिफत बुरी है, इख्तलाफ अच्छी चीज है (लाल बत्ती होने पर) ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ समय और चाहूंगा, लखीसिंह तो ३० मिनट बोले हैं । मैं यह चीज भी रखना चाहूंगा कि जब रोडवेज में कुछ सड़कें ली जायें तो यह इत्मिनान किया जाय कि एक तरफ से ली जायं । यह नहीं होना चाहिये कि एक मशरिक में ले ली, एक मगरिब में ले ली । उससे कार्य करने में दिक्कत पेश आती हैं । इसलिये एक तरफ से लेना चाहिये मुजफ्फरनगर से एक सड़क सहारनपुर को जा रही है, एक रुड़की को जा रही है और वहां एक हरिद्वार के लिये है, लेकिन सहारनपुर सड़क पर रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, जब कि रुड़की सड़क पर चल रही है । मेरा सुझाव यह है कि आप इस तरह से सड़कों को लें जिससे आस-पास की सभी सड़कें कवर हो जायं । इससे बड़ी आसानी होगी और पब्लिक को राहत पहुंचेगी । जो भी आगे आप रोडवेज की बसें चलायें उसमें इस बात का ध्यान रखें ।

[श्री अहमद बख्श]

स्पेयर पार्ट्स की दिक्कतों का जहां तक सवाल है, उसके संबंध में भी एक गुजारिश आपसे कर देना चाहता हूं । एक वर्कशाप ऐसी है जहां स्पेयर पार्ट्स की कमी है और उसकी वजह से वहां का काम रुका हुआ पड़ा है, जब कि दूसरी जगह ऐसी भी हैं जहां यह पार्ट्स स्पेयर पड़े हुये हैं, बेकार पड़े हैं । इसलिये आपको यह इन्फार्मेशन हर जगह से मंगाना चाहिये कि कहां-कहां पर स्पेयर पार्ट्स बेकार पड़े हैं । उनकी जहां पर जरूरत हो, वहां उनको भेजा जाना चाहिये । इससे काम में जो देरी होती है यह नहीं हो पायेगी, काम जल्दी हो पायेगा ।

सदर मुकाम पर रोडवेज का एक टाइम टेबिल होना चाहिये । बाज दफा ऐसा देखा गया है कि रेल का टाइम कुछ और होता है और रोडवेज की गाड़ियों के छूटने का टाइम कुछ और होता है, इससे बड़ी दिक्कत सामने आती हैं ।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आर० टी० ए० कमेटी की तरफ दिलाना चाहता हूं । पहले भी यह कमेटी हुआ करती थी और अब भी है । पहले इस कमेटी में पी० डब्लू० डी० का एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर होता था, एक कमिश्नर होता था जो उस कमेटी का चेयरमैन होता था, एक डी० एम० होता था, आर० टी० ओ० होता था, और दो नान आफिशियल मेम्बर होते थे । अब उस कमेटी को बहुत छोटा कर दिया गया है और उसमें तीन मेम्बर कर दिये गये हैं । मैं यह नहीं कहता कि वह किसी नेकनीयती से नहीं किया गया है, मगर यह गुजारिश करूंगा कि ऐसा करने से काम में रुकावट पड़ी है। आज अगर कमिश्नर साहब मौजूद नहीं होते हैं तो मीटिंग नहीं हो पाती है । पहले पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर को इसलिये रखा गया था कि अगर कोई यह कहता था कि फलां जगह सड़क नहीं बनी है, तो वह इस बात को बता सकता था कि सड़क वहां पर बनी है या नहीं । दूसरे जब कमिश्नर नहीं होता था तो उसकी जगह डी० एम० आफिशिएट कर सकता था और कमेटी का काम नहीं रुकता था । दो नान आफिशियल मेम्बर इसलिये रखे गये थे कि अगर किसी वजह से एक नहीं मौजूद हो पाता था तो कम से कम दूसरा रहता था । आज क्या होता है ? आज एक मेम्बर होता हैं, वह अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो उसकी गैरहाजरी में ही कमेटी के आफिशियल मेम्बर ही जैसा जी में आता है फैसला कर लेते हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि इस कमेटी के मेम्बरों को कम करके जो काम हुआ है वह खराब हुआ है ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है, आप काफी टाइम ले चुके हैं ।

श्री अहमद बख्श—

बस दो मिनट का टाइम और दे दिया जाय । जो वैकेन्सी होती है, उनके लिये एक टाइम फिक्स हो जाना चाहिये कि इतने समय के अन्दर उस रूट को परमिट दे दिया जाय । अगर कहीं किसी रूट के लिये कोई जगह खाली होती है तो उस पर परमिट देने के प्रश्न पर विचार करने में कभी-कभी ७—७ वर्ष तक लग जाते हैं । इससे बड़ी दिक्कतें सामने आती है .....

श्री अधिष्ठाता—

आपके १५ मिनट हो चुके हैं, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, आपकी बातें लिखी नहीं जा रही हैं, इसलिये कोई फायदा नहीं और बोलने से । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अहमद बख्श—

बस दो मिनट और लूंगा ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

आपने कहा कि माननीय सदस्य की बातें लिखी नहीं जा रही हैं, तो वह हो क्या रहा है, ऐसे बोलने से क्या फायदा ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको बता दूं कि इतनी तेज स्पीड से बोल रहे हैं कि मुझे सूचना मिली है कि वह लिखना बड़ा कठिन हो गया है । दिक्कत हो रही है लिखनें में, वैसे लिखने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अहमद बख्श—

टेम्परेरी परमिट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रीजन के हेडक्वाटर से वह दिया जाता है । इसमें बड़ी दिक्कत होती है । हमारा मेरठ डिवीजन दो रीजन्स में पड़ता है । मैं प्रार्थना करूंगा कि यह टेम्परेरी परमिट्स देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को होना चाहिये ।

*श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय लखीसिंह द्वारा पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आलोचना पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन परिवहन विभाग की अनियमितताओं के संबंध में अवश्य कुछ बातें कहना चाहता हूं । बसें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, उनसे लाखों रुपये की आमदनी भी होती है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है । परन्तु इन बसों से मुसाफिरों और कर्मचारियों का संबंध है । बस स्टेशनों पर हमने देखा है कि मुसाफिरों के लिये कोई सुविधा नहीं है । पानी बरस रहा है और उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त रोशनी का, बिजली का प्रबन्ध भी नहीं है । रात के अंधेरे में सामान बचाने में और अच्छी तरह से बैठने में रोशनी न होने की वजह से बड़ी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, पीने के पानी के लिये बहुत से स्टेशन ऐसे हैं कि जहां न हैंड पाइप है, न कुआं है । मुसाफिरों को पानी तक नहीं मिलता है ।

बसें ऐसे रास्तों पर चलती हैं जहां ट्रेनें भी चलती हैं । जहां ट्रेनें नहीं चलतीं उन रास्तों पर बसें भी बहुत कम चलती पायी गई हैं । मैं मंत्री जी से प्राथना करूंगा कि बसें उन रास्तों पर अधिक मात्रा में चलायी जायं जहां पर कि ट्रेनों की सुविधा नहीं है ।

बसों की रफ्तार चाहे वह मेल हों, चाहे पैसेन्जर हों, बहुत कम है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेल बसों की रफ्तार कुछ अधिक की जाय । सीतापुर और लखनऊ के बीच में अधिकतर बसें जो चलती हैं वह मेल होती हैं, मुश्किल से दो चार बसें ऐसी चलती हैं जो पैसेन्जर हैं इसका नतीजा यह होता है कि मुसाफिरों को बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है और उनको बसें नहीं मिलतीं । तो पैसेन्जर बसें और ज्यादा चलायी जायं ।

रोडवेज के अन्दर आदेश सेवा का कार्य उसके कर्मचारी करते हैं, लेकिन कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स से बहुत अधिक ड्यूटी ली जाती है । बीच में जो उनको रेस्ट मिलता है वह ड्यूटी में नहीं जोड़ा जाता । यह बड़ी भारी अनियमितता है । वह बेचारे सुबह ६ बजे घर से निकलते और रात के आठ दस बजे पहुंचते हैं लेकिन उनकी ड्यूटी आठ घंटे की ही मानी जाती है । मैं निवेदन करूंगा कि उनकी ड्यूटी ठीक तरह से जोड़ी जाय और इसमें कमी की जाय ।

इसके अतिरिक्त हजारों कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं । कई बार उनके लिये यह कहा गया कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को स्थायी किया जायगा, लेकिन ज्यादातर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुबलाल (लखनऊ)]

हमने यह देखा है कि कर्मचारी टी० सी० सेक्शन में रहते हैं उनको यह भी पता नहीं रहता कि कब वह सर्विस से निकाले जायेंगे और कब रखे जायेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को जो पुराने हो गये हैं, या जिनकी तीन साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है, उनको स्थायी किया जाय ।

जहां तक वर्दी का सवाल है जाड़े की वर्दियां आजकल गर्मियों में उनको दी जा रही हैं । यह बहुत ही गड़बड़ी की बात है कि जाड़ा तो वह किसी तरह तकलीफ के साथ काट डालें और फिर गर्मियों में उनको वर्दियां जाड़े की दी जायं । यह कहां तक ठीक हो सकता है ? इसके अलावा जो दूसरे स्टाफ काम करते हैं, ६ बजे सबेरे से रात के १० बजे तक, उनको भी वर्दी देना चाहिये, क्योंकि वह भी बेचारे जाड़े में काम करने आते हैं, एक ही तरह से उनका भी समय बीतता है, जिस तरह से कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का बीतता है ।

इसके अतिरिक्त हम यह भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के भत्तों में बड़ा अन्तर है । नाइट हाल्ट में ड्राइवर्स को १ रुपया भत्ता दिया जाता है, और कंडक्टर्स को १२ आने दिया जाता है । दोनों को बराबर ही भत्ता दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये खपड़ैल के कमरे बनाये गये थे, परन्तु पता नहीं क्यों, उन लोगों को वे कमरे न देकर वहां के उच्च अधिकारियों को वे कमरे दिये गये हैं, जबकि वहां कानपुर की स्थिति मकानों के बारे में ऐसी है कि उन गरीब बेचारों के लिये बड़ी मुश्किल पड़ जाती है । तीस, चालीस या पचास रुपये के हिसाब से कमरे वहां पर मिलते हैं, तो वहां पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जिसको कि ५०-६० रुपया वेतन मिलता है, कैसे किराये के मकानों में रह सकेगा । इसीलिये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो कमरे वहां पर बनवाये गये हैं, वह उन्हें दीजिये, क्योंकि उन्हीं के नाम पर अनुदान मांगकर वे कमरे बनाये गये हैं ।

मान्यवर, लीव वैकेन्सी वाले कंडक्टर और ड्राइवर वगैरह जो हैं, उनको प्रतिदिन हाजिरी के लिये बुलाया जाता है, इसलिये ऐसी स्थिति में हम तो समझते हैं कि उनको वेतन और भत्ता देना चाहिये, जिससे कि वे अपना भरण-पोषण कर सकें । उनके लिये भी वेतन और भत्ता की व्यवस्था होनी चाहिये । कंडक्टर्स, ड्राइवर्स और उनके अलावा जो और भी कर्मचारी हैं, उनका पी० एफ० जो कटता है, वह सालों तक कटता रहता है, उनको पता नहीं चलता है कि उनका कितना पैसा जमा हुआ है । इसलिये हम आपसे निवेदन करेंगे कि वार्षिक टोटल जो उनका हो, वह जरूर मालूम होना चाहिये, चाहे किसी ढंग से उनको इत्तला दी जाय ।

मान्यवर, हमने देखा है कि बस कर्मचारियों को किसी तरह से पास की व्यवस्था नहीं मिलती है, जब कि रेलवे में उनके परिवार को पास मिलता है । वे हिन्दुस्तान में कहीं भी आ सकते हैं । इसी तरह से हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बस कर्मचारियों के लिये भी यह सुविधा मिलनी चाहिये । उनको उनके परिवार का पास मिलना चाहिये जिससे कि वे अपने परिवार सहित पास से प्रान्त के किसी भी क्षेत्र में जा सकें ।

मान्यवर, बस से अन्दर फर्स्ट एड बाक्स रखने की जो व्यवस्था है वह आमतौर से तो बसों में मिलता ही नहीं है और जहां होता भी है, उनमें दवाइयां नहीं होती हैं । इसलिये हम आप से निवेदन करेंगे कि फर्स्ट एड बाक्स के संबंध में दवाइयों का इंतजाम किया जाय और थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाय । किसी कन्डक्टर को यह भी नहीं मालूम है कि पट्टी किस तरह से बांधी जाती है, सर्टिफिकेट वह चाहें कहीं से भले ही ले आये हों । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कन्डक्टर को २० दिन के बजाय ३ महीने की ट्रेनिंग दी जाय और उनको बाकायदे, छात्रवृत्ति दी जाय, जिससे कि वे अच्छी तरह से काम कर सकें और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा सकें ।

यही हमने नहीं देखा है कि रोडवेज के कर्मचारियों में जो पुराने हैं, उनको तो मेडिकल, कैजुअल और अर्न लीव दी जाती है, परन्तु जो नये कर्मचारी हैं, उनको अर्नलीव बिलकुल नहीं दी जाती है, और मेडिकल लीव भी बहुत कम दी जाती है । अर्न लीव १८ दिन की दी जाती है । कैजुअल लीव तो सबके लिये आवश्यक है, पता नहीं, कब किसी पर कैसी मुसीबत और आवश्यकता पड़ जाय। इलाहाबाद में एक तहसील है झाझन जहां पर रोडवेज की कोई बस नहीं है, उसमें न कोई प्राइवेट ही बस चलती है ।

श्री मुजफ्फर हसन---

इलाहाबाद में झांझन कोई तहसील नहीं है ।

श्री सुखलाल (लखनऊ)---

मंझनपुर है ।

श्री अधिष्ठाता---

वे कह रहे हैं कि वहां रोडवेज नहीं चलती है ।

श्री सुखलाल (लखनऊ)---

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया था कि कई बसें बेकार पड़ी हुई हैं परन्तु उन्होंने इलाहाबाद के संबंध में कोई चर्चा नहीं की । श्रीमन्, वह तो मंत्री महोदय का स्वयं का क्षेत्र है। मेरा निवेदन है कि वे वहां भी इसकी व्यवस्था करें ताकि वहां के यात्रियों को भी सुविधा प्राप्त हो ।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि रोडवेज ड्राइवर्स का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें उन्हें पढ़ाकर टेस्ट लिया जाता है और जिसके कारण कई ड्राइवर्स इसी कारण फेल कर दिये गये हैं । इसके बारे में तमाम चिट्ठियां भेजी गई हैं सरकार के पास परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला है । इसलिये श्रीमन्, हमारा निवेदन है कि उनकी इस प्रकार की डाक्टरी नहीं होनी चाहिये । उनके लिये तो यह काफी है कि वे सामने देख सकें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, इस अनुदान का समर्थन करते हुये सबसे पहले मैं लखीसिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपने स्वभाव में परिवर्तन करके अपनी प्रकृति के विपरीत भाषण दिया है । मान्यवर, शासन की व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि शासन के जो अंग हैं और प्रमुख कार्य हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो गौण होते हैं और कुछ प्रमुख। विशेषकर जो प्रशासकीय विषय हैं उनको हम प्रमुखता का स्थान देंगे और कुछ ऐसे विषय हैं, जिनको हम गौण कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि परिवहन विभाग उस गौण के अन्तर्गत आता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बसन्त लाल जी ने लखीसिंह जी के चरित्र के बारे में जो आदेश दिया है कि पहले कुछ था, और आज परिवर्तन पाया गया है, उसके लिये धन्यवाद दिया। तो श्रीमन्, क्या कोई माननीय सदस्य के चरित्र पर इस प्रकार आक्षेप कर सकता है ?

श्री बसन्तलाल शर्मा---

श्री कमलासिंह जी, मैं तो उनको धन्यवाद दे रहा था उनके चरित्र पर मेरा कोई आक्षेप नहीं था, यह आपका भ्रम है ।

[श्री बसंतलाल शर्मा]

तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह विभाग भी महत्वपूर्ण विभाग है । जब हमारे देश के अन्दर जागृति बढ़ रही है और प्रत्येक व्यक्ति की आवागमन की आवश्यकतायें बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए इस विभाग की महत्ता और भी बढ़ जाती है । रेल की यात्रा में एक दो कठिनाइयां थीं उनको अनुभव करते हुए हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री और तत्कालीन यहां के परिवहन मंत्री ने इस योजना का संचालन और प्रारम्भ किया था । जब हम इस सम्मानित सदन के प्रत्येक सदस्य के इस संबंध के भाषणों पर ध्यान देते हैं तो उससे यह सिद्ध है कि वास्तव में यह विभाग धन्यवाद का पात्र है और इस विभाग से संबंधित जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वास्तव में मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, हम इस विभाग द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ा पाये हैं और साथ ही जनता को जो सुख सुविधा प्राप्त हुई है वह भी किसी से छिपी नहीं है ।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए ।)

इन सब बातों के साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि विभाग की व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी देखरेख में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करके भी सुचारुता लाई जा सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये । आज जो यात्री रोडवेज की बसों में सवार होते हैं वे अपना सामान ऊपर लाद देते हैं और उनको अपने गन्तव्य स्थान से पहले उन उन स्थानों पर बराबर उतरते रहने की आवश्यकता पड़ती है, जहां-जहां बस रुकती है, कि कहीं उनका कोई सूट केस या अटैची उतार न ले। इसके लिये विभाग की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कन्डक्टर उसके सामान की रसीद यात्रियों को दे और जब सामान गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाय तो वह संबंधित यात्री को रसीद के मुताबिक सौंपा जा सके। यह कठिनाई आज अनुभव होती है और वह सामने आती है ।

दूसरा सुझाव मुझे टिकट वितरण के संबंध में भी देना है। टिकट वितरण के लिये हम देखते हैं कि प्रत्येक बस स्टेशन पर एक छोटा सा होल बना होता है जिसमें एक हाथ के ऊपर कोई दूसरा हाथ अपना डाल दे तो हाथ निकालने में बड़ी दिक्कत होती है । इतने दिनों से जब यह विभाग चल रहा है तो इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग के बस स्टेशन बनाये जायं और उन पर टिकटों के वितरण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। टिकट वितरण के संबंध में समय-समय पर शिकायतें की गयी हैं और यहां से सरक्यूलेशन भी जारी हुआ लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गयी है। आज यदि किसी विधायक को नये स्थान की यात्रा में जाना पड़ता है, तो वहां टिकट मिलने में उनकी जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं माननीय मंत्री का तथा उत्तरदायी अधिकारी वर्ग का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि टिकट वितरण की व्यवस्था सही और सुखद होनी चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था---यदि मैं भूलता नहीं हूं तो---पंजाब की तरह से यहां भी टिकट छपवा देंगे जिस के ऊपर ही टैक्स का टिकट लगा होगा, लेकिन खेद की बात है कि आज तक वह व्यवस्था ठीक नहीं हो पायी । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राइवेट बसें चलती हैं उन पर यात्रियों से टैक्स तो टिकट के मूल्य के साथ वसूल कर लिया जाता है लेकिन उसे कंडक्टर जहां भी चाहते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं इससे पब्लिक की जेब से पैसा तो निकल ही जाता है पर सरकारी पैसे का नुकसान होता है । इस तरह से जो टैक्स दिया जाता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। यदि टिकट पर टैक्स छपा हुआ हो तो गलत पैसा लेने पर एतराज हो सकता है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिये इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जब दिनों दिन हम इस विभाग के द्वारा लाभ उठा रहे हैं और जनता को सुख पहुंचा रहे हैं जिससे यह विभाग प्रशंसा का पात्र है । आज आवश्यकता इस बात की है कि गुड्स यानी माल का आगमन भी इस विभाग के ट्रकों द्वारा हो।

आज बहुत सी प्राइवेट ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां हैं जो माल के आवागमन से एक अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं। अतः विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि विभाग द्वारा ट्रकों से मालों का आवागमन शुरू किया जाय और इस तरह की सुव्यवस्था हो जिस से गन्तव्य स्थान पर माल सुरक्षित रूप से पहुंच सके। इस सेवा के द्वारा विभाग अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेगा।

अब मैं एक बात अपने जिले बहराइच के बारे में कहना चाहता हूं। बहराइच में हमारे रोडवेज की बसें जरवलरोड, लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा से जो आने वाली और जाने वाली हैं, उन की संख्या सैकड़ों की तादाद में हो जाती है, किन्तु वहां पर उन की मरम्मत के लिए साधन नहीं है। यदि कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो बलरामपुर से मेकैनिक आता है और उसको ठीक करता है तब गाड़ी चलती है वरना वहीं पर गाड़ी पड़ी रहती है। इसलिए वहां साधारण रिपेयर के कुछ साधन अवश्य होने चाहिये। इसके अलावा वहां पर पेट्रोल या डीजल आयल सप्लाई के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी को पेट्रोल या डीजल आयल लेने के लिए गोंडा या बलरामपुर जाना पड़ता है। अगर संयोगवश वह खतम हो जाता है, तो गाड़ी खड़ी रहती है और जब गोंडा या बलरामपुर से वह आता है तब गाड़ी चलती है। इस तरह की जो दुर्व्यवस्था है वह हट जानी चाहिये और इस के लिए कोई स्थानीय व्यवस्था हो होनी चाहिये।

इसके अलावा एक बात और यह है कि वहां बिजली के होते हुये भी कपूरथला भवन के इतने बड़े आंगन में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य के लिए सब से आवश्यक मल-मूत्र का त्यागना होता है, लेकिन इस के लिए भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है। एक टूटा हुआ पाखाना है और पेशाब करने तक के लिए कोई उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई स्त्री यात्री वहां पेशाब करना चाहती है तो उस की जो दयनीय दशा होती है वह कहने के योग्य नहीं है। इस के बारे में पहले भी कई बार सुझाव दिये गये, लेकिन उस के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।

जहां तक एम० एल० एज० की बस द्वारा यात्रा करने की बात है, उनको इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि जहां भी वे चाहें गाड़ी को रोक ले और जगह हो तो उनको बैठने का स्थान बस में अवश्य दिया जाय। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि उन्हें कोरा उत्तर मिलता है। इसकी शिकायत जी० एम० और कमिश्नर से की जाती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सबको सरकार ने रेल द्वारा यात्रा करने की सुविधायें दी हैं। रेलवे कूपन्स के जरिये आज हम चलते हैं जिसकी सारी रेवेन्यू केन्द्रीय सरकार को जाती है, हमारे शासन को उस से कुछ लाभ नहीं होता। जब हमारे पास आवागमन का साधन है तो मैं चाहूंगा कि रोडवेज के कूपन्स भी हम को दिये जाने चाहिये। मुझे नानपारा जाने के लिए गोंडा हो कर १३८ मील चलना पड़ता है जब कि रोडवेज द्वारा जरवल रोड से उतर कर बाया कैसरगंज जाता हूं तो ९६ मील ही पड़ता ह। रेलवे का प्रथम श्रेणी का जो किराया है वह मोटर के प्रथम श्रेणी के किराये से बहुत ज्यादा है। अब जिन को रेल मार्ग से जाने में असुविधा होती है तो वह मेरी राय में एक प्रकार से धन का दुरुपयोग है और एक तरह से प्रदेशीय आय की हानि करते हैं। इस लिए मैं चाहूंगा कि रोडवेज के कूपन्स हम को दिये जायं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जहां हम को आवश्यकता होगी, वहीं उनका प्रयोग करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय लखीसिंह को पुनः धन्यवाद देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि जवाब देते समय भी वह अपना इसी तरह से मड रखेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैं माननीय लखीसिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मई, १९४७ में सर्वप्रथम रोडवेज का प्रादुर्भाव हुआ और आज रोडवेज कहां है इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कुछ आधारभूत प्रश्नों की ओर मन्त्री जो का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कहां रोडवेज है? भई, १९४७ में दो-चार सड़कें ले लो गयीं, यह इतिहास है रोडवेज का, और यह निर्विवाद है कि हर चीज का इतिहास होना चाहिये। सरकार के पास बाढ़ का इतिहास नहीं है इसलिए सरकार बाढ़ रोकने में असमर्थ है। १०-५ सड़कें ले लो गयीं और उन पर गाड़ियां चलायी गयीं। गाड़ी कुछ दूर जब आगे गयी, तो पता चला कि कच्ची सड़क है इसलिए वहीं गाड़ी रोक दी गयी। फिर पता चला कि गाड़ी बिगड़ गयी, तो यह हुआ कि मेन्टेनेंस डिपो होना चाहिये। फिर यह हुआ कि कर्मचारी ज्यादा चाहिये। इंग्लैण्ड में इस के बिलकुल बरअक्स हुआ, कर्मशालायें बनीं, सड़कें बनायी गयीं, कर्मचारियों के आवास स्थान, उन के विश्रामगृह बनाये गये, उन का बोना हो गया तब गाड़ियां चलीं। जब यह गाड़ियां बम्बई में, जी० एम० आई० के यहां बन रहीं थीं, तो मैं वहीं सामने रहता था। उस समय मैं कहता था कि हम जब जायेंगे, तो इन पर बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ कि सब नट, बोल्ट एक ही महीने में ढीले हो गये। मन्त्री जी, आप ही के आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। १९६३-६४ में ९ करोड़ कुछ लाख की पूंजी पर, अगर इस पूंजी को १०, ११ करोड़ भी मान लिया जाय तो इतनी पूंजी पर मिश्रित लाभ जो हुआ, वह ४,७५,८०,०९७ रु० है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

बड़ी अच्छी सरकार है

श्री उग्रसेन---

माननीय गेंदा सिंह कह रहेहैं कि बहुत अच्छी सरकार है। आप ही नहीं, इस से पहले डाक्टर सीताराम भी गांवों में जाकर कहते थे कि हम तो कमाते हैं और दूसरों को देते हैं। एक लाख मील गाड़ी चलने के बाद उस की कीमत १ रु० हो जाती है। अगर ड्राइवर या कन्डक्टर उसको अपने घर लेकर चला जाय तो चोरी में नाम नहीं लिखाया जा सकता है, क्योंकि उतना पैसा कोई भी दे देगा जिसका भी नाम ड्राइवर या कन्डक्टर ले देगा। तो मैं कह रहा था कि सारी कमाई २२ हजार लोगों की है, लेकिन उन की क्या दिक्कतें हैं, इस लाभांश का उनको भी कुछ मिलता है कि नहीं, इस को कोई देखने वाला नहीं है। माननीय लखी सिंह ने बताया कि मसानी कमेटी और नियोगी कमेटी की रपट आयी और केन्द्रीय सरकार तथा कुछ प्रदेशीय सरकार तथा परिवहन विभाग चाहता है कि ट्रांस्पोर्ट बोर्ड आल इन्डिया का बनना चाहिये उस में हम हो जायं और हमारे स्टेट का बोर्ड भी बन जाय। मन्त्री जी, आप को अभी मालूम नहीं कि कितनी गाड़ियां हैं, कहां क्या हो रहा है। अगर कहीं कोई अड़चन पड़ी तो असिस्टेंट कमिश्नर और रीजनल मैनेजर का पद बढ़ा देते हैं। रायबरेली में ए० जी० एम० का पद कायम कर दिया तो सोचते हैं कि सब काम हो गया। जिस प्रकार सिंचाई में अनुदान दे कर सरकार सोचती है कि इतना रुपया दे दिया तो इतनी सिंचाई हो गयी। मैं कहता हूं कि इस से काम नहीं चलेगा। सारे कर्मचारी आप बोर्ड के अधीन कर दीजिये जिस प्रकार से आपने बिजली का बोर्ड बनाया, राजस्व बोर्ड है, समाज कल्याण बोर्ड है, जिस में सारे असमाजिक तत्व हैं, मगर बोर्ड है। मगर ट्रांस्पोर्ट का, जिसकी बड़ी जरूरत है, कोई बोर्ड नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस के बना देने से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जायंगी। हम तो रोडवेज के कम्पाउन्डर हैं, डाक्टर तो हैं नहीं, इस लिए मैं कहता हूं कि बोर्ड बनायें तो आप भी परेशानी से बच जायेंगे और यह जो ९ जी० एम० के पद हैं जिन को कुछ नहीं आता, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इतने सारे ए० जी० एम्स० हैं कि अगर मन्त्री जी से ही पूछा जाय कि ए० जी० एम० (डी०) क्या बला है तो शायद न बता पायें। वही हाल है जैसे खसरा-खतौनी की दुर्गत

होती है। जिसको पटवारी से लेकर तहसीलदार तक लिखते हैं और जब कभी कलेक्टर साहब जाड़े के मौसम में ठंढी हवा खाने के लिए दौरे पर निकलते हैं तो वह भी दस्तखत उस पर कर देते हैं। यही हाल जी० एम्स० का है। हमारे गोरखपुर के जनरल मैनेजर, श्री स्याल जब निकलते हैं, तो सब स्टेशन इन्चार्ज फैजाबाद तक के ठीक हो जाते हैं, कहा जाता है कि स्याल साहब आ रहे हैं बढ़िया इन्तजाम कर दीजिये। मैंने १ स ल हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि जितने जी० एम्स० हैं इन के पद तोड़ दिये जायं, तो ४ लाख रु० सरकार को बचेंगे और सरकार हेडक्वार्टर पर एक ए० जी० एम० को यह सब काम दे सकती है। जो इन सब के काम को कर सकता है। इन जनरल मैनेजर्स का क्या काम है? बहुत से जनरल मैनेजर श्रीमन्, ऐसे हैं, जो नवीं क्लास भी पास नहीं हैं। काम क्या है खाली दौरा करना। हुक्म गया कि महीने में १८ दिन दौरा कीजिये। दौरा करते हैं मगर स्टेशन पर नहीं जाते, डाक बंगले में ही पड़े रहते हैं। अगर इन जनरल मैनेजर्स का इम्तहान लिया जाय इमला बोल कर। तो शायद २, ३ ही पास हों। इन लोगों को पता नहीं रहता कि कितनी गाड़ियां हैं, तथा उन के रीजन में क्या हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन को हटाइये। विभाग में बड़े सहायक कमिश्नर हैं, जिन की कोई अलग से जिन्दगी नहीं है, क्योंकि वह ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर से लगे हुये हैं।

सब से बड़ा सवाल मन्त्री जी २२ हजार कर्मचारियों के बोनस का है। उस के लिए हम समझते हैं कि हाईकोर्ट में रिट में जायेंगे। सारे उत्तर प्रदेश में ५०० कर्मचारी इस विभाग से निकाले गये हैं। गोरखपुर रीजन से १२९ कर्मचारी निकाले गये हैं। ३ वर्ष काम करने के बाद नोटिस दे दी गयी कि सूची खारिज हो गयी है। मैं सरकार को बताता हूं कि रेलवे डिपार्टमेंट का प्रिय गुप्ता का केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय ७ न्यायाधीशों की बेंच ने, माननीय गजेन्द्रगजकर की अध्यक्षता में यह फैसला दिया था कि आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप ६ महीने काम लेते हैं तो वह अपना स्थायित्व ले लेता है। जैसे बरमाशेल का मजदूर १ महीने रह गया तो वह स्थायी हो जाता है। संविधान की धारा ३११ कहती है कि उसका जवाब-तलब होना चाहिये। लेकिन यहां क्या होता है? अपील की और रखे जाने पर जनरल मैनेजर ने एक महीने की नोटिस दे दी। सारे उत्तर प्रदेश में ५०० ऐसे कर्मचारी हैं। आपका विभाग परमानेंट है। सन् १९५६ का मुख्य सचिव का आदेश है कि जो विभाग स्थायी हो उनमें ३ साल से ज्यादा काम करने वालों को भी स्थायी कीजिये। २२ हजार में १२ हजार अस्थायी हैं आज।

दूसरा सवाल आल-इन्डिया ट्रांस्पोर्ट कांग्रेस का है। जबरदस्ती मजदूरों से ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ने दस्तखत करा लिया। दुनिया की कौन सी जगह है जहां मेडिकल और आकस्मिक छुट्टी नहीं मिलती है? लेकिन ट्रांस्पोर्ट विभाग में नहीं मिलती है। अब ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ने सरकार के पास भेजा तो वह आज तक विचार ही कर रही है। यह मजाक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कानपुर में ८८ दिन हड़ताल हुई। कोई फायदा नहीं हुआ। ए० जी० एम० निकालता है तो जी० एम० अपील सुनता है और उस के बाद सिवाय माननीय मन्त्री जी के दरबार के और सहारा नहीं है। २२,००० कर्मचारियों की अपील सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है। न उन्हें गमना-गमन की सुविधा है जो आप को करोड़ों रुपया कमा कर देते हैं। इन के आचरण के लिए रोडवेज रेक्ट और मैनुअल भी बना दीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। जो बातें कही गयी हैं उन पर समय ज्यादा बरबाद नहीं करना चाहता हूं। मैं चन्द बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचना

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

चाहता हूं इस लिए कि जो ६ दुर्घटनायें ६ महीने में पहाड़ की सड़कों पर हुयीं, उस से हमारी सरकार का कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ। एक मेजर ऐक्सीडेंट हुआ। जिस में २९ जानें गयीं और यह बतलाया जाता है कि वह गाड़ी पहिले पिथौरागढ़ सड़क पर लगी हुई थी। कोई मेला सहारनपुर के नजदीक हुआ। चमोली की एक सड़क पर उस गाड़ी को लगा दिया गया। वह ड्राइवर चन्द दिनों पहिले ही आया था। बतलाया जाता है कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले ड्राइवर ने कहा था कि यह गाड़ी आर्डर मे नहीं है, इस को न चलाया जाय। फिर भी उसे मजबूर किया गया कि तुम इस गाड़ी को ले जाओ। वह ले गया। गुमखाल से कुछ आगे वह गाड़ी खड में गिर गयी और २९ जानें गईं। यह भी बतलाया जाता है कि गाड़ी पुरानी थी और उसके पुर्जे काम नहीं कर रहे थे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इन्सान की जिन्दगी की सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि सरकार अपने आफिसरों को जनता के टैक्स में से इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देती है कि हमारे पैसेंजर सही सलामत मंजिले मकसूद पहुंच जायं। रोडवेज ट्रांस्पोर्ट की ६ दुर्घटनायें ६ महीने में हुयीं। सरकार का जैसा रवैया है उस से उस के अधिकारी समझते हैं कि उनका काम हर तरीके से सरकार को फायदा पहुंचाना है। अगर मोटर बस खराब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जो लोग मर जाते हैं, उन के वारिसों को बड़े पैमाने पर कम्पेंसेशन देना चाहिये। सरकारी अधिकारियों का काम है कि सच्चाई के साथ कार्य करें। यह मुल्क उन्हीं का है। ७।। करोड़ जनता के टैक्स से उन की तनख्वाहें आती हैं। उन्हीं के फायदे के लिए सरकारी अधिकारियों को तैनात किया जाता है। जो लीपा-पोती सरकार की ओर से होती है वह उचित नहीं है। अगर माननीय मन्त्री जी के बच्चे और रिश्तेदार उस बस में होते तो वह अच्छी तरह समझते। ईसा-मसीह ने कहा था कि "डू अनटू अदर्स ऐज यू विश टु बिड्न बाई"। जो पैमाना अपनों के लिए है वही जनता के लिए भी होना चाहिये। हमारे सरकारी अधिकारी भी बसों में चला करते हैं और उन के भी एक्सीडेंट होते हैं। मैंने देखा कि इरीगेशन डिपार्टमेंट के इन्जीनियर की मौत हुई। उन के साथ १३ आदमियों की उस ऐक्सीडेंट में मौत हुई। वह सड़क इस प्रकार की बना दी गयी कि वहां ऐक्सीडेंट हुआ। सन् १९५४ में मैंने उस पर प्रकाश डाला और मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि जहां सड़कें इस प्रकार की हैं वहां खतरा है। सरकार की ड्युटी हो जाती है कि उन खतरों को दूर करे, लेकिन इधर कोई तवज्जह नहीं दी गयी। अगर मुल्क के साथ इन्साफ करना है, और आप समझते हैं कि आप ७।। करोड़ जनता के भाग्य विधाता हैं तो आप को एक निष्पक्ष कमेटी नियुक्त कर के जांच करानी चाहिये। अगर सरकार की गाड़ी खराब थी तो कम्पेंसेशन देना चाहिये। अगर मोटर की सड़क में कोई खराबी है और इतने साल गुजरने के बाद भी उस सड़क के नुक्सों को दूर नहीं किया गया तो पी० डब्लू० डी० और माननीय मन्त्री और जितने लोग उस के लिए जिम्मेदार हैं उन के लिए कुछ व्यवस्था करें। हर कोई सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर देता है तो जो लोग उस के लिए जिम्मेदार हैं उनका जाती जायदाद के ऊपर भी डिग्री हो सकती है। लेकिन हमारे मुल्क में लोग बहुत गरीब हैं और कानून नहीं समझते। इसलिए वे अदालत नहीं जा सकते। आप ने रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ देखा होगा, कि जब कभी मेजर ऐक्सीडेंट होते हैं तो हजारों और लाखों रुपये की डिग्री रेलवे के ऊपर होती हैं जनता की, जब कि अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रेलवे का दोष था। इस लिए अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर हमारी सरकार की बसें चलती हैं, वे एक मोनोपोली रखती हैं। इन्डियन मोटर बेहिकिल्स ऐक्ट में मैं समझता हूं कि किसी की भी मोनोपोली नहीं है। हमारी सरकार की कुछ व्यवस्था इस प्रकार की है कि उस को अधिकार हो जाता है कि उस सड़क पर जहां पर रोडवेज की मोटरें चलती हैं वे अपना एक अधिकार बनाये हुये हैं।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है कि जहां आप ने अपने हाल्टिंग स्टेशन बना रखे हैं वहां पर आपने यात्रियों के धूप और बरसात से बचने के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया हुआ है। आप के ड्राइवर जो दिन भर गाड़ी चलाते हैं, आप विश्वास कीजिये, उन की जिन्दगी १५–१६ साल शार्टेन हो जाती है। उनके लिए भी इन हाल्टिंग स्टेशनों पर कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे वे बेचारे रात में या दिन में आराम कर सकें। कर्णप्रयाग में मैंने देखा है कि वहां पर ड्राइवर रात को सड़क पर शराब पीकर लेटे रहते हैं। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उन के आवास के लिए अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये और उनकी रिक्रिएशन के लिए भी, खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, विभाग की ओर से जो पुस्तिका माननीय सदस्यों को बांटी गयी है उस में कहा गया है कि राज्य में पर्यटक विभाग का मुख्य उद्देश्य स्वदेश और विदेशी पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित, कम खर्चीले एवं सुखद पर्यटन की व्यवस्था करना और देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करना है।

मान्यवर, आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक मुख्य केन्द्र है, लेकिन आगरा में आने वाले विदेशी पर्यटक जिस प्रकार की तकलीफें उठाते हैं, बयान नहीं किया जा सकता है। वहां पर टैक्सियों के ड्राइवर उन की खूब लूट खसोट करते हैं पर उस ओर विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। जब कि पूरी टैक्सी का किराया २० रुपये रखा जाता है वहां पर ड्राइवर एक एक व्यक्ति से २०–२० रुपया ले लेते हैं। विभाग को चाहिये कि वह देखे कि हर टैक्सियों पर मीटर लगे हों, उनको रंगा जाय, जिससे मालूम हो जाय कि ये टैक्सियां हैं और उनका क्या किराया है और पर्यटकों से मुनासिब किराया लिया जाय। सरकार ने विदेशी पर्यटकों को इन ड्राइवरों की दया पर छोड़ रखा है और दिन प्रतिदिन उनकी शिकायतें आती रहती हैं। बनारस में, मथुरा में और ऐसी ही जगहों में जो दुर्दशा होती है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो ट्रक पास होती हैं, उन में २०० मन प्रति ट्रक सामान (लोड) ले जाने की इजाजत होती है। आज हमारे यहां मर्सिडीज, ले लैण्ड ट्रकें चलती हैं और उन में, जैसा सरकार को भी मालूम होगा, एक-एक में ३ सौ या २ १/२ सौ मन लाद कर ड्राइवर चलते हैं। इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। पुलिस को एक-एक रुपया दे दिया जाता है। अधिकारी भी चेक नहीं करते हैं। अन्य राज्यों में, शायद बम्बई में २ १/२ सौ मन तक ले जाने की इजाजत है। यदि हमारी सरकार भी अपने राज्य में ३ सौ मन लोड ले जाने की परमिशन दे दे तो इस से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार भी हमारे प्रदेश से समाप्त होगा। श्रीमन्, मैं मांग करता हूं कि २५० या ३०० मन लादने की स्वीकृति ट्रकों को दे दी जायगी तो राज्य को लगभग २ करोड़ रुपये की आमदनी होगी। जिस से राज्य का कुछ खर्चा चल सकेगा।

मान्यवर, मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन में दो एक भ्रष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। आगरे में कुछ समय पहले एक आर० टी० ओ० थे जिनका यह काम था कि वे ट्रकों का चालान करते थे और उस के पश्चात् उन्होंने एक तरीका बना रखा था कि जिन से उनके पास पैसा आजाता था उसका चालान फाड़कर फेंक दिया जाता था। जिसका चालान

[श्रीबाबूजी अग्रवाल]

किया जाता है उस को रसीद का एक फार्म दिया जाता है और एक फार्म उनकी किताब में रहता है। जिस के पास से रिश्वत का रुपया उन के पास आजाता था उसका चालान फाड़ कर फेंक दिया जाता था और उसका चालान कोर्ट में नहीं जाता था। मान्यवर, एक चालान की ट्रू कापी, फोटो कापी, मेरे पास है, जो चालान करने के पश्चात् कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि ए० आर० टी० ओ० के पास रिश्वत का रुपया आ गया और उन्होंने उस के चालान को फाड़कर फेंक दिया। यह फोटो कापी मैं, श्रीमन् आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी को दूंगा कि वे इसकी जांच करायें कि यह चालान कोर्ट में क्यों नहीं गया? इस को क्यों फाड़ दिया गया?

इसके साथ-साथ श्रीमन, ए० आर० टी० ओ० जौहरी साहब, आगरा में थे। जब उन की शिकायतें की गयीं, तो उनका तबादला मुरादाबाद कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ एक बात और की गयी कि जो सरकारी गाड़ी और ड्राइवर था उसका भी उन के साथ-साथ तबादला कर दिया गया। इस की मान्यवर, क्या आवश्यकता थी? इस लिए यह किया गया कि उन का रिश्वत का सौदा ड्राइवर के जरिये होता था, वह उनका दलाल था, इस लिए ड्राइवर को और गाड़ी को भी उन के साथ-साथ मुरादाबाद भेज दिया गया।

मान्यवर, एक मोटर मैजिस्ट्रेट हमारे यहां थे, जिनका नाम श्री चतुर्वेदी था। वे रिश्वत लिया करते थे, और उनकी अदालत से जुर्माना नहीं होता था क्योंकि उनकी जेब गरम होती थी। जब शिकायतें की गयीं, तो ए० पी० पी० ने अपील के लिए कहा। उनका तबादला कर दिया गया और मैजिस्ट्रेट का कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मुझे एक सुझाव देना है कि हमारे यहां से जमींदारियां खत्म हो गयी हैं। रोडवेज के लिए कुछ क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। लेकिन पहाड़ी जिलों में एक बहुत बड़ी संस्था के० एम० ओ० यू० नाम से है, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। वह पहाड़ी जिलों के बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है। इस लिए यदि उसका राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो वे लोग नाराज होंगे, इस लिए वहां जो बसेज चलती हैं, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

मान्यवर, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो ट्रेन टाईमिंग्स हैं, उन के अनुसार रोडवेज की बसेज चलनी चाहिये। एक उदहारण मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कानपुर से तूफान एक्सप्रेस ७ बजकर ५ मिनट पर चलती है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए न तो कोई ट्रेन अवेलेबिल है और न रोडवेज की कोई बस। यात्रियों को इस से बड़ी भारी परेशानी होती है। मेरा सुझाव यह है कि ट्रेन को कैच करने के लिए इस प्रकार से बसेज चलायी जायं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो और वे टाइम के अन्दर पहुंच कर ट्रेन कैच कर सकें।

मान्यवर, आजकल जेट विमानों का समय है और हम लोग जल्दी से जल्दी किसी स्थान पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहां की रोडवेज जिस तरह से चलती हैं, यदि मैं उन की बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने की बात कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे २०/२२/२५ और ज्यादा से ज्यादा २७ मील की रफ्तार से चलती हैं। यह हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है। दूसरे प्रदेशों की बसेज ३०/३५ और ४० मील की स्पीड से चलती हैं। इस लिए मेरा सुझाव है कि रोडवेज की बसेज की रफ्तार बढ़ायी जाय जिस से कम से कम समय में यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच सकें। इसलिए हम को उन की रफ्तार तेज करनी चाहिये। एक्सप्रेस गाड़ियों को बढ़ाना चाहिए।

इसके साथ-साथ हमारे यहां आप मान्यवर, देख रहे हैं यह जो एयर कन्डीशन्ड गाड़ियां चलती हैं, डीजेल की गाड़ियां चलती हैं जिनसे अधिक से अधिक सुविधा यात्री उठाना चाहता है किन्तु ऐसी गाड़ियां हमारे यहां बहुत कम हैं। एयर कंडीशन्ड गाड़ियां शायद आगरा-दिल्ली के

बीच भले ही चलती हो, किन्तु ज्यादा नहीं चलती है। इस प्रकार की गाड़ियां हमें ज्यादा चलाना चाहिए। यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें देने का प्रबंध होना चाहिए। किन्तु न तो आदमियों के बैठने की जगह ठीक होती है न यात्रियों के शौच जाने की जगह। जो कुछ है भी वह काफी गन्दी होती है, जिसके कारण उनमें कोई जाना नहीं चाहता। इसके साथ-साथ स्टेशनों पर लाऊड स्पीकर आदि का भी प्रबंध होना चाहिए, जिससे लोगों को उनके बारे में तथा आने जाने के बारे में सब सूचना मिल जाया करे।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह विभाग जो बढ़ता चला जा रहा है तो यात्रियों की सुविधा और कर्मचारियों की सुविधा के ऊपर भी पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए। किन्तु इस बढ़ते हुए डिपार्टमेंट में इस संबंध में कोई संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि एक हाई पावर कमेटी बैठे जो इस पर आपको सुझाव दे।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो यह परिवहन विभाग की ग्रांट पेश हुई है, उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जनता को बड़े फायदे पहुंचाये हैं, परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टाइमिंग के बारे में बात कही गयी और इस पर कई माननीय सदस्यों ने कहा। वह बात ठीक है, आपकी बसें टाइम पर नहीं चलती हैं। मुझे अपने जिले बहराइच का अनुभव है, जिसका मुझे प्रायः इत्तफाक पड़ा करता है। मैंने देखा कि गाड़ियां कोई राइट टाइम से नहीं चला करती हैं।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि वहां डाइरेक्ट रूट नहीं है जो होना चाहिए। वहां से गाड़ियां लखनऊ के लिए तो रन करती हैं डाइरेक्ट, लेकिन कानपुर जो कि एक कमर्शियल सेंटर है वहां को बहराइच से कोई डाइरेक्ट गाड़ी रन नहीं करती है। अगर आप मुनासिब समझें तो वहां के लिए एक दो बस डाइरेक्ट रन करा दें।

एक सबसे बड़ी चीज जो है वह यह है कि बसों और स्टेशनों पर अक्सर चोरी हुआ करती हैं। बसों पर बहुत चोरी हुआ करती है, उन पर आपका कोई अटेन्डेंट नहीं रहता है जो सामान की हिफाजत करे। जैसा कि अभी एक सदस्य ने बताया कि उस पर सामान की देखभाल के लिए एक अटेंडेंट अवश्य हुआ करे जिसकी यह जिम्मेदारी रहे कि वह सामान की हिफाजत करे। अभी हमारे यहां का एक वाकया है कि एक आदमी फैजाबाद से चला और उसका ७,००० का सामान गोंडा और बहराइच के बीच गायब हो गया। इसका आपको काफी प्रबंध करना चाहिए। इन बातों के साथ में इस ग्रांट का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लिखकर देने की जो आपकी कल व्यवस्था हुई थी, आज भी उसी प्रकार चलेगा या बोलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, वह सिर्फ कल के लिए थी आज के लिए नहीं। मैंने उसे लोकसभा की रूलिंग के बेसिस पर कहा था। वह मुझे मिल गयी है, यदि आप देखना चाहें तो मेरे पास से देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय लखीसिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विभाग की महत्ता आज के युग में जो है, उसको शब्दों से वर्णण नहीं किया जा सकता। इस विभाग के द्वारा जनता को जो सुख-सुविधा मिल रही है, उसका वर्णन करने में भी कुछ फायदा नहीं है। सारे लोग जानते हैं। मुख्य सवाल यह है कि जब से इस विभाग का गठन हुआ है तब से लेकर आजतक इस विभाग की जो प्रगति हुई उसके ऊपर हमको गंभीरता-पूर्वक विचार करना है कि वह क्या है। आखिर हमारा मंतव्य एक तो यह था कि इसके द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाना और दूसरा था कि जो इन्कम प्राइवेट लोग ले जाते हैं वह राज्यकोष में ले आवें। यही मंतव्य राष्ट्रीयकरण का भी है कि हम ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में ले जायं। सरकार इस पर विचार करे कि जितनी सड़कों का उसने राष्ट्रीयकरण किया और जिनपर उसकी बसें चलती हैं क्या वह उससे संतुष्ट है? मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं जानता हूं कि सरकार की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों को ले लेकिन सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोई विचार सरकार ने किया है? आप किसी सड़क का राष्ट्रीयकरण करते हैं प्राइवेट लोग हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर देते हैं। गाजीपुर-वाराणसी-मिर्जापुर वाली सड़क का राष्ट्रीयकरण हो गया होता और बसें चल जातीं तो लाखों रुपये सालाना मुनाफा होता लेकिन वह नहीं हो पाया। तो प्राइवेट लोग हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं। इस बाधा के निवारण के लिए आपने कुछ नहीं किया है और इस कारण जनता को जो आप अधिक से अधिक सुख सुविधा पहुंचाना चाहते हैं वह आपका विचार और कार्य कुंठित हो जाता है। तो क्या आपने विचार किया कि आये दिन यह चीज हो जाती है, यह कैसे दूर हो ताकि राष्ट्रीयकरण की नीति से अधिक से अधिक लाभ जनता को पहुंच सके?

आप अब २ सालों के अपने बजट को देख लीजिए, ६२–६३ और ६३–६४ को देखिए। ६२–६३ की अपेक्षा ६३–६४ में आपने पूंजी भी ज्यादा लगाई, उस साल पहले के मुकाबले में सवारियां भी ज्यादा चलीं, माइलेज भी ज्यादा कवर हुआ लेकिन इन्कम गिरी और आगे भी गिर रही है। यह विचार करने की बात है, इससे स्पष्ट है कि जिस पैमाने पर आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है।

इसके अलावा दो तीन वर्ष पहले मैंने भी इस अनुदान के विवाद में हिस्सा लिया था और कहा था कि आप कृपा करके जो कर्मचारी ३ साल से ज्यादा काम कर चुके हैं उनको स्थायी कर दीजिए। आप सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर को ही लीजिए। वहां की लिस्ट मंगाकर देखिए तो मालूम हो जायगा कि आपके विभाग का दृष्टिकोण छोटे कर्मचारियों की तरफ क्या है। वहां के बड़े-बड़े अफसरों का परसेंटेज और मोचियों, चपरासियों तथा मेतहरों के स्थायीकरण के परसेंटेज का मुकाबला कर लीजिए, हालत बिल्कुल साफ हो जायगी। जब आपका विभाग इन्कम कर रहा है और जनता को सुख-सुविधा दे रहा है तो मैं मांग करता हूं कि आपकी नीति होनी चाहिए कि ३ वर्ष तक जिन लोगों ने विभाग में काम किया है बिना पूछे आप उनको स्थायी कर दें।

पहाड़ों के बारे में जिक्र किया गया है। माननीय रावत जी ने भी उसका जिक्र किया। सन् ५७–५८ में एक बहुत बड़ा ऐक्सीडेंट हुआ और उसकी जांच के लिए माननीय बाबू संपूर्णानन्द जी ने एक कमेटी नियुक्त की। शायद माननीय मुजफ्फर हसन साहब ही उसके चेयरमैन थे। उसकी रिपोर्ट आयी। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। आज आये दिन इतने ऐक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हमारी बदनामी हो रही है। सिर्फ हमारे प्रदेश के लोग मर जाते तो बदनामी कम होती लेकिन महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास आदि के निवासी जो बद्रीनाथ, काशी, प्रयाग और मथुरा के दर्शन के लिए आते हैं अगर वे लोग अपनी जान गंवा दें इससे प्रदेश की बदनामी बहुत है। इस बदनामी को दूर करने के लिए आप पहाड़ में सड़कों का राष्ट्रीयकरण करें और छोटी-छोटी राजकीय बसें चलवायें।

एक बात और कहना चाहता हूं। सिर्फ बसें चलाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि परिवहन योजना सफलीभूत हो तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर विभाग में ट्रकें मंगायी जानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल ले जाने में कितनी दिक्कत है। वैगन नहीं मिलते हैं, सभी सदस्य यह जानते हैं। अगर आप लोगों को जिन्दा रखना चाहते हैं और लोगों का सामान, खाने पीने का सामान, ठीक से पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इस तरफ ध्यान देना होगा और जो यहां ट्रकों की संख्या कम है इसको बढ़ाना होगा। मैं समझता हूं इस विभाग को जब मुनाफा होता है तो उसको हजारों ट्रकों को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए और इस विभाग से इसका संचालन होना चाहिए।

अब आप देखें कि पहले इस विभाग के लिए कहा गया था कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जायगा। नान-मैट्रिक पहले कंडक्टर बनाये गये थे और उसके बाद मैट्रिक पास कंडेक्टर मिल गये तो उनको रखा गया। कुछ दिनों तक तो दोनों को तनख्वाह बराबर दी गई लेकिन उसके बाद दोनों के ग्रेड अलग-अलग कर दिये। सरकार ने कहा भी था कि इनको एक कर दिया जायगा लेकिन अभी तक इस अन्तर को दूर नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस फर्क को दूर कर दिया जाय। इन दोनों को एक कर दिया जायगा तो मुझे आशा है कि कंडेक्टर में जो खाई है वह मिट जायगी।

अब सवाल आता है सेंट्रल वर्क शाप का। अभी मंत्री जी ने बताया था कि हमारे यहां सैंकड़ों की संख्या में गाड़ियां कई रीजनों में बेकार पड़ी हैं, हमारे प्रदेश में शायद ११८ गाड़ियां बेकार इस समय पड़ी हुई हैं। मोटर का सामान दूसरी लड़ाई के समाप्त होने पर ५०, ६० लाख रुपये का खरीदा गया था जो मोटरों में काम आने वाला था। वह सारा सामान काम में नहीं आ सकता और अब भी १४ लाख रुपये का सामान कानपुर सेंट्रल वर्कशाप में पड़ा हुआ है और बहुत सा दूसरे वर्कशापों में पड़ा है। मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके उस सामान को नीलाम कर दीजिए और जो भी रुपया उससे मिल सकता है वह रुपया खड़ा करने की कोशिश कीजिए नहीं तो वह सारा सामान धीरे-धीरे गायब तथा नष्ट हो जायगा। उसको बेचकर गाड़ियों के लिए पुर्जे खरीद लीजिए और बेकार गाड़ियों की मरम्मत कीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस सामान को नीलाम करके अपना पिंड छुड़ाइये।

एक बात यह भी निवेदन करना है कि आपने २०० मन लादने की इजाजत ट्रकों को दी है। यह इजाजत उनके लिए ही है जो ट्रकें पेट्रौल से चलती हैं। आज तो और भी अच्छे मजबूत ट्रक आगये हैं। मर्सडीज और लेलैंड बहुत बड़ी गाड़ियां हैं जो आपके कानून की किसी तरह से परवाह नहीं करती हैं। वह २५०, ३०० मन तक सामान लादती हैं। मैं जानता हूं कि अभी हमारे यहां एस० पी० ने ऐसे लोगों को पकड़ा और उनका चालान किया जो बहुत अत्यधिक भार लादकर ले जा रहे थे। हम उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन जब वे गैर कानूनी काम करते हैं और सरकारी खजाने में कुछ पैसा आता भी नहीं तो ऐसी हालत में इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और इस वजन को बढ़ाकर २५० मन कर देना चाहिए। इसी तरह से मद्रास में, आंध्र में और महाराष्ट्र में है और वहां पर इनको ज्यादा वजन लादने की इजाजत है। इसी तरह आपको भी परिमिट देना है और ज्यादा वजन लाद कर ले जाने की इजाजत दीजिए और लाइसेंस फीस बढ़ा दी जाय तो खजाने में रुपया आता रहेगा और जनता का उससे लाभ होगा। और गैर काननून कार्य भी रुक जायगा।

अभी तक पंजाब में देखा गया है कि वहां पर ट्रैक्टर में जो लोग ट्राली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर किसी तरह का मालिक को टैक्स नहीं देना पड़ता है। जिन किसानों के पास है और वे ट्राली इस्तेमाल करते हैं तो उनको कुछ नहीं देना पड़ता। हमारे यहां अगर कोई ट्रैक्टर में ट्राली इस्तेमाल करते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाता है। हमारी तरफ तो अधिक टैक्टर नहीं है लेकिन पच्छिमी जिलों में ट्रैक्टर बहुत दिखाई पड़ते हैं तो उनको इस तरह से सुविधा

[श्री ऊदल]

दी जाय कि जिससे ट्राली का उनको टैक्स न देना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं लखीसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह कृपा करके जो सुविधायें मजदूरों को मिलनी चाहिए वह देंगे और जो खाइयां आ गयी हैं उनको मिटाएंगे। जो अस्थायी हैं उनको स्थायी कर दीजिये। आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस अनुदान पर बोलने का मुझे मौका मिला है। जो अनुदान आज प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और जो विरोधीदल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश के लोगों को आने-जाने के लिए सुगमता और सुविधा देता है और दूसरे प्रदेशों में आने-जाने के साधन का मुकाबला करते हुए इस प्रदेश में भी अधिक सुविधाएं देने की चेष्टा करता है और यह जांच करता है कि इस प्रदेश में किस हद तक दी जा सकती हैं।

मान्यवर, इस सदन में बड़ी चर्चा हुई कि फैजाबाद से लखनऊ तक सरकारी बसें नहीं चलाई गयीं। जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा, जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण हो जाय तो सरकार को बहुत फायदा हो सकता है तो उसी तरह से अगर लखनऊ से फैजाबाद तक जो मार्ग है वह सरकार ले ले और अपनी बसें चलाये तो जनता को आने-जाने की बहुत सुविधा हो। वह इसलिए कि फैजाबाद तक बहराइच से, गोरखपुर से, बस्ती, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर से बसें आती हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पातीं। अगर लखनऊ तक आयें तो इन सभी जिलों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। हमें जहां तक पता है इसी से लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जो आज ८ बसें प्राइवेट चलती हैं उनके मालिकों से विभागीय लोग साठ-गांठ रखते हैं और वह कुछ दाखिल करते रहते हैं इस वजह से यह मामला टाल दिया जाता है। तो वह लोग करवाते हैं ताकि उनकी आमदनी होती रहे। १९६१-६२ में बस चलाने के लिए टिकट छपे। फैजाबाद में हमारे क्षेत्र में जहांगीरगंज से अकबरपूर तक ६४-६५ में बजट में पास हो चुका था, लेकिन वहां के प्राइवेट बस चलाने वाले लोग यहां के अधिकारी लोगों से मिलकर अपनी बसें चला रहे हैं। और सरकारी बसें नहीं चल पाती हैं। सितम्बर में वहां पर बस चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां से रिपोर्ट आ गयी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी महोदय के यहां, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हम फाइल देख लेंगे, जब कि मैंने उनसे पूछा। दो महीने बाद जब पूछने गये तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं देखा। फिर भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ झंझट में है, नहीं बता-ऊंगा। आज चार दिन का वाकया है, राजाराम मिश्र, एम० एल० ए० मुख्तार अहमद किदवई और श्री पन्नालाल एम० पी० जब मालूम करने गये कि बस चलाने के लिए क्या प्रगति हुई और जो सचिव महोदय हैं उनसे जब मैंने कहा, तो वे कहने लगे कि हम नहीं जानते, आप लोगों को यही काम रहता है, इसे बताने का मौका नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो ऊपर से रोकिए। नीचे से रोकने से कुछ फायदा नहीं होगा। नीचे का आदमी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो आप उसे निकाल देते हैं, मगर बड़ा आफिसर अगर उसमें फंसता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पहली मार्च को सइयद मसुदुल हसन, सचिव महोदय के लड़के की शादी थी और बारात फैजाबाद गयी थी। उसमें सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया गया था। उस सरकारी गाड़ी में बैठकर सरकारी अफसरान और अन्य व्यक्ति गये थे। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ?

मान्यवर, अगर आप जनता को सुख-सुविधा पहुंचाना चाहते हैं तो जहां-जहां पर बसें नहीं चलतीं, वहां पर आपको बसें चलानी चाहिए। अंग्रेजी राज्य में हम शिकायत करते थे, लेकिन आज उस जमाने से भी गये गुजरे हमारे अधिकारी हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाये।

गोरखपुर रीजन में जो ए० टी० आई० है, उनको पहले भत्ता मिलता था अब नहीं मिलता जब कि और जगह इन लोगों को भत्ता मिलता है। मेरा निवेदन है कि गोरखपुर के ए० टी० आई० को पहले की तरह भत्ता दिया जाय। इसके अलावा वहां के आर० टी० ओ० के आफिस में जो क्लर्क काम करते हैं उनको ६-६ महीने हर स्थान पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वहां के आफिस इंचार्ज स्वयं ही हर एक काम की देख भाल करते हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं देते।

पूरा बाजार से फैजाबाद तक ३ बसें चलाने का आश्वासन दिया गया था, मगर अभी तक एक बस ही चलायी गयी है। वहां पर शीघ्र ही और बसें चलाना चाहिए जिससे जनता को आराम मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय लखीसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन तो मैं यह करना चाहता हूं कि महाजनपुर तहसील में आने-जाने का कोई साधन नहीं है। कोई आदमी वहां पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि भरवारी, करारी, और साहुपुर के लिए एक बस चला दें। बस्ती में बांसी तहसील है...(व्यवधान)...मंझनपुर तहसील में भरवारी, करारी, शाहपुर के रूट से एक बस निकाल दें चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जिससे वहां के रहने वालों को सुविधा हो जाय। दूसरी बात—बांसी बस स्टैंड पर बिजली की पूरी फिटिंग है लेकिन रोशनी का इंतजाम नहीं है जिससे रोज चोरियां होती हैं और आये दिन मुसाफिर परेशान रहते हैं। बाराबंकी से फैजाबाद के लिए सरकारी बस की सुविधा प्रदान की जाय। लखनऊ से बाराबंकी तक आपकी बस जाती है, उसको फैजाबाद तक मिला दीजिए। तीसरी बात—कालिंजर से रोली बघौरेवारी होते हुए चित्रकूट तक एक बस सरकारी या प्राइवेट चलवा दीजिए। कालिंजर और करतल जिला बांदा में कोई बस स्टेशन नहीं है। वहां बस स्टेशन बनवाने की कृपा करें।

तीसरी चीज यह है कि सत्रह साल से यह विभाग चल रहा है, अब तक इसके सर्विस रूल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बनाये हों, लेकिन पूरे तौर से वह लागू नहीं है इससे जो वर्क चार्ज मैन हैं १३ सौ के करीब कानपुर में, और और जगहों पर उनको कठिनाई है। उनका स्थायीकरण भी होना चाहिए जैसा कि और मित्रों ने कहा है। जब आपका विभाग मुस्तकिल है तो सर्विसेज को भी आप मुस्तकिल करें और उनके रूल्स जरूर बनाने चाहियें जिससे कि कर्मचारियों को सब सुविधायें प्राप्त हों और वे अपने को सुरक्षित, अपनी सेवाओं को सुरक्षित समझें।

माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में बहुत बड़ा मुनाफा बताया। लेकिन मुनाफा बताते समय उनको यह भी बताना चाहिए था कि जब हमने अमुक-अमुक मार्ग लिए थे तो उस वक्त प्राइवेट गाड़ियों की किराये की दर क्या थी, आपने जब लिया तो क्या दर रखी और आज क्या दर है? इस वर्ष माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि प्रति मील हमारा खर्चा कितना आ रहा है और उस पर प्रति मील हम कितना कमा रहे हैं। अगर वह यह सब बताते तो मालूम पड़ता कि आज जो मुनाफा गवर्नमेंट ले रही है वह किस हिसाब से ले रही है। मुझको तो याद पड़ता है अलीगढ़ से बुलन्दशहर में एक रुपये दो आने में चला जाता था अब एक रुपये बारह आना और एक रुपया चौदह आना का हिसाब पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारी मोनोपली हो गई तो हमने बारह आने ४० मील के टुकड़े में बढ़ा लिए। इससे मालूम होता है कि प्राइवेट के मुकाबले में कितना अधिक मुनाफा आप ले रहे हैं। आप कहते हैं कि टायर के दाम, डिजिल के दाम बढ़ गए। लेकिन आप यह बतायें कि मुनाफा आपने कितना बढ़ाया है?

[श्री हिम्मतसिंह]

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि बसें बिलकुल भर जाती हैं, लोगों को जगह नहीं मिलती हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बसें खाली हो जाती हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दें।

आप अक्सर यह देखें होंगे कि बड़े-बड़े शहरों में सड़क की पटरियों पर छोटी-छोटी दूकानें कुछ लोग डाल लेते हैं, जिससे कि बसों को निकलने के लिये रास्ता बहुत ही कम रह जाता है। आपकी मोटर ठेले ६०--७० और ८० मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आये दिन ठेलों द्वारा ऐक्सीडेंट हुआ करते हैं। आप इन ठेलों की रफ्तार को कम करिए जिससे कि ऐक्सीडेंट रुक सकें। आप अक्सर यह देखेंगे कि आये दिन ठेले उल्टे पड़े हैं। उनके ड्राइवर्स शराब पी कर चलाते हैं और इतनी रफ्तार में चलते हैं कि किसी की फिक्र नहीं करते हैं, आप ठेलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए। जब तक आप ठेलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, और उनको एक रूट पर नहीं चलायेंगे, तब तक यह जो भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है, वह किसी कीमत पर कम नहीं हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जहां प्राइवेट ठेले चलते हैं, आपके सेल्स टैक्स की सेंट परसेंट चोरी होती है और अबैध व्यापार धड़ाधड़ होता है। अगर आप मोटर ठेलों को ले लें, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी और जो आपका सेल्सटैक्स बट्टे में चला जाता है, वह भी बच जायगा। तो यह प्राइवेट ठेलों का सिस्टम आपको खत्म करना पड़ेगा। नरौरा पर बांध बंध रहा है, उसमें कंकरीट नहीं गई, जब कि वह ठेलों द्वारा दिखाई गई। अगर गवर्नमेंट के ठेले होते तो यह घपला नहीं होता और यह फर्जी न दिखाया जाता। पन्नीजी शुगर मिल ने अपना स्टाक चीनी का दिल्ली में दिखाया, लेकिन चीनी दिल्ली नहीं गई, उत्तर प्रदेश में बेच लिया गया। इस प्रकार से सेल्सटैक्स को हजम किया, यह दिखा-कर कि दिल्ली को गई। अब इस पर सेल्सटैक्स का मुकदमा चल रहा है। इसलिए इस ठेले वाले सिस्टम को जो प्राइवेट देते हैं, खत्म कर दीजिए और इसको अपने हाथ में लीजिये। रूट्स पर जो आप प्राइवेट बसों को परमिट या लाइसेंस देते हैं, इसको आप चाहे ठीक समझते हों, लेकिन यह ठीक है नहीं। इसमें आप कम्पनियों को रूट का रूट नीलाम कर दें, तो ज्यादा अच्छा है। आज यही होता है कि जिसको आप परमिट देते हैं, वह तो चलाता नहीं है, वह उन्हीं को देता है, जिनकी पहले से चल रही हैं। इसलिए प्राइवेट लोगों को परिमट न देकर कंपनियों को या जो उनकी यूनियन्स हों, उनको रूट का रूट दे दिया जाय, वरना अपनी चलाइये, इससे आपको लाभ भी होगा।

आपने बस स्टैंड पर टिन शेड जो बनाये हैं जो कि मुसाफिरों के लिए हैं, लेकिन उसमें आपकी बसें खड़ी की जाती हैं। मुसाफिर लोग उसमें खड़े तक नहीं हो पाते हैं। जैसा कि फतेहगढ़ में आने-जाने के मार्ग दो थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया और एक ही तरफ से आते जाते हैं, तो यह आने-जाने का मार्ग भी २ कर दें, जिससे वहां पर सुविधा हो जाय।

ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है, उनको आवास मिलना चाहिये। आप रोडवेज के विभाग द्वारा आज सब सारा अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसका नतीजा यह होता है कि उसमें सब थर्ड क्लास की और सेकन्ड क्लास की ईंटें लग रही हैं। इसको इस विभाग के द्वारा न बनवा करके पी० डब्लू० डी० द्वारा बनवाइये। आप अगर बनवाते हैं, तो जो आडिट रिपोर्ट निकली है ६४ में, उसमें लिखा है कि हजारों बोरी सीमेंट चोरी हो गया। अगर पी० डब्लू० डी० द्वारा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप जितनी बिल्डिंग्स बनवायें सब पी० डब्लू० डी० द्वारा ही बनायें। आप अपने पुर्जों को जो फालतू पड़े हैं वे तो खैर ठीक हैं, लेकिन आइन्दा जो खरीदें उन पुर्जों पर "उत्तर प्रदेश रोडवेज" जरूर लिखवा दें जिससे उनके चोरी जाने का इमकान न रहे। अब इसके बाद, मैं लखी सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज परिवहन विभाग का अनुदान सदन के सामने पेश है परन्तु ऐसे अवसर पर, इधर के सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों की एक मांग हुआ करती है कि अधिक से अधिक ऐसी चीजों का अगर राष्ट्रीयकरण किया जाय तो ज्यादा अच्छा है। सरकार ने बहुत पहले से इस दिशा में एक कदम उठाया और मैं समझता हूं कि अगर देश में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है तो वह है संचार साधनों की सरकार ने जो यात्रियों के लिये बसें चलती हैं उनको धीरे-धीरे अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीयकरण किया है और उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। जहां तक सरकारी बसों का सम्बन्ध है मुझे यह मंत्री महोदय से कहना है कि पहले जब कि हमें मेरठ से हरद्वार जाने का मौका हुआ करता था तो कई-कई घंटे लगा करते थे लेकिन अब जब से सरकारी बसों का आना-जाना आरम्भ हुआ है तब से मेरठ से हरद्वार चार घंटों में ही आना-जाना सम्भव हो गया है और अब लोग यह अनुभव करते हैं कि सचमुच सरकार ने जब से इस विभाग को अपने हाथ में लिया है और जिस-जिस सड़क पर सरकार ने अपनी बसों का प्रबन्ध किया है वहां वहां लोगों ने हृदय से और मुक्त कंठ से सरकार की सराहना की है।

श्रीमन्, एक दो और बातें मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान के लिये रखता हूं। देहली से सहारनपुर तक एक सड़क अभी निकाली गई हैं वहां पर प्राइवेट बसें चला करती थीं। अब गवर्नमेंट ने उस सड़क को अपने हाथों में कुछ अंशों में ले लिया है, क्योंकि कुछ प्राइवेट बसें अब भी वहां चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक शिकायत है, मुझे पता नहीं वह कहां तक ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है कि वहां पर बसों की इतनी कमी है कि बड़ौत से जो दिल्ली या सहारनपुर जाना चाहते हैं उनको सवारियों का उचित प्रबन्ध नहीं होता। वहां की एक शिकायत है कि एस०एस० लाइट रेलवे जो शाहदरा-सहारनपुर तक चलती है उनके कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि रोडवेज के अधिकारियों से सम्बन्ध रखते हैं और शायद इस वजह से वहां पर सरकार पूरी बसें नहीं चला पा रही है और सवारियों को दिक्कत होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह नम्र निवेदन करूंगा कि अगर यह शिकायत ठीक हो और आवश्यकता हो तो वहां पर बसों का उचित प्रबन्ध कर दिया जाय ताकि लोगों को यह शिकायत न रहे कि यहां घंटों खड़े रहते हैं और जगह नहीं मिलती है। श्रीमन्, दूसरी चीज जो मुझे सुझाव के रूप में रखनी है वह यह है कि अक्सर मुझे हरद्वार से मेरठ और दूसरे लम्बे सफर में जाना होता है। एक-एक और सवा घंटे बसें लेट हो जाती हैं। हरद्वार से कई बार ऐसा मौका हुआ कि जो बस वहां से साढे तीन बजे चलती थी वह चार या पांच बजे के बाद चली। मैंने इस सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने एक बात बताई कि यह एक नियम बना हुआ है कि जो बस दिल्ली से आती है उसी को हम फिर वापिस भेजते हैं। इसलिये स्वाभाविक है कि गाड़ी एक-आध घंटा वर्कशाप में सफाई होने के कारण लेट हो जाती है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि एक-एक घंटा और सवा-सवा घंटे इस कारण गाड़ियों का लेट होना जो लम्बे सफर की हों, अच्छी बात नहीं है। अतः उसका उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मुझे एक नई बात और कहनी है। अगर किसी प्राइवेट रूट पर कोई परमिट देना होता है तो उसका गजट होता है और उस रूट पर सरकार एक या दो परमिट दे देती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जब सरकार यह अनुभव करती है कि वह धीरे-धीरे सारे रोड ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ में ले लेगी, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि प्राइवेट लोगों को एक दो परमिट न देकर चाहे इस से कुछ लोगों को दिक्कत भी हो, लेकिन वहां सरकारी बसें चलायी जायं? एक प्राइवेट बस खरीदने में कम से कम ४०-५० हजार रुपये तक लगते हैं, जिसे कोई किस्त से लेता है, कोई किसी तरह से लेता है। या तो आप इसकी गारन्टी कर दें कि उसकी बस कम से कम ५-६ वर्ष तक उस रूट पर अवश्य चलेगी। और अगर इस तरह की गारंटी है

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

न दे सकते हों तो अच्छा है कि लोगों का रुपया इस तरह से न फंसाया जाय, सरकार द्वारा ऐसी जगहों के लिये प्राइवेट परमिट न दिया जाय और सरकार को जब भी सहूलियत हो वहां पर वह अपनी ही बसेज चलाये ।

एक बात और मेरे से पहले भी एक माननीय सदस्य ने कही कि इधर के किसान भी ट्रैक्टर रखते हैं लेकिन पश्चिमी जिलों के किसान अपना गन्ना ढोने के लिये, सहूलियत के लिये टैक्टर के पीछे एक ट्राली लगा लेते हैं । उसके ऊपर सरकार का बहुत भारी टैक्स है । कई दफा तो लोगों को मालूम नहीं होता और उनको पकड़ लिया जाता है और उन पर बहुत भारी जुर्माना होता है तथा दूसरे ढंग से भी वे परेशान किये जाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी ट्राली जिसे किसान अपना सामान ढोने के लिये रखता हो, उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये जिससे किसानों को तकलीफ हो ।

एक बात और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि और वह यह है कि जहां यह यात्री टैक्स है वहां पर कई प्राइवेट बस वालों ने बहुत सी लाइनों पर यह तय कर लिया है कि हमसे लम्पसम में इकट्ठा करके रुपया ले लिया जाय और वे उसे नियम से देते भी हैं । लेकिन वहां पर भी कुछ सरकारी अधिकारी जाते हैं । मैंने उन लोगों से पूछा कि जब आपने तय कर रखा है कि लम्प सम ही टैक्स में दिया करेंगे तो फिर वहां सरकारी अधिकारी क्यों जाते हैं ? तो इसका जो उत्तर उन्होंने दिया, वह अच्छा नहीं था । उन्होंने बतलाया कि वे लोग कुछ खाना-पीना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब वहां वालों ने लम्प सम में यात्री कर देना तय कर रखा है तो वहां पर सरकारी अधिकारियों को केवल यही देखना है कि जहां वे रोड टैक्स देते हैं, उसके साथ-साथ वहां आपका टैक्स देते हैं या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना है कि अक्सर मुझे तीर्थ स्थानों में जाने का मौका होता है । जब मेले होते हैं या पूर्णिमा या अमावस का मौका होता है तो उस समय जितनी बसेज वहां चलाने की जरूरत होती है उतनी बसेज आपकी वहां नहीं रहती हैं जिससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है । यदि आपकी ५-१० बसेज भी वहां अधिक हों तो साधारण जनता की तकलीफ दूर हो जायगी और सरकार को पैसा भी ज्यादा मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस परिवहन सम्बन्धी अनुदान का हृदय से समर्थन करता हूं ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग का विशेष महत्व इसलिये भी है कि जो रेलवेज हैं वे व्यापक रूप से सम्पूर्ण देश में तो फैली हुई है नहीं । जितने इंटीरियर एरियाज हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा पहुंचाने के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वह यही है और इसका उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है । लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम जानते हैं कि हो सकता है कि हम विरोधी पक्ष के होने के नाते सरकार को अच्छा सुझाव न दें क्योंकि सरकार के पास रेडी मशीनरी मौजूद है और अगर कोई प्वाइंट क्लीयर करना होता है तो माननीय मंत्री जी या उनके सहायक स्वयं उनके सामने पहुंच कर कुछ पढ़ा आते हैं या समझा जाते हैं और फिर आकर उस बात को यहां कह देते हैं । हमें तो उनकी सी सुविधा प्राप्त है नहीं । फिर भी हम इस बात को अच्छा समझते हैं कि दिन-रात हम जिन बातों से अवगत होते रहते हैं और जिन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दें ताकि वे उस पर विचार कर सकें । सन् १९४७ से यह याता-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यात विभाग शुरू हुआ । तब से अब तक किराये में तिगुने के करीब बृद्धि हो गयी है लेकिन यात्रियों को उस हिसाब से सुविधा प्रदान नहीं की जाती है । जैसा बताया गया ९ करोड़ के करीब लागत है और ४ करोड़ का लाभ है तो इतना बड़ा लाभ देने वाला महकमा है, लेकिन जिन आदमियों के द्वारा लाभ इस विभाग को प्राप्त होता है उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

विवरण पुस्तिका जो दी गयी है उसमें बताया गया है कि प्रतिक्षालयों का निर्माण कराया गया है , लेकिन उनकी दशा यह है कि यात्री भटकते रहते हैं । विन्डों पर टिकट लेने गये लेकिन जेब साफ न हो जाय इसकी चिन्ता बनी रहती है । यात्रियों के लिये जो स्टाल्स खाने पीने के लिये ठेकेदारों को दिये गये हैं वहां खाने पीने के लिये कुर्सी और मेज का प्रबन्ध नहीं है । शौचालय वगैरह में भी सफाई की व्यवस्था नहीं है । ५ रुपये पर जो स्वीपर रखा जाता है वह वहां इतने कम वेतन पर क्या केयर करेगा ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये आवश्यक चीजें हैं और इनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

सारे संसार में ८ घंटे डयूटी आवर्स का प्राविधान है, लेकिन इस विभाग में १६, १६ घंटे कर्मचारियों को ड्यूटी देनी पड़ती है । जब किदवई साहब ने डाक और तार विभाग का चार्ज लिया तो उन्होंने वहां छुट्टी का प्राविधान कर दिया और सर्विस को भी रेगुलेट कर दिया । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस विभाग में अपनी क्षमता का परिचय देंगे और उन कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखेंगे जिनके द्वारा यह विभाग चलाया जाता है, जिन पर सारा भार पड़ता है ।

बम्बई में बस कंडक्टरों को ९७ रुपये मंहगाई भत्ते के मिलते हैं । वह सुपर क्लास सिटी है, लेकिन हमारे यहां, ४५ रुपये तनख्वाह हैं और सब मिलाकर ७० रुपये मिलते हैं जब कि इस युग में १ सेर का गेंहूं मिलता है और सभी खानेपीने की चीजों के दाम बड़े हुये हैं और रोडवेज विभाग के एक कर्मचारी को ७० रुपये में १६ घंटे काम करना पड़े, तो यह कहां का इंसाफ है ? इन गरीबों की आह पर सरकार विचार करे और मानवीय सुविधाओं को देने का प्राविधान करे ।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है , चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों अथवा उधर के बैठने वाले सदस्य हों, सभी इस बात पर सहमत हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है । इसकी सबसे बड़ी जड़ जो पार्टी शासन में है वही है । जब-जब निर्वाचन होते हैं रोडवेज की जीपें कांग्रेस अभ्यर्थियों की सेवा में लगी रहती हैं । ४ महीने चलती हैं तो दो महीने का हिसाब दिखाया जाता है और कर्मचारी जो हैं वे उनकी खुशामद में लगे रहते हैं । भ्रष्टाचार की जो जड़ है जब तक उसे नहीं काटा जाता है तब तक भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता है । इन सब बातों से लांछन आता है उस पार्टी पर जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी तथा सुभाषचन्द्र बोस जैसे देश भक्तों ने किया था, जिन पर देश को गर्व है । लांछन आता है उस कांग्रेस संस्था पर जिसने इस देश की प्रजातांत्रिक ढंग पर बागडोर सबसे पहले अपने हाथ में संभाली और जिसने एक आदर्श कायम करने की कसम खाई थी । भ्रष्टाचार बढता है जब आर० टी० ओज० को स्वयं मंत्री महोदय इतने अधिकार देते हैं और जब रिश्वत की बात आती है तो वह स्रोत मंत्री महोदय तक पहुंच सकता है । मैं सिद्धान्तिक रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि यह जो स्रोत चलता है और उसको जो रक्षा की जाती है तो फिर दोष किस पर आता है ? अधिकारी दोषी हो सकते हैं लेकिन जड़ कहां से चलती है, यह देखना है ।

सरकार ने सुविधा दी टूरिस्ट्स को टूरिस्ट बसें चला कर । जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जो सांस्कृतिक पार्टीज हैं, साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हैं उनको सुविधायें प्राप्त होती हैं लेकिन कोई भी संस्था इन बसेज को तब तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उचित मात्रा में

[श्री खेमचन्द]

भेंट उन देवताओं को न अर्पित कर दे। टूरिस्ट बसेज का सेंक्शन माननीय मंत्री जी करते हैं और उन सैंक्शन्स के आधार पर अगर शिकायतें आती हैं तब क्या कहा जाय ?

प्राइवेट बसेज का सवाल भी विचारणीय है। जिस रूट पर प्राइवेट बसेज चलती हैं और जब भी मुझे उन पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ मैंने यह देखा कि वे चालान भरते हैं। इंस्पेक्शन तथा जांच सब कुछ होता है, लेकिन उनका सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है। गाड़ियां पुरानी हैं और उनके मालिक उनको अबतक रगड़ते चले जा रहे हैं। बाडीज भी उनकी बड़ी खराब होती हैं और उनको बदलने के आदेश भी नहीं दिये जाते हैं।

यातायात के अन्य जितने साधन होते हैं उनमें प्रोटेक्शन किसी न किसी प्रकार का होता ही है, लेकिन रोडवेज में किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। किसी गैंग ने बस रुकवा ली और यात्रियों को लूट लिया। जिस प्रकार से पहले रात में चलने वाली बसेज पर रक्षक चला करते थे उसी प्रकार से अब भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये ताकि यात्री समझ सकें कि उनकी यात्रा सुरक्षित है।

एक शिकायत यह भी सुनने में आई है कि इस विभाग में रिट्रेंचमेंट जितना होता है वह हरिजनों का होता है। एक ओर तो सरकार की यह प्रतिज्ञा है और गवर्नर महोदय ने भी अपने भाषण में वादा किया था कि विशेष सुविधा दे कर हरिजनों के संरक्षण को पूरा किया जायगा, लेकिन दूसरी ओर उनको कम करने की कोशिश की जाती है। तो यह क्या प्रतिज्ञा है, क्या वायदा है ? इस प्रकार से गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाने वाला निजाम ज्यादा दिन नहीं चल सकता।

अन्त में मेरा निवेदन यही है कि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर है जब तक वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तब तक गरीब जनता को और कर्मचारियों को राहत नहीं मिल सकती है। स्वाभिमान यह कहता है कि अगर वे अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हैं तो उन कुर्सियों को छोड़ें।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर अधिक चर्चा रोडवेज के ही सम्बन्ध में हुई और उसके क्रिया कलापों पर हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया और इसके कामों पर संतोष व्यक्त किया। जैसा कि मंत्री जी ने व्याख्यान के प्रारम्भ में ही कहा था कि ये पूर्णता दावा नहीं करते, संभव है इसमें खामियां हों, और होंगी भी। बहुत-सी खामियों पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वे दूर की जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लखी सिंह जी ने कटमोशन मूव करते समय दो, तीन बातें उठायीं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में कांग्रेसियों को परमिट दिये गये और इसी संदर्भ में श्री बालोजी अग्रवाल ने कहा कि किसी स्वार्थवश या किसी विशेष मंशा से सरकार पहाड़ी जिलों में ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज नहीं कर रही है। उन्होंने वहाँ के के० एम० ओ० यू० का जिक्र किया था। वह कोई कंपनी नहीं है। जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है, हम कंपनियों का नहीं, रोड्स का नेशनलाइजेशन करते हैं ताकि उस पर मोनापोली के रूप में सरकारी गाड़ियां ही चलें। सवाल यह है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं अथवा नहीं। पहाड़ों पर बहुत काफी सड़कें ली गयी हैं और उन पर रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

अगर आपकी सड़कों पर के० एम० ओ० यू० पी० गाड़ियां चलती हैं तो उनको आप बन्द करवाइये ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसा कोई रूट नहीं है । असल में स्थिति यह है कि वहां अल्मोड़े और नैनीताल में के० एम० ओ० यू० बहुत काफी समय से चल रही है । हमने काफी सड़कें नेशनलाइज की हैं । इस सिलसिले में माननीय ऊदल ने भी एक बात कही थी कि इस रास्ते में जो रोड़े हैं उनको दूर करने की बात सरकार को सोचनी चाहिये । सरकार तो चाहती है, लेकिन इस प्रकार के सोशलिज्म के साथ-साथ हमको डेमोक्रेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है और इनके मातहत हमको दिक्कतों को फेस भी करना पड़ता है । नेशनलाइज करने की एक प्रक्रिया होती है । कई बार कोर्ट के फैसले हमारे खिलाफ हो जाते हैं और इस प्रकार एक सड़क को लेते-लेते बरसों लग जाते हैं । कभी-कभी हम उसे नहीं ले पाते क्योंकि मुमकिन है कि कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला दे दे ।

श्री ऊदल—

संविधान में संशोधन कराइये ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो । ऐसा सुझाव राज्य सरकार कभी नहीं देगी । ऐसा संशोधन तो किसी कम्युनिस्ट कंट्री में ही हो सकता है ।

श्री ऊदल—

मैं कहना चाहता हूं कि लंका में भंडारनायक सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार नहीं है । प्रजातंत्र में यह सब काम होते हैं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रजातंत्र में जितने संशोधन होने चाहिये । वह किये गये हैं । अभी माननीय चन्द्रसिंह राव जी ने ध्यान आकर्षित किया था कि यह मनोपली कहां से आ गयी । जिस हद तक हम जा सकते थे, हम गये हैं ।

श्री उग्रसेन—

एक दूसरा सुझाव दे दूं । संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है । दफा ६८(स) है उसे देख लें । उसमें ले लें ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उसके अन्तर्गत ही नोटिफिकेशन होता है । मैं माननीय ऊदल जी की जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि जहां तक हम जा सकते थे, हम गये हैं ।

इसके साथ ही लखी सिंह जी ने यह बात कही कि यहां एक सवाल पूछा गया था कि किस रीजन में कितनी गाड़ियां खराब हुई हैं । उसमें इलाहाबाद में किसी गाड़ी के खराब होने की बात नहीं बतलायी गयी । उससे उन्होंने यह निकाल लिया कि वह मंत्री जी का जिला है इसलिये वहां की गाड़ियां खराब नहीं होती हैं । मैं उनकी बात पूरी तरह से समझ नहीं सका । लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सवाल इस तरह से पूछना चाहिये था कि गाड़ियों की बिगड़ जाने की वजह से कितनी सर्विस रुकीं और कितना नुकसान हुआ, लेकिन वह प्रश्न दूसरी तरह से ही पूछा गया था ।

[श्री हरीदत्त काण्डपाल]

एक बात और है कि यहां कि यहां रेलवेज से रोडवेज की तुलना की गयी। उस से तुलना करना नहीं चाहिये क्योंकि इन दोनों में कोई साम्य नहीं है।

जहां तक पैसेन्जर्स की दिक्कतों का सवाल है, उनका खयाल किया जाता है। उनकी एमीनिटीज बढाने का ध्यान रखा जाता है। श्रीमन्, आपको जानकर खुशी होगी कि इस दिशा में इस प्रदेश में ही सर्व प्रथम बस स्टेशन की स्थापना की गयी थी। टिकट तो गाड़ियों पर कंडक्टर ही दे सकता है, हम बस स्टेशन की स्थापना के खर्च को बचा सकते थे, लेकिन बस स्टेशन ही पैसेन्जसै के लिये एक एमीनिटी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा वहां पर पानी की, बैठने की, उठने की और दूसरी तरह की व्यवस्था हमने की है। यह ठीक है कि सब तरह की सहूलियतें हर जगह नहीं हैं, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और इस बजट में भी काफी प्राविजन इनके लिये किया गया है।

माननीय ऊदल तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने इस तरफ इशारा किया कि हमारी आमदनी घट रही है। वास्तव में हमारी आमदनी घटी नहीं है। यदि हम १९६१-६२ में अतिरिक्त खर्च न करते तो हमारी आमदनी बढ़ती। उस साल १ लाख ११ हजार रुपया डिप्रिशियेशन में रहा इसलिये कि गाड़ियों की कीमत बढ़ गई दूसरे एडहाक पे उसी साल बढ़ी। उसमें २,५६,००० रुपया देना पड़ा। डीजिल के दाम भी बढ़ गये क्योंकि सैल्स टैक्स बढ़ गया था। ११,६१,३०० रुपया इसमें बढ़ा। ओवरटाइम एलाउन्स उसके पहले नहीं था। १,७७,८१४ रुपया ओवर टाइम का पे किया गया और मुनाफा १९, ०६, ११४ रु० हुआ।

श्री ऊदल---

जैसा इस पुस्तिका में दिया हुआ है मुनाफा तो कम हुआ।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके मुनाफे में इजाफा होता अगर यह खर्चा न होता और इस तरह से मुनाफे को परसैन्टेज १७.८० हो जाती। १९६२-६३ में भी अतिरिक्त खर्चा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट लागू हो जाने के कारण हुआ, क्योंकि कुछ हमको राशि वगैरह लेनी पड़ी। इसी तरह से १९६३-६४ में यह खर्चा बढ़ा। इस प्रकार से हमारा मुनाफा १४.५४ परसैंट का होता है। मेरे पास ६ स्टेट्स के आंकड़े हैं उनमें से एक आध को छोड़कर हमारी आमदनी सब स्टेट्स से अधिक है। तो मैंने इस बात का खुलासा किया कि हमारी आमदनी घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है। दूसरे यह एक स्टेट अन्डरटेकिंग है, यह कोई मारवाड़ी या बनिये की दूकान नहीं है जो केवल मुनाफे ही मुनाफे को देखा करते हैं। हमारी स्टेट वैल्फेयर स्टेट है लिहाजा कल्याणकारी कार्यों को भी दृष्टिपात करना चाहिये।

श्री ऊदल---

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारा जो अतिरिक्त खर्चा हुआ है उसके होने के कारण हमारी आमदनी १७.८० प्रतिशत बतायी। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले वर्षों के मुकाबले में किस प्रकार से अधिक मुनाफा बढ़ा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सन् १९६२-६३ में यह १५.६३ आता है और १९६३-६४ में भी यह बढ़ा है। आमदनी में कमी नहीं हुई है।

जहां तक कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां स्थायी कर्मचारी अधिक हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि जो लोग वर्कशाप में काम करते

हैं, उनके लिये जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, आर्डर्स बन कर लेबर कमिश्नर को चले गये हैं और जैसे ही विचार समाप्त हो जायगा, इसमें वर्कशाप के कर्मचारियों को परमानैन्ट कर दिया जायगा ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, कोई व्यवस्था नहीं है । स्थायी करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, जहां तक बोनस का ताल्लुक है यह प्रश्न बोनस कमीशन को सुपुर्द किया था । उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है यह बात मानी है कि स्टेट अन्डरटेकिंग्स पर बोनस लागू नहीं होना चाहिये । हम लोग जो हमारे कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, उनको साल भर में इनामात भी देते हैं जो काफी रकम होती है और जिसके बारे में माननीय मंत्री जी विस्तृत रूप में प्रकाश डालेंगे ।

अब कुछ दुर्घटनाओं की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि हमारे यहां बहुत दुर्घटनायें होती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि हमने तमाम हिन्दुस्तान के आंकड़े देखे । तो मालूम हुआ कि हमारे यहां ब्रेकडाउन की संख्या कम है । जो एक लाख किलोमीटर में केवल १.२ ही है और अन्य प्रदेशों में ज्यादा है ।

श्रीमन्, जहां तक एफीशियेन्सी का सवाल है, मंत्री जी ने रोडवेज के कर्मचारियों को बधाई दी है । इसलिये कि जिस ऐफीशियेन्सी से वे इसको चला रहेहैं उसका एक उदाहरण यह है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में एक गैलन डीजल में हमारी गाड़ियां सबसे ज्यादा चलती हैं । हमारा औसत एक लिटर में ५.७१ मिलोमीटर आता है । सबसे ज्यादा जिस स्टेट का है उसका ४.८ है । इंजिनों का २ लाख ४७ हजार किलोमीटर है । लेलैंड का तो ३ लाख किलोमीटर है । इसी प्रकार से टायर्स का हमारे यहां ७० हजार किलोमीटर है और मरम्मत किये हुये टायर्स का ३७ हजार किलोमीटर है । इस प्रकार से हमारी रोडवेज एफीशियेन्सी के साथ रन कर रही हैं । जो कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिये इनाम की व्यवस्था है । इंजिन ज्यादा चलें इसके लिये कोशिश की जाती है और मरम्मत का भी अच्छा प्रबन्ध है । कम तेल में हमारी गाड़ियां ज्यादा दूर चलें, इसमें भी हमने सफलता प्राप्त की है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, बोनस कमीशन का जब कानून बन जायगा तो क्या मंत्री जी उसको मानेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, जब वह आयेगा तब देखा जायगा । इस समय कैसे कुछ कहा जा सकता है ? श्रीमान्, बालोजी अग्रवाल जी ने कहा था कि टूरिस्ट्स को बड़ी दिक्कत है। मोटर ड्राइवर्स उनको ठगते हैं और उन्होंने सुझाव दिया था कि मोटर लगने चाहिये और टैक्सीज को रंगना चाहिये । मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश हो चुके हैं कि उनमें मोटर लगेंगे और उनको रंगा जायगा । स्पीड बढ़ाने के लिये सुझाव दिया गया है । जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का । उसके मातहत हम काम करते हैं । दूसरे प्रदेशों में क्या बात है ? मैं नहीं जानता । कुछ रोड्स का भी डिफ्रेन्स होता है । बाकी इस ऐक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है और दूसरे प्रदेशों में कैसे चलती हैं । मैं नहीं कह सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

पंजाब में ५० मील से चलती हैं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पता नहीं क्या बात है ? इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करनी होगी ।

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

जहां तक ट्रक्स की लोड कैपसिटी को बढ़ाने की बात है, उसमें इस विभाग का ही केवल हाथ नहीं है, बल्कि पी० डब्लू० डी० की रजामंदी लेनी पड़ती है । जितनी वे बतायेंगे उतनी इजाजत दी जा सकती है । अगर माननीय सदस्यों का आग्रह होगा तो उनसे पूछ लिया जायगा । यह सही है जिसका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि जितनी लिमिट होती है, उससे अक्सर ज्यादा बोझ लेकर गाड़ियां जाती हैं । इसके लिये बातचीत कर ली जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी मंत्री जी से चाहता हूं कि रोडवेज कर्मचारियों की कैजुअल लीव के लिये उन्होंने कोई व्यवस्था की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जिस तरह से और गवर्नमेंट सर्वेन्टस को कैजुअल लीव दी जाती है वैसे ही इनको दी जाती है । किन्तु जो लेबर ऐक्ट में आते हैं उनको उसके मुताबिक दी जाती है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव आल इंडिया ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के अनुसार रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं मिलती है । मगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसके बारे में एक सिफारिश भेजी है, किन्तु वह कागज २ साल से सचिवालय में दबा पड़ा हुआ है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है । इस पर मंत्री जी, क्या हो रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

एक बात और कही गई, अहमद बख्श जी ने कही कि टेम्पोरेरी परमिट देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होना चाहिये । मैं समझता हूं वह तो आल रेडी है ही । अब उनके सामने क्या दिक्कत है, इसे मैं नहीं समझता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

लखनऊ–फैजाबाद रोड पर क्या कर रहे हैं, यह बता दीजिये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों पक्षों के विवाद को सुनता रहा और अभी जो मंत्री जी और उपमंत्री जी ने दलीलें पेश कीं और उनमें नियमों की दुहाई दी गई, मैं प्रार्थना करूंगा माननीय कांडपाल जी से कि नियमों की किताब जो है, उसको गौर से आप जरा खुद पढ़ें । अभी-अभी आपने सेक्रेटरी महोदय से सलाह ली और उन्होंने आधा सही आधा गलत जो आपको बता दिया, वह आपने कह दिया । यदि इसी प्रकार आप अधिकारियों की सलाह से काम लेते रहेंगे तो इसमें सुधार नहीं हो सकता है । आप सारी बातें खुद समझें, खुद नियमों को ध्यान से पढ़ें, आप भी बैठें, हम भी बैठें और उन पर विचार करें ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह मंत्री जी की तरफ मुख कर के बोल रहे हैं, वे कृपया अध्यक्ष पीठ की तरफ मुंह करके उन्हें संबोधित करक बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, मैं भी आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि लोग शान्तिपूर्वक रहें और आप शान्ति से कहें, कोई गड़बड़ न करें ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष जी, उसमें क्या, जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे ।

श्री गयाप्रसाद—

अच्छा-अच्छा, देखिये हमारा समय नष्ट न कराइये । मैं प्रार्थना करूंगा, दो चार सुझाव ऐसे हैं, जिन पर मंत्री जी और उपमंत्री जी सभी लोग बैठकर सच्चे दिमाग से विचार करेंगे तो इस विभाग का बहुत सा मसला हल हो जायगा । मैं आपसे अदब के साथ कहूंगा कि एक मसला तो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बसों की । हमारे यहां को दिल्ली से १०० बसें रोज चलती हैं यात्रियों के लिये जो हरिद्वार तक जाती हैं । उनमें नाम तो यह होता है कि हम पर्यटक लिये जा रहे हैं, लेकिन वे यात्रियों को ढोती हैं, जिससे कई लाख रुपये का हमारा नुकसान हो रहा है । इसमें हमारे प्रदेश का कई लाख रुपया गायब हो रहा है । और अभी-अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि हमारे यहां की बसों को उन्होंने नोटिस दी है कि अमुक-अमुक बसें १५ मार्च के बाद नहीं चलने दी जायेंगी । मैं चाहता हूं कि यह मसला बैठकर तय कर लिया जाय । या तो दिल्ली सरकार की बसें चलें, वह हमारे प्रान्त में आ सकती हैं और हमारे प्रान्त की वहां जा सकती हैं, किन्तु प्राइवेट बसों के लिये कौन सी गुंजायश हो जाती है, यह हमारी समझ में नहीं आता और हमारी सरकार उसे परमिट क्यों करती है ? इसमें करोड़ों रुपये का सवाल है । हमारे प्रदेश की हालत देखते हुये इतने रुपये की हानि बहुत महत्वपूर्ण चीज है । इस दिशा में इसका सही इलाज अवश्य होनी चाहिये । किन्तु यदि आप कर्मचारियों के सुझाव पर काम करते रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हमारे प्रदेश को होगा ।

दूसरी शिकायत मुझे यह है कि आर० टी० ए० का जो कांस्टीट्यूशन है । उसकी धारा ६३-६४ में, यानी ६३ ए और ६४ ए० बी० सी० में मंत्री महोदय ने जो गड़बड़ी कर दी है । उसमें मैं चाहता हूं सुधार हो जाय । वर्तमान नियम में जो एक मेम्बर की बाडी बनाई गयी है वह ठीक नहीं है । आप स्वयं सोचें कि एक मेम्बर का सुझाव कहां तक ठीक हो सकता है ? रूल्स में जो प्राविजन है उसके अनुसार २ नान-आफिशियल मेम्बर व २ आफिशियल मेम्बर होते हैं और कमिश्नर उसका चैयरमैन होता है । यह नियम है । इसके अलावा, आप जबसे मंत्री हुये हैं आपने आर० टी० ए० का कांस्टीट्यूशन ऐसा बनाया है कि वह एक सदस्य बाडी बन गयी और इसलिये उसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात की गुंजायश होती है । इसलिये आर० टी० ए० की बनावट जो संकुचित हो गयी है उसका उसी तरह से विस्तार कीजिये जैसा वह पहले था ।

इसके अलावा रीजन्स के बटवारे में जो पूरे प्रान्त को ८ या ९ रीजन्स में बांटा गया है उसकी वजह से भी कर्मचारियों और आफिसर इन्चार्जों को फिक्स-अप करने का तरीका वह बन गया है । आप यदि इसको छोड़कर जो मान्य तरीका है, एक कमिश्नर को ही यदि आप एक रीजन बना दें, तो शायद यह शिकायत दूर हो जायेगी । मैं आपको बताता हूं कि सन् ६२ में बनारस की समस्त पार्टियों के एम० पीज०, एम० एल० एज० और लोकल बाडीज के सदस्य ने मिल करके, किसी पार्टी का सवाल नहीं था, कांग्रेस के लोगों ने भी और दूसरे लोगों ने भी मिल करके, एक-एक दरख्वास्त मंत्री जी को दी थी, वहां के कमिश्नर ने भी लिखा कि वाराणसी को एक अलग रीजन बनाओ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मांग टर्न डाउन हो गयी इसलिये कि एक आर० टी० ए० ने इसको सुझाव दिया और इलाहाबाद और वाराणसी रीजन को एक में रखना उचित है । बस हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया गया । इसमें वाराणसी-जौनपुर का सवाल था और-और भी सवाल थे .....

श्री मुजफ्फर हसन—

यह कब का मामला है ?

श्री गयाप्रसाद—

१९६२ का है ।

इसके अलावा पर्यटन का भी एक सवाल है । यह एक ऐसा सवाल है कि हमारे देश में विदेशी पूंजी आती है और जब विदेशी मुद्रा हम अर्न कर सकते हैं और जब इस संबंध में ठीक से काम नहीं करते तो उससे जो हमारे देश और प्रदेश को नफा मिलने वाला है वह नहीं मिल पा रहा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि २२ करोड़ रुपये पर्यटन से हमारे मुल्क में आ रहे हैं और उसका अच्छा खासा भाग इस प्रान्त के द्वारा आ रहा है । अगर पर्यटन विभाग को ठीक से आर्गनाइज कर दिया जाय और उसमें थोड़े से सुधार, बहुत कम खर्च वाले, कर दिये जायं तो अरबों रुपये इस पर्यटन से हमारे मुल्क में आ सकते हैं । बार-बार मंत्री महोदय की सेवा में ऐसे सुझाव दिये गये हैं । दूसरे प्रान्तों में इसका सेपरेट पोर्टफोलियो, सेपरेट विभाग और सेपरेट डाइरेक्टोरेट है । लेकिन सबसे ज्यादा टूरिज्म के स्थान हमार प्रदेश में आगरा, काशी, मथुरा, रिहंद वगैरह हैं और इसके कारण एक बहुत अच्छी खासी रकम हमारे प्रदेश को मिल सकती है । यहां भी अगर टूरिज्म का सेपरेट डाइरेक्टोरेट, सेपरेट पोर्टफोलियो हो और ठीक से काम हो तो बहुत बड़ी आमदनी हो सकेगी है ।

अब रोडवेज कर्मचारियों का जहांतक सवाल है उसके ऊपर बहुत से भाइयों ने कहा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ठंडे दिल दिमाग से सोचें तो आप उस स्किल्ड लेबर को २७ रुपये दे रहे हैं जो मोटर के बड़े-बड़े हिस्सों को ओवरहाल कर सकता है और कर रहा है । दुनियां में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि इतनी छोटी स्केल से स्किल्ड लेबरर को दी जाती हो जो वेतन आप अपने ड्राइवर को दे रहे हैं अगर वही जब प्राइवेट ट्रक चलाते हैं तो २ सौ रुपया महीना पाते हैं, वही स्किल्ड लेबर आपका बाहर की फैक्टरी में मरम्मत का काम करता है तो २७ रुपये रोज कमाता है । लेकिन २७ रुपये उसका महीने भर का वेतन आपके विभाग में है ।

आपने कहा कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है । तो पहले तो फायदा हो ही नहीं रहा है । मैं आंकड़ों से आपको बता सकता हूं कि फायदा नहीं है । जितने नये रूट्स आपने लिये, उसको नापकर जोड़ लें और फिर विस्तार को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपको आमदनी में गिरावट है । आपको गलत आंकड़े दिये गये हैं कि फायदा हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि असली फायदा यह नहीं है । असली फायदा यह है कि अपने कर्मचारियों को कितना आप स्वस्थ रखते हैं और कितना प्रसन्न रखते हैं और वे कितने वेल फेड हैं । यही असली फायदा है कि अपने प्रदेश में यात्रा करने वाले लोगों की सुख सुविधा आप कितनी बढ़ा सकते हैं । आपने मुनाफे के लिये इस कम्पनी को नहीं खोला है । जनता की सुख सुविधा के लिये इसको खोला गया है । मैं आपसे यह निवेदन करूं कि यह मेरे कुछ जरूरी सुझाव थे ।

एक बात यह कहूं कि इलाहाबाद में सन् १९६३ में ७३ कर्मचारियों को निकाल दिया गया और उनको कहा नहीं गया कि उनका दोष क्या था । उनको जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं की गई । लेकिन खाली उनको घर बैठा दिया गया । आज तक उनके मामले को कभी भी विचारा नहीं गया । किसी स्तर के कर्मचारियों से उनके मामले को जंचवाया नहीं गया । उसके बाद के जितने लोग थे उनको स्थायी कर दिया गया । आप इस पर दृष्टि डालें और सोचें कि पहले के कर्मचारियों के मामले पड़े थे उनका तो फैसला हो गया, लेकिन इनके मामले पड़े हैं । आप खुद जानते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति वहां पर है जो ड्राइवर और कंडक्टर से २०० रुपया खा लेता है तो उसका फैसला कर देता है और जो नहीं देते हैं वह बेचारे इस परिणाम को भोगते हैं । यह सारी चीजें हैं । आप इनको जांच कीजिये । इससे अधिक मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है ।

अन्त में मैं इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि बहुत शोर गुल हुआ । मैं नहीं चाहता हूं और न मेरी ऐसी भावना है कि उन बातों को यहां पर दोहराऊं । लेकिन मुख्य मंत्री जी से जज की नियुक्ति के संबंध मे कुछ बातें मैंने जाननी चाही थी । मैंने उनसे बार-बार पत्र लिखकर पूछना चाहा कि ये जो तमाम चार्जेज हैं इनकी जांच होगी या नहीं, और क्या जज महोदय के सामने मुझे उपस्थित होने का अवसर मिलेगा या नहीं और हमारी वहां पर गवाही ली जायगी या नहीं ? इन तमाम बातों की जानकारी मैंने सुचेता जी से करनी चाही, पर उन्होंने कुछ नहीं बतलाया । तो अब मैं फिर मजबूर होता हूं और जो मैं कहना नहीं चाहता वह भी मुझे कहना पड़ता है । आज यह सवाल मुजफ्फर हसन साहब का नहीं है और न किसी कर्मचारी का है । सवाल है नीति का और अपने प्रदेश शासन में बैठने वाले लोगों का । सबसे बड़ा सवाल है मुख्य मंत्री का जिन्होंने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिये इस तरह की कार्यवाही की कि भ्रष्टाचार की जांच न हो । भले ही चोरी बढ़े, डकैती बढ़े और इस प्रदेश की जनता चाहे जितनी परेशान रहे उनको इससे मतलब नहीं है । उनको मतलब कुर्सी से है । किसी से कहेंगे तो यह कुर्सी छोड़ना पड़ेगी । इसलिये यह जांच खटाई में पड़ी हुई है । उपनेता सदन यहां पर बैठे हुये हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमको इस बात की जरूरत नहीं है कि किसी को सजा हो । हम तो यह चाहते हैं कि आप कह दें कि एक रोज हमने जांच कराई और जांच की रिपोर्ट आ गई और मामला गलत है आप बैठ जाइये । आप यह कह दें हमको संतोष हो जायगा, लेकिन साल भर तक लटकाकर जांच न कराना उनके लिये यह शोभा की बात नहीं है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान विभाग का पेश हुआ है इसका समर्थन करता हूं । माननीय ऊदल ने बहुत सही बात कही कि इस विभाग को जब बनाया गया तो मंशा यह था कि प्रदेश के नागरिकों को और जनता को अधिक सुविधा दी जाय उनके मुकाबले में जो उस समय प्राइवेट आपरेटर देते थे और यह मन्शा था कि जो मुनाफा प्राइवेट आपरेटर की जेब में जाता था वह मुनाफा प्रदेश के खजाने में आये ताकि प्रदेश के विकास के कार्यों में सहायता मिले और इस विभाग को आगे बढ़ा सकें । यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं उनमें यह सबसे बड़ी अन्डरटेकिंग है । हमारे यहां ट्यूबवैल और कैनाल अन्डरटेकिंग को छोड़कर ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग सबसे बड़ी अन्डरटेकिंग हैं । इसमें करीब १७ करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है।

मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि इन तीनों अन्डरटेकिंग्स के मुकाबले में हमारी ट्रांस्पोर्ट की अन्डरटेकिंग सब से ज्यादा वेल-आर्गनाइज्ड और पेइंग रही है। परन्तु मान्यवर, अब जो आंकड़े दिये गये हैं, जैसा कि जवाब काण्डपाल जी ने दिया जो भी उनका बेसिस हो लेकिन बजट के आंकड़ों में और इस पुस्तिका में जो आंकड़े हैं दोनों मे काफी अन्तर है। उससे मुझे जैसा आदमी कन्फ्यूज हो जाता है फिर कैसे टीका-टिप्पणी करूं। दो किताबों में बेसिस और आंकड़े एक होने चाहियें।

[redacted]

मान्यवर, मैं इस विभाग की तसवीर आप के सामने पेश करना चाहता हूं। किताब में लिखा हुआ है, १९५९–६० से दिया है कि ९ करोड़ ५३ लाख से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ते-बढ़ते १७ करोड़ तक पहुंच गया है जब कि परसेंटेज आफ रिटर्न को देखें तो २४.८७ से घटते-घटते १५.९५ पर आ गया है। १९६५–६६ के आंकड़े दिये नहीं हैं। साथ ही परसेंटेज आफ प्राफिट २१.३१ से घटते-घटते ९.५ परसेंट आ गया। और १९६५–६६ का स्टीपुलेटेड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नवलकिशोर]

प्राफिट केवल ३ परसेंट है। उग्रसेन जी ने कहा कि बहुत से मैनेजर्स बढ़ गये हैं। वह डिटेल की बातें हैं, मुझे कोई आफ-हैन्ड बात नहीं करनी है, लेकिन मेरा अनुभव है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग में एक्सपेंडीचर बहुत ज्यादा होता है। गुंजाइश इस बात की है कि इस में इकोनामी की जाय और जब कि रेलवे अपना किराया बढ़ाती जाती है तो माननीय मन्त्री जी न बढ़ायें तो यह बात समझ में नहीं आती। जब कि आप का इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और फिर भी किराये नहीं बढ़ेंगे तो कोई अच्छी पिक्चर हमारे सामने नहीं आयेगी।

अपोजीशन की तरफ से यह भी कहा गया कि और सुविधा दीजिये। मैं उन लोगों में से हूं और यह समाजवाद का भी तकाजा है कि पब्लिक सेक्टर में आइडियल कन्डीशन्स होनी चाहिये, उसके फंक्शनिंग की, आपरेशन की जो सर्विस कन्डीशन्स हैं वह आइडियल होनी चाहिये। श्रीपालसिंह जी तो मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन हमको पब्लिक सेक्टर की तरफ स्विच आन करना है। उस के लिए हमें साबित करना है कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर ज्यादा एफिशियेंट और पेइंग है। केवल स्लोगन्स से समाजवाद आने वाला नहीं है और पब्लिक सेक्टर बढ़ने वाला नहीं है। मैं सुझाव देने वालों से इत्तफाक करता हूं कि अधिक सुविधायें दे सकते हैं तो दें। जब सुविधायें ज्यादा देंगे तो इस सदन को मानना पड़ेगा कि यह एक वेलफेयर कन्सर्न है, वह कामर्शियल कन्सर्न नहीं रह जायगा——नो प्राफिट नो लास वाली बात होगी। तो सुविधाओं के देने की बात करें और खर्च आपके कम हों, यह दो बातें नहीं हो सकतीं।

एक बात कही गयी कि कारपोरेशन नहीं बनाया गया, लखीसिंह जी ने कहा। लेकिन शब्दों के इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐग्रीकल्चर आफिसर रखने से ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। एफिशियेंसी का कोई सैचुरेशन प्वाइन्ट नहीं हो सकता, उसके बढ़ने की हमेशा गुन्जाइश है। कारपोरेशन होना स्टेट के हित में नहीं है। अगर आमदनी का हिस्सा टैक्सेज में चला गया जो हमारे खजाने में आने वाला नहीं है तो कारपोरेशन का नाम लेकर केवल उसका ढिंढोरा पीटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और न ही उससे कोई एफिशियेंसी ही बढ़ती है। हां, जो कमियां हैं उनकी ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिये, वह सही बात है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)——

वह तो मसानी कमेटी की रिपोर्ट थी।

श्री नवलकिशोर——

किसी कमेटी की रिपोर्ट की कोई चीज बाइबिल का वाक्य नहीं बन जाती। वर्तमान स्थिति में प्रदेश के हित में जितना हम कर सकते हैं वह हमें करना चाहिये। वर्तमान स्थिति में कारपोरेशन की बात करना, मेरी समझ में, उचित नहीं है। हर स्टेट अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना काम करती है, केवल आंख मीच कर युनिफार्मिटी की बात करने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय गयाप्रसादसिंह से टूरिस्ट की बात कही...

श्री गयाप्रसाद——

मैंने उसके डाइरेक्टोरेट के लिए कहा था।

श्री नवलकिशोर——

इसके लिए कहा था तो ठीक है। यह अच्छा सुझाव है। मुझे अभी बताया गया कि वह आलरेडी विचाराधीन है भी।

टुअरिज्म से अगर पैसा मिलता है तो यह अच्छी बात है।

कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही गयी। यह शिकायत आमतौर से सभी विभागों की है। आजादी के बाद हमारे यहां इतना ज्यादा विकास का काम हुआ है कि जिसके कारण चारों तरफ फैलाव हो गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि जल्दी से जल्दी कर्मचरियों को स्थायी कर देना चाहिये, मगर उस के अन्दर कुछ कठिनाइयां होती हैं, वित्त विभाग क भी कुछ कठिनाइयां हैं। फिर भी सुझाव अच्छा है और वह अपनी जगह सही है। इस सम्बन्ध में आंकड़े तो माननीय मन्त्री जी देंगे, मेरे पास नहीं है।

मान्यवर, पैसेंजर्स को फैसिलिटी की बात कही गयी। मैं यह बात मानता हूं कि प्राइवेट बसों के मुकाबले आज फैसिलिटी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उसमें और गुन्जाइश है, उस तरफ ध्यान देना चाहिये।

जो सामान बसों की छतों पर से गिर जाता है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपरेटर की होनी चाहिये। वरना कोई कर्मचारी यदि चाहे तो किसी के सामान को कहीं गिरा सकता है। जब सामान छत पर पहुंच जाये तो जिम्मेदारी कन्डक्टर की हो।

आर० टी० ए० के बारे में भी कहा गया। पहले तो शिकायत थी कि उसमें कांग्रेसी सदस्यों को रख दिया जाता है और उन्हीं को परमिट मिलता है। अब तो उनकी संख्या एक तरह से ५० फी सदी कम हो गयी। अब तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिये। उसमें अब एक कमिश्नर, एक आर० टी० ओ० तथा एक नान आफिशियल मेम्बर ही हैं। इसमें कोई अब आपत्ति की बात नहीं है।

हरिजनों की संख्या के बारे में भी कहा गया और यह कहा गया कि गवर्नर महोदय ने आश्वासन भी दिया। मान्यवर, यह सेशन तो अभी खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। जब यह आश्वासन दिया गया है तो अवश्य पूरा होगा, मगर उसके लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही। उसे पूरा किया जायगा।

कुछ और बातों की ओर माननीय गयाप्रसाद जी ने संकेत किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जिस ढंग से विवाद चल रहा है, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है, वह डेमोक्रेटिक ढंग का है और आज का वातावरण कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक है, पिछले दिनों के मुकाबिले में। उस के लिए मैं दोनों साइड के मेम्बरों को बधाई देता हूं। हर माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि विभाग में जहां कहीं खराबी हो उसकी ओर वह हमारा ध्यान आकर्षित करे और माननीय मन्त्री जी को उस ओर ध्यान देना चाहिये और जो खराबी हो, उसे देखना चाहिये। इतना बड़ा विभाग है, गलतियां हो सकती हैं। मिस्अन्डरस्टैन्डिग भी हो सकती है। मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। माननीय गया प्रसाद जी को याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, कि परमिट एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके खाविन्द को सिंगापुर के एक विद्रोह में फांसी की सजा हुयी थी। पोलिटिकल सफरर के लिए हम ने कुछ सुविधायें भी दी हैं। सैकड़ों परमिट और भी लोगों को दिये गये। तो अगर उनको फे मली को एक परमिट दिया गया तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)।

नहीं, मुझे तो आप की हर बात में आनन्द आता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि अगर उसके अन्दर कुछ ज्यादा भी इमदाद हो गयी होती, तो भी वह ऐसा मसला नहीं था। मगर फिर भी सही या गलत, अब उस मसले को आपने उठाया तो माननीय मुख्य मन्त्री ने उसके ऊपर जांच की। विजिलेंस कमेटी को भी गया और मैं इस मामले के अन्दर थोड़ी सी मान्यवर, दाद देना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी की कि उनको जरूरत नहीं थी कहने की, मगर उन्होंने खुद कहा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरे विभाग का मामला है और इसका सम्बन्ध हमारे एक सम्बन्धी से है, इसलिए किसी हाई कोर्ट

[श्री नवलकिशोर]

के जज से इसकी जांच आप करावें। इससे ज्यादा फेयर आफर और हो नहीं सकता। इसी के बाद मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जज का एप्वाइन्टमेंट वह करेंगे और शायद वह कर भी रही हैं। अगर हो गय तो अच्छी बात है। आपने एक बात यह भी उठायी कि इस में क्या होगा ? मैं समझता हूं कि जितनी जुडिशिल इन्क्वायरीज अब तक हुई हैं, उसमें जो जज नियुक्त होता है वह अपना प्रोसीजर खुद ले डाउन करता है कि मैं किस तरह प्रोसीड करूंगा। तो जो कुछ भी बात आपको कहनी हो, डाक्युमेंट्स रखने हों, वह सब आप कर सकते हैं। इस से ज्यादा फेयर बात और कोई हो नहीं सकती कि जज एक-एक बात को देखें और अपनी राय दें (व्यवधान) .... समय जो लग जाता है एक साल का तो भी तो जब नये-नये तत्व सामने ले आते हैं तो समय तो लगता ही है। बहरहाल, अब वह चीज मंजिल पर आ गयी है और जल्द ही आपके सन्तोष के लिए कार्यवाही शुरू हो जायगी।

सड़कों के राष्ट्रीयकरण की बात आयी जिसमें भी काण्डपाल जी ने कह दिया कि विधान की बात है। तो उसमें आपत्ति तो जरूर होती है कि जब कभी किसी सड़क या रूट को लेते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं तो प्राइवेट आपरेटर्स रिट में चले जाते हैं और अगर जुडीशियरी के आगे हम नतमस्तक न हों तो माननीय उग्रसेन जी परेशान हो जाते हैं और वैसे भी हमको नतमस्तक उनके सामने होना पड़ता है और होना चाहिये। फिर मान्यवर, हमारा तो अभी मिक्स्ड ऐडवेंचर चल रहा है। हमने प्राइवेट आपरेटर्स को मुस्तकिल तौर से आउस्ट नहीं किया है। यह जिस दिन तय कर लेंगे कि हमें करना है उस दिन विधान की भी धारा बाधक नहीं होगी। मेरा खयाल है कि विधान के अन्दर वह चीज हो सकती है।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी से कि आपके विभाग के अन्दर मुनाफा होता है यह बात सही है, मगर फिर भी करप्शन की बात जैसे और विभागों में कही जाती है, आपका विभाग भी उससे अछूता नहीं है, उस तरफ भी ध्यान देकर आपको कोशिश करनी चाहिये कि पब्लिक एन्टरप्राइज की एफिशियेंसी बढ़े, प्राफिट बढ़े, और मैक्सिमम फैसिलिटीज मजदूरों को देते हुये हम नागरिकों को सुविधा पहुंचायें तभी आप के विभाग की कामयाबी मानी जा सकती है।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने कुछ विचार रखूंगा। मैं केवल अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में आने जाने का कोई साधन नहीं है। तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद मेरा चुनाव क्षेत्र है। यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड से मिलता जुलता है। इलाहाबाद से महोवाघाट ५० मील का रास्ता है जिसमें सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं। लेकिन यह तहसील के पश्चिमी किनारे से निकल जाती हैं, भीतरी भाग में जाने का कोई साधन नहीं है। प्रान्त भर की जितनी खराब और रद्दी बसें हैं वह इस रूट पर लगा दी गयी हैं। और वे जहां तबियत आयी, वहीं खड़ी हो जाती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। इलाहाबाद-महोवा घाट की स्थिति यह है मान्यवर, कि जब चलेंगी, तो ४–४, ५–६ बसें एक साथ चलेंगी, और जब नहीं चलेंगी, तो सब की सब गायब हो जायंगी। कहने को तो ८–१० बसें चलती हैं, लेकिन सब से रद्दी बसें उस लाइन पर लगायी जाती हैं, जब कि केवल ५० मील का रास्ता है और वह रास्ता कच्चा है। दूसरा साधन आने जाने का नहीं है, भरवारी रास्ते में बाजार पड़ता है, वहां पर बुधवार और शनिवार को बाजार लगती है। उस दिन भरवारी से महोवाघाट तक का जो करीब-करीब २५ या २६ मील का रास्ता है और उसमें यही नहीं, बसें भर-भर कर आती हैं, बिलकुल दुगुना लोड होता है, लेकिन टिकट बुकिंग आफिस से नहीं इशू होते हैं। माननीय मन्त्री जी इस ओर आप ध्यान दें। इलाहाबाद-महोवाघाट रोड पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने बुकिंग क्लर्क हैं, मैं समझता हूं पुराने बैठे हुये हैं, जब से रोडवेज पैदा हुई है, तब से बैठे हुये हैं और बहुत भ्रष्टाचार वहां पर फैला हुआ है, जिसकी ओर आप ध्यान देने की कृपा करें। एक दिन मुझे मौका आया इलाहाबाद से सराय आकिल जाने का। बस पूरी भरी खड़ी थी और टिकट लेने वाला कोई नहीं था। मैं अकेला ही टिकट लेने के लिए पहुंचा था। अब मैं ने अन्दर जाकर टिकट मांगा तो मुझे टिकट दिया, वहां पर बस के पास जब आया तो बस बिलकुल भरी खड़ी थी और कोई भी मेरे सिवा टिकट नहीं कटा था, उसी हालत में बस चल पड़ी, जगह जगह मुसाफिर चढ़ते उतरते रहे, और सारी रकम कर्मचारियों की जेबों में गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री का कहना है कि हमारे यहां मुनाफा हो रहा है। तो मुनाफा तो दुगुना हो सकता है, अगर जो मैं बता रहा हूं, उसकी जांच वे करवायें और उसकी तरफ ध्यान दें। तहसील मंझनपुर में कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को सुझाव देता हूं कि भरवारी, करारी, शाहपुर, होते हुये तहसील मंझनपुर में एक रूट बस की चला दें और भरवारी करारी कौशाम्भी में भी एक बस चलाने की व्यवस्था करें क्योंकि कौशाम्बी आप जानते हैं बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है।

मान्यवर, एक कन्डक्टर महोदय ऐसे हैं, जिनके ऊपर दो साल से डिपार्टमेंटल मामला चला, वे सस्पेंड रहे और दो साल के बाद फिर वे अपनी जगह पर आये, लेकिन उनको दो साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो ऐसी हालत में चोरी, करप्शन से वे लोग अपना पेट नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे? अगर इस तरह की कार्यवाही होती है, तो फैसला शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये और उसके बाद सर्विस में आते हैं, तो उनकी बकाया या तनख्वाह तुरन्त देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर चाहूंगा कि इलाहाबाद-महेवा घाट रोड पर अच्छी बसें चलायी जायं। दूसरे जो बुकिंग क्लर्क या ए० टी० आई० वहां लगे हुये हैं, वह जबसे इलाहाबाद रोडवेज शुरू हुई, तब से टिके हुये हैं, बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री रामायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सुबह से खड़े होकर कह रहा हूं, और आपने अभी अपनी तवज्जह नहीं दी, मैं समझता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन है और मैं आप से यह कहता हूं, आप माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इसमें आप हस्तक्षेप न कीजिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गया प्रसाद जी जिस समय अनुदान के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, बड़ी गम्भीरता के साथ उन्होंने जिन प्रश्नों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उन्हें मैं सुन रहा था। आज सौभाग्य से उन्हीं के दल के एक वयोवृद्ध नेता, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, माननीय लखीसिंह जी, उन्होंने बड़ी गम्भीरता के साथ इस सदन के समक्ष कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया और उन्होंने आलोचना की। उनकी दृष्टि से परिवहन विभाग जिस ढंग से संचालित हो रहा है वे ऐसा समझते हैं कि उससे समाजवाद जल्द नहीं आयेगा। मान्यवर, यह उनकी अपनी एक राय है, लेकिन मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि उनके बगल में बैठे हुये माननीय गया प्रसाद जी जिनके नाम से सबेरे दारुलशफा में एक पर्चा वितरित किया गया, जरा वे स्वयं भी इस पर्चे को लेकर—माननीय लखी-सिंह जी जैसे वयोवृद्ध नेता को ही हम जज मानते हैं, वे इस पर्चे को लेकर देखें कि इस पर्चे के

[श्री रामायणराय]

छापने वाले की समाजवाद में कितना विश्वास है और इसके प्रति उनकी कितनी आस्था है। श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिनके नाम से यह पर्चा प्रकाशित किया गया है वह एक स्थान पर एक विभाग के मन्त्री के पक्षपातपूर्ण प्रशासन की आलोचना करते हुये कहते हैं कि अमुक सज्जन को इलाहाबाद से गोरखपुर जैसे रद्दी स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया। समाजवाद में गोरखपुर जैसा रद्दी स्थान शायद होगा ही नहीं। लिखा हुआ है इस पर्चे में मान्यवर, बांकेलाल जी को शायद समझने में कठिनाई होती है, इसलिए उनके समझने के लिए उनकी सेवा में यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

वही बात समझने में कठिनाई हो रही है, आपकी बात समझने में नहीं।

श्री रामायणराय—

आप शान्ति से बैठिये। मैंने कुछ ऐसे तथ्यों का उद्घाटन किया है जिससे आप और आपके, मान्यवर, जिनके नाम से पर्चा प्रकाशित किया गया है, कृत्यों पर प्रकाश पड़ेगा। माननीय उग्रसेन जी भी आ गये हैं। इसमें लिखा है कि कोई वीरेन्द्रकुमार गर्ग महोदय हैं। इस सज्जन का स्थानान्तरण किया गया, गोरखपुर जैसे रद्दी स्थान में बदल दिया गया। रद्दी स्थान, मैं जानता हूं, माननीय गयाप्रसाद जी स्वयं लिखते तो वे गोरखपुर को रद्दी स्थान की संज्ञा न देते। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद किसी और ने उनके नाम से यह पर्चा बंटवा दिया है। रद्दी, मान्यवर, किसकी दृष्टि में? कुछ लोग, मान्यवर, उस स्थान को अच्छा स्थान मानते हैं जहां उनको नाजायज रकमें ज्यादा मिलती हैं। गोरखपुर में, मान्यवर, आप जानते हैं स्वयं प्राइवेट बसों का प्रचलन कम है, लाइसेंस और परमिट के चक्कर में कम रुपया मिलने की गुन्जाइश होती है। इसलिए गोरखपुर को यह रद्दी स्थान घोषित किया गया। मैं माननीय गयाप्रसाद जी से यह आग्रह करूंगा कि कुछ लोग उनके जैसे सज्जन को बदनाम करने के लिए परचे बंटे हैं तो उन्हें उसका प्रतिवाद करना चाहिये। इसमें जिन अधिकारियों की चर्चा की गयी है, श्रीमन्, मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कौन सी सेवायें इस विभाग में कर रहे हैं? सात अधिकारियों का नाम उद्धृत किया गया है। ये सातों अधिकारी कौन सा काम करते हैं? माननीय उग्रसेन जी जिस पद को खत्म करने की सिफारिश कर रहे थे, मान्यवर, वह जनरल मैनेजर रोडवेज नहीं हैं, वे तो आर० टी० ओ० तथा ए० आर० टी० ओ० हैं जिनके विरुद्ध बड़े भयंकर-भयंकर आरोप इस बात के थे कि जब परमिट का मामला उनके सामने जाता था तो वे जनता को तरह तरह से शोषित करने की चेष्टा करते थे।

उन अधिकारियों के विरुद्ध इस शासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया तो उन्होंने एक साजिश की और उस साजिश के पीछे उन लोगों का भी हाथ है जो कि कुछ प्राइवेट मोटर आपरेटर्स हैं। उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया है और उसी धन के बल पर इतना आकर्षक पर्चा आज दारुलशफा के कमरे-कमरे में बांटा गया है। मुझे और बातों का ढिंढोरा जानने का अवसर नहीं मिला, लेकिन एक बात की जो चर्चा की गयी, आपको स्मरण होगा, कि इसी सदन के समक्ष माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जो उसी वाराणसी जनपद से ही आते हैं, इस सदन की सेवा में यह सूचना दी थी कि जिस परमिट की बात की जाती है माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब ने अपने सास को परमिट दिलवाया, आखिर वह परमिट दी किसको गयी? वह परमिट उस व्यक्ति की विधवा पत्नी को दी गयी जिस व्यक्ति ने देशसेवा के लिए अन्डमान में अपना जीवन दे दिया। (व्यवधान)।

मान्यवर, मैं भी उसी जनपद से आता हूं जहां से माननीय बांकेलाल जी आते हैं। डाक्टर गोएबिल्स ने कहा था कि बार-बार दोहराने से झूठ भी सच हो जाता है, और मैं समझता हूं कि ऐसा ही विश्वास और अकीदा इन पर्चे बांटने वालों का भी है और वे समझते हैं कि बार-बार इस तरह का आरोप लगाने से...

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, राय साहब से मेरा निवेदन है कि यह मामला तो एक जज के हवाले हो गया है, इसलिए इस पर कुछ न कहें तो ठीक है।

श्री रामायणराय—

आखिर यह पर्चा किसके द्वारा बांटा गया है?

श्री गयाप्रसाद—

मैं साफ कर दूं। पर्चे का नाम लेकर आपने जो सदन को भ्रम में डाला है...।

श्री रामायणराय—

मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह पर्चा आपके द्वारा लिखा गया है या नहीं?

श्री गयाप्रसाद—

आप इसको पूछने वाले कौन होते हैं? आप बैठें...

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, अगर यही बात है तो मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं कि...

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रामायणराय—

मैं ऐसा समझता हूं कि और मेरा यह व्यक्तिगत विश्वास है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप से भी मेरी अपील है कि आप बिलकुल उत्तेजना में न आवें।

श्री रामायणराय—

मैं बिलकुल उत्तेजना में नहीं आऊंगा। आप स्वयं जानते हैं कि मैं कितना अनुशासित आदमी हूं। जिस समय आप मेरी किसी बात को असंसदीय समझेंगे...

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, सदन का शान्त वातावरण माननीय रामायण राय जी के भाषण से उग्र हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, आप तो मानते ही नहीं।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, जिन भी मित्रों को ऐसा ज्ञात हुआ हो कि सदन की जो व्यवस्था है या सदन का जो स्वस्थ वातावरण है उसको नष्ट करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कम से कम इस सिद्धान्त में विश्वास करता हूं कि यदि एक अंगुली काट देने से सारे

[श्री रामायणराय]

शरीर की रक्षा होती हो तो उस अंगुली को काट देना चाहिये। यह तथ्य है और वास्तविकता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के भीतर यहां के बनाये हुए नियमों के द्वारा, जहां आपके द्वारा हम सब माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित हैं वहां विधायक निवास में इस तरह की चीज कार्यवृत्त के साथ हम लोगों के यहां भेज दी गयी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बात का पता लगावें कि क्या यह पर्चा जिस व्यक्ति ने आज के प्रश्नों की सूची दी है उसी के द्वारा वितरित किया गया या कौन सी एजेन्सी आयी ? वह आया तो ठीक है क्योंकि उसको अधिकार है रोज एजेन्डा देता है, लेकिन अगर उसके साथ दूसरे लोग आये हैं, जिसके बारे में माननीय गयाप्रसाद जी ने नहीं बताया कि उन्होंने बटवाया या नहीं, तो यह ट्रैसपासर थे। इस पर मैं बाद को बात करूंगा।

इस विभाग के बारे में आलोचना की गयी और यह कहा गया कि समाजवाद अगर सीखना हो तो इधर आओ। मुझे ऐसे फासिस्ट समाजवाद, ऐसे जर्मन समाजवाद को नहीं जानना है जिसमें झूठ को सच बनाने के लिये बार-बार इस तरह का निकम्मा प्रयास किया जाता है। मैं आपका ध्यान इस विभाग के उद्देश्य और लक्ष्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब इस विभाग की स्थापना की गयी थी, इस विभाग का परिचालन करने वाले जो महानुभाव थे उन्होंने जो इसका लक्ष्य स्थापित किया था उसकी दो लाइनें संकेत के लिये पढ़ कर सुना देना चाहता हूं-

सस्ते तथा परिवहन के कुशल साधनों की व्यवस्था करने, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने और राज्य के आर्थिक विकास में योग देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में राजपथ परिवहन सेवायें चालू की गयीं। और आज यह कहा गया कि इसको कारपोरेशन में क्यों नहीं बदल देते हो ? श्रीमन्, आप जानते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, करोड़, दो करोड़ जो भी रुपया परिवहन विभाग द्वारा इस राज्य को प्राप्त हो रहा है, जो उद्देश्य में है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इससे मदद मिल सके, वह जो कमी आयेगी अप्रत्यक्ष में जिन लोगों ने इसकी सिफारिश की है वह चाहते हैं कि जनता पर इस कमी को पूरा करने के लिये और टैक्स लगाया जाय। श्रीमन्, खाने के दांत और होते हैं तथा दिखाने के और वह चाहते हैं कि जो रुपया इस विभाग से सरकार को मिलता है, अगर कारपोरेशन बन गया तो उस घाटे को पूरा करने के लिये राज्य सरकार जनता पर नये टैक्स लगाये। ऐसी भूल इधर के बैठने वालों से नहीं होने वाली है। परिवहन विभाग कुशलता से संचालित हो रहा है। एक नहीं अनेकों अवसर पर दिल्ली में तमाम देश के परिवहन अधिकारियों की मीटिंग्स हुई हैं और जो लोग कुशलता से इस विभाग को चला रहे हैं उनसे बार-बार दूसरे राज्यों द्वारा सुझाव मांगे गये कि तुम बताओ किस तरीके से परिवहन विभाग को उत्तर प्रदेश में संचालित करते हो। वह विभाग जिसने शुरू में मिलिटरी की टूटी-फूटी गाड़ियां लेकर अपना कार्य आरम्भ किया था वह विभाग आज इतनी कुशलता से और सफलता से चल रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं कहूंगा कि मंत्री जी को झूठी और थोथी आलोचना से विचलित होने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है उनकी देखरेख में। लेकिन जो कर्मचारी अपनी कुरबानी और बलिदान के बल पर आपको यह श्रेय दिलाने में सफल हुए हैं उनको कठिनाइयों की तरफ मंत्री जी को निरन्तर जागरूक प्रहरी की तरह से काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय रामायण राय जी ने जिस पर्चे का जिक्र किया है, कितने लोगों को भ्रम हुआ कि कौन सा पर्चा है ! मैं बताना चाहता हूं कि वह पर्चा नहीं है, बल्कि माननीय नन्दा जी को पत्र गये थे जिसका जवाब मेरे पास आया है। माननीय मुख्य मंत्री को उसकी कापी गयी है, माननीय लाल बहादुर शास्त्री के पास उसकी कापी गयी है, उन लोगों के जवाब आये हैं और वह मामला जज के सामने विचाराधीन है और जो कर्मचारी उस मामले में गवाही करने के लिये आगे बढ़ कर आये और जिन कर्मचारियों ने उस पर परमिट का चालान किया है,

उस परमिट देने में रुकावट डाली है, उन कर्मचारियों को भी नाम दिया है जिनके साथ इन्साफ़ नहीं हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है।

श्री रामायणराय—

न तो प्रिंट लाइन है और न माननीय सदस्य के दस्तखत हैं ।

श्री गयाप्रसाद—

आप घबरायें नहीं, मैं खड़ा हूं। आप को जो भी कानूनी कार्यवाही करना हो मैं निमंत्रण देता हूं। आप जैसे लोगों को मैं जानता हूं, यदि आप उस परचे के पीछे बहस करना चाहते हैं, कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं तो उसके लिये मैं तैयार हूं। मैंने किसी कर्मचारी का पक्ष नहीं लिया है। अगर वह कर्मचारी भ्रष्ट है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। आप परेशान क्यों होते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, एक बात मुझे कहना है। मेरा कहना है कि मैं माननीय गयाप्रसाद जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो परचा प्रसारित हुआ है उसे मैंने पढ़ा है। मैं उनकी सद्भावना पर आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस परचे के पीछे जो भावना है.....

श्री बांकेलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, किस नियम के अन्तर्गत आप उनको बुलवा रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह—

श्रीमन्, क्या परचे पर बहस हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। मैंने माननीय रामसुन्दर शास्त्री को बुला लिया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसकी ताईद करता हूं। श्रीमन्, प्राइवेट मोटर मालिकों के संरक्षण में चलने वाली बसों से यात्रियों को जो दुर्दशा होती है तथा बदलते हुए जमाने से प्रभावित हो करके यह मांग की गयी थी कि रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया जाय। श्रीमन्, मुझे खुशी है कि रोडवेज की बसों ने काफी सुविधायें हमको प्रदान की हैं। चूंकि रोडवेज की बसें समय से चलने लगी हैं, सवारियां आराम से सफ़र करती हैं, इसलिये प्राइवेट बसों को गतिविधियों में भी कुछ तब्दीली हुई है। श्रीमन्, जो पुस्तक विभाग की तरफ से मिली है उसको आप देखिये, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसी प्रकार से इस विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके स्थायी और अस्थायी होने का मामला स्वयं हल हो जायगा और अस्थायी कर्मचारी उनको माना जाता है जो विभाग टेम्पोरेरी हो, यानी जो काम खत्म हो जाय और उस विभाग में वह काम न हो तो उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको अस्थायी कहा जाता है। लेकिन, श्रीमन्, जहां तक रोडवेज का मामला है चूंकि इसका नेचर परमानेंट है इसलिये इसके कर्मचारियों के टेम्पोरेरी होने या रहने का कोई सवाल ही नहीं होता। श्रीमन्, जो पुस्तक मिली है उसमें तीन बातें दिखायी गयी हैं—कितने किलोमीटर हमारी बसेज ने यात्रा की, कितने मुसाफिर चले, कितनी पूंजी लगायी गयी और कितना लाभ हुआ। १९६३ में ९,५२८.८ किलोमीटर हमारी बसेज चलीं। ३१ मार्च, १९६४ तक १०,०१८.१ किलोमीटर चलीं और ३० सितम्बर, १९६४ तक १६,९२८.४ किलोमीटर्स की दूरी हमारी रोजवेज की बसों ने तय कीं। यह तो दूरी तय करने की बात हुई। इसमें क्रमशः बढ़ोत्तरी होती गई है

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

३१ मार्च, १९६३ तक १६,५७,४८,८०६ यात्रियों ने सफर किया। ३१ मार्च, १९६४ तक १७,८३,३७,६४८ यात्रियों ने सफर किया। इसका मतलब यह है कि रोडवेज की बसों में यात्रियों ने भी अधिक यात्रा की और पूंजी भी ६२-६३ में १४,२७,२४,७२८ और ६३-६४ में १६,६०,१८,३२६ रही। इस प्रकार जब यह विभाग प्रोग्रेस कर रहा है और काम ज्यादा हो रहा है तो कर्मचारियों के टैम्पोरेरी होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिये उन्हें परमानेंट होना चाहिये।

पिछले साल के मुनाफे में इस साल घाटा दिखाया गया है। ६३–६४ में ४९,८४,४८,७०० रुपये और ६४ में ४७,५८,८०,०९७ रुपये हैं। यानी मुनाफा कम हुआ। श्रीमन्, और जगह का तो मुझे अधिक मालूम नहीं है लेकिन लखनऊ शहर का मालूम है कि यहां पर जितनी भी बसें चलती हैं उनमें से अधिकांश अफसरों के दरवाजे से एक्सपेरीमेंट के तौर पर चलती हैं और उनमें घाटा होता है। मंत्री जी बतावें कि क्या लखनऊ शहर की बसों में घाटा है या नहीं। श्रीमन्, विभागीय अधिकारियों के दबाव में आकर उनके दरवाजों और मोहल्लों से एक्सपेरीमेंट के नाम पर जितनी बसें चलाई गई हैं या चलाई जा रही हैं अगर उनका औसत निकाला जाय तो उन्हीं रूटों पर अधिकांश में घाटा होता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी बसें बन्द करके जनता की मांग पर बसें चलाई जायं। वह कहेंगे कि यात्रियों का कनसेशन देने से हानि होती है और कनसेशन देना भी जरूरी है। मैं कहता हूं कि कनसेशन से घाटा नहीं फायदा हुआ है। मैंने और रामचन्द्र शुक्ल जी ने दरख्वास्तें दीं, चिट्ठियां लिखीं लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस दिन हमारा तारांकित प्रश्न था हमने कहा था कि ९ साल से सिधौली का ए० टी० आई० वहां है। वह करप्शन के केस में गिरफ्तार हुआ। लेकिन उसे ट्रांस्फर या ससपेंड नहीं किया गया। जबकि बस कंडक्टर मुअत्तल किया गया। उस ए० टी० आई० के जरिये यहां लखनऊ में एक ए० जी० एम० चड्ढा साहब के यहां दूध आता है दशरथ प्रसाद यादव चपरासी के हाथ। २ हजार रुपये का हर साल नुकसान होता रहा है श्रीमन् वहां। कहीं गाड़ियां एक्सपेरीमेंट के तौर पर चल रही हैं। रीवर बैंक कालोनी की गाड़ी जनरल मैनेजर के यहां से चलती थी। पेपर मिल कालोनी में ए० जी एम० कपूर के यहां से बस चलने लगी। मंत्री जी, आप बुजुर्ग हैं। लेकिन विधायक अगर कोई दरख्वास्त या चिट्ठी दे और आज तक उसका कोई जवाब तक न मिले तो बतलाइये कि करप्शन इसमें बढ़ेगा या घटेगा? कैसे चलेगी गाड़ी इस रोडवेज विभाग की?

मैं न्यू हैदराबाद में रहता हूं। मैं देखता हूं कि टाइम कीपरों के बैठने के लिये कुर्सी और छाया नहीं है। बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को न मेडिकल लीव मिलती है। और न कैजुअल ही मिलती है। आप इनको परमानेंट करेंगे नहीं। आप केवल मंत्री जी नहीं हैं, आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में हम लोगों की तरह से वालंटियर के रूप में काम किया है। हम चाहते हैं कि आपके हाथ से इंसाफ हो। अगर आप अपने नीचे के अधिकारियों को कसेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? शाम को रोडवेज की कारें और जीपें कपूर होटल और च इनाबार के आगे खड़ी मिलती हैं। ये अधिकारी सरकारी मोटरों को अपनी निजी समझते हैं और उनके बच्चे और स्त्रियां सैर करती हैं। और वे घूमा करती है। माननीय मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, तथा उग्रसेन जी, मैं तो इस विभाग के अधिकारियों की गड़बड़ियों की शिकायत करते-करते और लिखते-लिखते हार गया हूं। यहां के अधिकारी इतने मदमस्त हो गये हैं कि मेरी तबियत उनसे परेशानी में आ गई है। इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह हमें बतला दें कि इन समस्याओं का कैसे हल निकाल सकता है?

श्री मुजफ्फर हसन—

मेरे पास डिटेल भेज दें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

सिधौली का दूध का मामला आपके सामने है। जितनी गड़बड़ियां हैं मैं आपके सामने भेज दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो अनुदान हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

अभी इस अनुदान पर काफी विवाद हुआ। मैंने काफी ध्यान से अपने विरोधी भाइयों के भाषणों को सुना। मैं यह आशा करता था कि वह कुछ ऊंचे स्तर की बातें करेंगे। (व्यवधान) उनके भाषणों में कुछ सही बात भी जान पड़ी, लेकिन एक औरत के लिये कहा गया जिसका शौहर फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। तो क्या आप यह चाहते हैं कि उसकी रोटी का प्रबन्ध सरकार न करे ? आप नोटिस छपवाते हैं। अगर आपके अन्दर चरित्र है तो उस पर प्रेस का नाम होना चाहिये था। (व्यवधान)

आप सारी चीजें दूसरों के ऊपर ही मढ़ना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक औरत की सहायता की है जिसका शौहर राष्ट्रीय आन्दोलन में फांसी पर लटका दिया गया था। जब-कि उस औरत के जीवन का कोई सहारा नहीं था तो यदि उसको परमिट दे दिया तो कौन सा गजब कर दिया गया ? (मेजें थपथपायी गयीं)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप धीरे-धीरे बोलिये।

श्री चन्द्रदेव--

श्रीमन्, यह बात नहीं है कि इधर जितने आदमी चुन कर आये हैं वे जनता द्वारा नहीं चुने गये हैं और विरोधी दल के ही लोग चुन कर आये हैं। आप यह धमकी नहीं दे सकते हैं कि ये जनता के हितैषी नहीं हैं।

श्री मुकुटविहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, इनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री चन्द्रदेव—

श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि विरोध करने की भी कोई हद होती है। मैं पुनः श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस औरत को परमिट दिया, जिसका इस दुनियां में कोई ठिकाना नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप धीरे-धीरे बोलिये।

श्री चन्द्रदेव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने क्षेत्र की तरफ अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

ये बार-बार औरत कह रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष को अधिष्ठाता कहने लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्त रहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रदेव—

उस क्षेत्र में जिसका अभी जिक्र किया गया, रोडवेज की हालत काफी अच्छी है। हमारे भाई उग्रसेन जी उसको देख चुके हैं। वहां का चार्ज अभी तक नहीं हुआ है। इसमें जो गोरखपुर जिले के बड़े-बड़े कर्मचारी हैं उनका उस ठेकेदार से सम्बन्ध है। पडरौना और देवरिया में जो बस स्टेशन बन रहा है उसका अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसका चार्ज वहां के इंचार्ज को दिलाया जाय और इसकी जांच कराई जाय।

श्रीमन्, दूसरी चीज मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि देवरिया में जो बसेज चलती हैं वे कभी समय पर नहीं पहुंचती हैं। इसमें बस चलाने वालों की बड़ी भारी लापरवाही है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें कि वहां पर बसेज ठीक समय पर चलनी चाहिये। चाहे सवारी हों या न हों, लेकिन बसेज को अपने ठीक समय पर छूट जाना चाहिये। बस के लेट हो जाने से अक्सर ट्रेन छूट जाती है। इसलिये इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

तीसरी चीज श्रीमन्, यह है कि पडरौना और गोरखपुर वगैरह में और जहां-जहां भी बस स्टेशन बने हुये हैं वहां पर फरनीचर की बहुत ज्यादा कमी है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जिस विभाग से सरकार को इतनी बड़ी आमदनी है उसमें सरकार को इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिये। सरकार को इस आमदनी में से कुछ अंश जनता के आराम के लिये भी खर्च करना चाहिये। इसके अलावा एक बात यह है कि जहां-जहां बस स्टेशन नहीं है वहां बस स्टेशन बनवाने की कृपा की जाय। इन चन्द शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस विभाग के सारे कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि इस विभाग से प्रदेश को काफी आमदनी होती है। अन्त में मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वातावरण बड़ा अच्छा रहा, लेकिन यहां पर चन्द भांड़ और मीरासियों ने कुछ गड़बड़ी की है। इधर के माननीय सदस्य और उधर के माननीय सदस्य जो भी इस अनुदान पर बोले, करीब करीब सभी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, इसलिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं। लेकिन एक बात मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहनी है कि मेरे २३ सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सुझाव तो आप दे चुके होंगे।

श्री लखीसिंह—

जी नहीं, अभी मैंने नहीं दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब में सुझाव नहीं दिये जाते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय ने प्रातःकाल यह कहा था कि आप सुझाव बाद में दे दीजियेगा। यह बात प्रोसीडिंग्स में होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये टाइम तो वैसे ही कम है, आप इसी में शीघ्र बोलें। आप ६ मिनट और ले लें और उसके बाद खत्म कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह—

जहां तक बड़े भारी बलिदान और देशभक्ति का सवाल है, मैं भी बहुत पुराना...

श्री मुजफ्फर हसन—

अगर आपके सुझाव बहुत लम्बे चौड़े हैं तो उनको आप मुझे भेज दें और जो शार्ट में कहना हो वह कह लें।

श्री लखीसिंह—

सुन लें आप, कहूंगा और भेज भी दूंगा आपको। श्रीमन्, मैं तो इस राय का आदमी हूं कि जो ऐसी विधवायें हैं, जिनके पति का बलिदान हो गया है स्वतंत्रता संग्राम में, उनको परमिट दे दें तो ठीक है। लेकिन माननीय सदस्य ने कल तो कहा कि छितौनी बांध में २० लाख रुपया खा लिया और रात में कोई परमिट हासिल कर लिया जो इनके तबलची बन गये।

(व्यवधान)

माननीय रामायण राय जी ने बगावत का निमंत्रण दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सदस्यों को कि उन्होंने शान्ति बनाये रक्खी और इन कांग्रेसियों के बहकावे में कोई बलवा नहीं किया। इस निकम्मी कांग्रेस के लोग तो इसमें बगावत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बहुत अपने ऊपर कन्ट्रोल किया, नियंत्रण किया कि आपका यह सदन शान्ति-पूर्वक चले, लेकिन इन कांग्रेसियों ने भड़भूजापन करने में कोई कमी नहीं रखी। श्रीमन्, यह जो कांग्रेस है, यह गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं, यह बिलकुल दूसरी बदली हुई उसकी उलटी कांग्रेस है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी असली बात पर आइये, सुझाव दीजिये जो देने हैं।

श्री लखीसिंह—

देखिये, माननीय नवलकिशोर जी कितने गम्भीर और विद्वान हैं, लेकिन मसानी नियोगी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा, क्या उत्तर दिया आप सुन रहे थे। क्या उत्तर दिया था? कहा कि राधेश्याम खूबसूरत है और लक्खीसिंह बदसूरत है और देखिये यह है उनकी अक्ल का दिवाला।

(व्यवधान)

देखिये, आप महाराष्ट्र की सरकार को देखिये, मद्रास, पंजाब की सरकार को देखिये, यह सरकार कितनी खराब है। यह खुद खराब है और सबको खराब बनाती है। यह महाखराब निकम्मी, बेहूदा, नालायक सरकार है। यहां मैं शान्ति बनाये बैठा था सबेरे से, लेकिन मैंने कहा नहीं। अब श्री राय ने मौका दिया है कहने के लिये। अब मैं कहना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि सरकार ने जो कन्डक्टर के ऊपर लेबिल को इंजिन के पास लगे बक्से में रखने का नियंत्रण लगाया है उससे यात्रियों को नियम के बन्धनों में बांधकर सुविधा देने में असमर्थ रखा है। अतः लेबिल सदैव कन्डक्टर के पास रहे ताकि वह जिस समय यात्रियों को चाहे उस समय सुविधा दे सके।

दूसरा सुझाव यह है कि आज बस स्टेन्डों पर टट्टीघर, पेशाबघर, विश्राम घर, आदि की कर्मचारियों को एवं जनता को बड़ी असुविधा रहती है जो होने चाहिये और स्नानागार भी वहां पर यात्रियों के लिये होना चाहिये।

गाड़ियों पर रस्सा, त्रिपाल, दवा का बक्सा तथा ड्राइवर के औजार का सदैव अभाव रहता है। अतः गाड़ी के अन्दर यह सारा सामान होना चाहिये।

यात्रियों की गाड़ी छूटने पर और यात्रा न कर सकने पर उसके टिकट को वापस लेना चाहिये।

(व्यवधान)

[श्री लखीसिंह]

देखिये, मुझे बोलने दीजिये, हंगामा न कीजिये, चाहे मुझे चन्बद्रली की तरह निकाल दें और चाहे सन् ६७ तक के लिये निकाल दें उसकी मुझे चिन्ता नहीं, लेकिन सबको शान्त करा दें और मुझे कहने दें। मेरा सुझाव यह है कि जिन कर्मचारियों की सिनीयोरिटी क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित की जाती है उनका तबादला भी क्षेत्र के बाहर न होना चाहिये, क्योंकि इसमें हक का दुरुपयोग हो जाता है और सीनियारिटी में बाधा हो जाती है।

यात्रियों के सम्पर्क में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्दी मिलनी चाहिये ताकि जनता कर्मचारी और जनता में पहचान कर सके—जैसे ड्राइवर, कन्डक्टर, बुकिंग क्लर्क, ए० टी० आई, स्टेशन इन्चार्ज तथा निरीक्षक विभाग।

किसानों से जो ट्रैक्टरों पर अपने कृषि कार्य के लिये, ट्राली लगाते हैं उनको टैक्स से मुक्त किया जाय।

गाड़ियों में एक पानी की टंकी फिट होनी चाहिये, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जनता बसों में बड़े आदमियों का तो कहना क्या मगर बच्चों को आम परेशानी रहती है। इस अभाव के कारण बच्चे तथा बड़े, दोनों को ही परेशानी रहती है। और स्टेशनों पर तो ठंडे पानी आदि का होना जरूरी है। कर्मशाला के उन सभी कर्मचारियों को यथावत् वर्दी मिलनी चाहिये जो बसों में कार्य करते हैं, जैसे मिस्त्री, क्लीनर, मजदूर, पेन्टर, फिटर आदि आदि।

कन्डक्टरों से टिकट खो जाने पर नौकरी से निकल देना अथवा भारी दंड दे देना उस दशा में अनुचित है जब कि उससे यह क्षति पूरी कर ली जाती है। रेल विभाग की तरह यात्री तथा कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा करने पर दोनों का जिम्मेदार होना चाहिये। क्योंकि यात्री को स्वयं ही टिकट खरीद व लेना चाहिये।

सरकार जहां समाजवाद का नारा लगाती है वहां उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में अधिकारी पूंजीवादी की रूपरेखा अपनाते ह। विभाग में मध्यम वर्गों की जनता एवं छोटे कर्मचारियों के प्रति सदैव उदासीनता बरती जाती है जबकि छोटों को उठाने की पद्धति सही समाजवाद का पालन है। अतः जहां तक हो इस विषय पर छोटों का उचित ध्यान रखा जाय।

मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को फ्री पास और केसों की सुविधायें देती हैं उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वैसी ही सुविधायें दे। सामुदायिक विकास जैसे विभाग में ब्लाकों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था है परन्तु शुद्ध लाभ होने वाले परिवहन विभाग में जिसके द्वारा कन्डक्टर आदि छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं है और न इस विषय में उनको कोई भत्ता ही दिया जाता है। अतः शीघ्रातिशीघ्र इसकी व्यवस्था की जाय।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों के नुकसान के पक्ष में उनको सरकारी कर्मचारियों की कसौटी पर कसा जाता है। सुविधा के पात्र वह अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति नहीं हैं। जैसे आकस्मिक अवकाश, त्यौहार के अवकाश, चिकित्सा लाभ आदि उनकी असमानता समाप्त करते हुये शीघ्र कार्यान्वित कराये जायं।

बड़े-बड़े अफसरों की जिस तरह बढ़ोत्तरी की गयी है वह एक सरमायेदारी है। समाजवाद के पक्ष में अफसरों की जगह काम करने वाले मजदूरों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये जैसे कि जरूरत न होने पर अतिरिक्त जनरल मैनेजरों की नियुक्ति की गयी है। इसी तरह और भी बहुत से अफसर हैं उसी प्रकार मजदूरों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

अन्तर्देशीय परिवहन यातायात को बढ़ाया जाय, जैसे मथुरा जिले में कोसी-मथुरा वाली सड़क पर पंजाब के जिलों से सम्बन्धित हसनपुर आदि तक बस की सेवाओं को बढ़ा दिया जाय।

मथुरा जिले में निम्न मुख्य स्थानों पर स्टेशनों का निर्माण किया जाय जैसे जाव, नंद गांव, चौमुहा शेरगढ़, छटीकरा, राल, भसानी, मथुरा, शहर माठ, टेटीगांव, सुरीर, बाजना, नोहझील आदि सभी जगहों पर स्टेशन बनने चाहिये।

इनके बाद और भी बहुत से सुझाव हैं जो मैं पूरे के पूरे मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। मंत्री जी इस पर ध्यान देकर इनको जरूर कार्यान्वित करावें। अब मैं अधिक क्या कहूं? आपने तो लाल झंडी दिखा दी।

श्री मुजफ्फर हसन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम सदन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि करीब-करीब पूरे दिन ऊंचे स्टैन्डर्ड से भाषण हुये और सुझाव दिय गये। अगर कोई नुक्ताचीनी हुई तो वह भी कंस्ट्रक्टिव हुई है। मुझे बड़ी खुशी है और खासकर इस वजह से भी कि मैं कई दिन से हाउस का एटमासफियर देख रहा था तो मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि मैं उपाध्यक्ष महोदय काफी कमजोर आदमी हूं और जो बातें यहां चलती हैं उनमें अपने को बहुत अनफिट पाता हूं, इसलिये मुझे बड़ी खुशी है कि आज बहुत ऊंचे स्टैन्डर्ड से हाउस में बातें हुईं, सुझाव हुये और बहस हुई।

श्री उग्रसेन—

यह मंत्री पर मुनहसर है, उस कुर्सी पर दूसरा बैठ जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है।

श्री मुजफ्फर हसन—

तो बहुत से जो सुझाव दिये गये हैं उन सबको मैं बहुत गौर से देखूंगा और जो भी उनमें से ऐडजस्ट हो सकेंगे उनको ऐडजस्ट करने की कोशिश करूंगा।

हमारे लखीसिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। मेरा तो उनके साथ एक कमेटी में रहने का इत्तफाक हुआ है और मैं उन्हें एक बहुत सरल आदमी मानता हूं। कभी-कभी आवेश में आ जायं, तैश में बात कर जायं वह दूसरी बात है, लेकिन उनके मन में हमेशा अच्छी भावना रहती है।

उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया और जिस ढंग से पेश किया इसकी मुझे खुशी है। जहां तक उन्होंने बातें कहीं उनमें उन्होंने मसानी कमेटी रिपोर्ट का जिक्र किया कि यहां पर कारपोरेशन बनना चाहिये। उसके मुताल्लिक नवलकिशोर जी ने रोशनी डाल दी है और उसके पहले भी जिन लोगों ने खुलकर उसका चर्चा नहीं किया उन्होंने महसूस किया होगा। उसके मुताल्लिक मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां कहीं कारपोरेशन बनाया गया है उनकी एफिशियन्सी से हमारे बहां की एफीशियन्सी कम नहीं है, बल्कि बढ़ी हुई है। कारपोरेशन के नाम से ही वह चीज कोई महदूद नहीं है। समझा जाता है कि कारपोरेशन से अच्छी तरह काम होता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस विभाग का जो यहां का ऐडमिनिस्ट्रशन है उसको दूसरे प्राविन्स के लोगों ने एप्रीशियेट किया है और करते हैं।

जहां तक कर्मचारियों को सुविधा देने का ताल्लुक है, मैं आपसे कहता हूं कि आपने उस पर जोर दिया यह मुनासिब बात है। उसमें जो बोनस की बात है वह बताई गई कि बोनस अंधाधुन्ध देने से काम में तेजी नहीं आ सकती है। जो निकम्मे आदमी हैं उनको आप नफा पहुंचायें और जो अच्छा काम करते हैं उनको तो पहुंचाना ही है, अगर दोनों को एक ही सतह पर रख दें तो काम के लिहाज से सही नहीं हो सकता है। हमने मुख्तलिफ कामों के लिये लोगों को इनाम देने की बात तय कर रखी है। अगर कोई देर तक, ज्यादा दिनों तक गाड़ी चलाता है, बैटरी को अच्छी शकल में रखता है और अपने वेहिकिल्स को सही ढंग से सर्विस में रखता है तो उसमें कई तरह के इनामों को देने के लिये हमने इनाम मुकर्रर कर रखे हैं और भी दिनों दिन उसमें तरक्की देने का इरादा है।

[श्री मुजफ्फर हसन]

एक बात माननीय सदस्यों ने खासतौर से यह कही कि लोग मुस्तकिल कम किये जाते हैं। मुस्तकिल करने के सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं । मुस्तकिल कर्मचारियों की संख्या नान-गजेटेड ९२७८ है । टेम्पोरेरी नान-गजेटेड कर्मचारियों की संख्या ७६९२ है। यह संख्या कुल १६९०० हो जाती है । इसके अलावा भी वक्तन-फवक्तन ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर अपने अख्तियारात से लोगों की तकर्रुरी करते हैं उनकी तादाद ७८०० है । इस तरह से यह तादाद कुल २५ हजार हो जाती है। मुस्तकिल करने का कायदा यह है कि जो टेम्पोरेरी मुलाजिम हैं उनमें जिनके बारे में सरकारी मन्जूरी हो जाती है, जगह मुस्तकिल करार दी जाती हैं, उनको मुस्तकिल कर दिया जाता है। उन लोगों में जिनकी सर्विस तीन साल की हो जाती हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जाता है। इसमें दो तिहाई आदमी हर साल मुस्तकिल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि ९२७८ की तादाद ऐसी है जो काबिले शिकायत नहीं कही जा सकती है । और भी डिपार्टमेंट हैं उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि कितनी थोड़ी तादाद में मुस्तकिल किये जाते हैं। इसलिये इस बात को काबिले शिकायत नहीं कहा जा सकता ।

इसके अलावा लखीसिंह जी ने कहा कि यह बिलकुल खराब तरीके से यहां पर चल रहा है और दूसरी जगह पर अच्छी तरह से ये सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दूसरे ही सांस में उन्होंने यह कहा कि कुल रास्ते नेशनलाइज्ड कर लिये जायं । अगर वह और रास्तों को लेना चाहते हैं तो इसका मतलब यह साफ है कि यहां पर रोडवेज का काम अच्छा चल रहा है वरना वह न चाहते । उन्होंने पहाड़ी इलाके में नेशनलाइज्ड करने की बात कही। मैं उनको बताऊं कि आज ही वह फैसला आया है हाईकोर्ट का जो अभी तक रुका हुआ था कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के सिलसिले में जो मुकदमा चला था, उस मुकदमें में फैसला हमारे मुआफिक हो गया है और उस रूट पर बस जल्दी ही चलायी जायंगी । दूसरी जगह के लिये भी सुझाव आये हैं । आहिस्ता-आहिस्ता हम और आगे बढ़ायेंगे। थोड़ा सा समय है, बहुत संक्षेप में ही कहना चाहूंगा ।

अहमद बख्श साहब ने कुछ सुझाव दिये हैं कि रोडवेज नें इस तरह से नैशनलाइजेशन हो, कुछ स्पेयर पार्ट्स के बारे में कहा, यह सब देखने की चीजें हैं ।

आर० टी० ए० के बारे में कहा गया । अहमद बख्श साहब ने उसके ढांचे के बारे में कहा। गयाप्रसाद जी ने भी कहा। इसके ऊपर पहले बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर डाला गया था और सेन्टर ने भी यह कहा था कि वन मैन आर० टी० ए० हो। इस हिसाब से कमिश्नर को वह अथारिटी दी जाती। उसके पास और भी बहुत से काम रहते हैं। इसलिये मैंने अपनी तरफ से उसमें तीन आदमी रखे । मैं समझता हूं यह ज्यादा मुनासिब है ।

टेम्पोरेरी परमिट के लिये कहा गया कि कलेक्टर को दे दीजिये । रीजन्स के बारे में भी कहा गया। रीजन्स जो पहले बने थे कुछ और कन्सीडरेशन्स से बने थे, फिर भी जो सुझाव दिया गया है, इसे देखा जायगा । अहमद बख्श साहब ने जिला मैजिस्ट्रेट को परमिट देने के अधिकार की बात कही । वह तो इस वक्त भी है । पिछली बार शिकायत हुई थी कि मेले में कुछ प्राइवेट गाड़ियां चला दी गयीं । मैंने जब मालूम किया तो मालूम हुआ कि मुखतलिफ डी० एम० ने बहुत सी गाड़ियों के लिये इजाजत दे दी थी । इस साल मैंने काफी चौकसी रखी, जिससे जनता को काफी सुविधा रही और मुनाफा भी जितना इस बार हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ ।

लखनऊ-फैजाबाद रोड, लखनऊ-हरदोई रोड, यह एक नासूर बना हुआ है । बहुत दिन से हमारी ख्वाहिश है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जो अदालत का किस्सा है कि छोटे छोटे पहलू निकालकर अदालत में चले जाते हैं, उससे दिक्कत पड़ी हुई है । हमें तकलीफ है कि वह किसी तरह हो नहीं पाता है । हमारी पूरी ख्वाहिश है और वही बात मैं शास्त्री जी से भी

कहूंगा कि सहारनपुर और दिल्ली के सिलसिले में भी है । (व्यवधान) वह तो मैंने रीजन के बारे में पहले ही कहा कि वह कोई रैशनल बेसिस पर हो तो ज्यादा अच्छा है । (व्यवधान) तो यह मैं थोड़े ही कह रहा हूं कि विभाग बिलकुल दूध का धोया हुआ है ।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने छुट्टी के बारे में लिखा है उसके ऊपर विचार करके. . .

श्री मुजफ्फर हसन—

देख लूंगा । अब वक्त कम रह गया है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सुझाव आये हैं मैं उनको बहुत गौर से देखूंगा और जो कुछ भी हो सकेगा उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा । आखिर में मैं पूरे सदन का बहुत ही आभारी हूं कि इस अनुदान पर उतनी सहूलियत से बहस हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने में क्या दिक्कत है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी, वह भी अंडर कंसीडरेशन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुदान पेश किये देता हूं । अगर वह स्वीकृत हो गया तो कटौती का प्रस्ताव अपने आप गिर ही जायगा ।

श्री उग्रसेन—

यह नयी व्यवस्था आपने कब से शुरू कर दी ? ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा लीजिये, पूरा कटमोशन रखे देता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत २६,९०,७५,३०० रुपये की मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,५५,९०,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अपराध निरोधक समिति के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है कि अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के चार सदस्यों के निर्वाचनार्थ नियत समय के भीतर निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्देशन प्राप्त हुये हैं :—

श्री के० के० के० नैयर (बस्ती)

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव (लखनऊ)

श्री केशव चन्द्र सिंह (शाहजहांपुर)

श्री दीन दयाल करबरिया (बांदा)

श्री मंगलदेव विशारद (आजमगढ़)

श्री चन्द्रबली सिंह (देवरिया)

इन नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम निर्देशन पत्र ठीक पाये गये हैं । चूंकि निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हैं, अतः यदि अतिरिक्त नाम २४ मार्च, १९६५ के सायंकाल ५ बजे तक वापिस न ले लिये गये, तो निर्वाचन २ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे से ५ बजे के बीच विधान भवन के कमरा नं० ५० में होगा ।

अब हम उठते हैं, और सोमवार २२ मार्च, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २२ मार्च, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१३ मार्च, १९६५ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९ एल० ए०—१९६५—८६२ ।